खण्ड-202, अंक-9
मंगलवार, 19 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(10 मार्च, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 202 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १० मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य —३८२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोला देवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाश नारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री

गणेशचन्द्र काछो, श्री
गणेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गोरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश शरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जगुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री

निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भोलालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री

राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमीसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री

शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री

नोट---सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १० मार्च, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में तमसा का पुल टूट जाना

**१---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मऊ, जिला आजमगढ़ में तमसा नदी का पुल जो टूट गया है उसको बनवाने का वह विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---प्रथम भाग---जी हां।

द्वितीय भाग---शीघ्र ही।

सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, फैजाबाद के मुख्यावास का स्थानान्तरण

**२---श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, VI Circle Provincial work, फैजाबाद का हेडक्वार्टर हटा कर अन्यत्र भेजा जा रहा है ? यह हेडक्वार्टर फैजाबाद कब रक्खा गया था ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां। इस सर्किल का हेडक्वार्टर फैजाबाद ३० नवम्बर, १९५७ को रक्खा गया था।

नगरपालिकाओं के विरुद्ध शिकायतें

३---श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९५८ ई० से १ मार्च, १९५९ ई० तक उत्तर प्रदेश में कितनी नगरपालिकायें सुपरसीड की गई हैं ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---कोई नहीं।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतायेगी कि किन्हीं नगरपालिकाओं की शिकायतें नहीं आईं या शिकायतें आने के बाद उनको मुअत्तल नहीं किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---शिकायतें आई हैं और कुछ नगरपालिकाओं के खिलाफ चार्जशीट गई है और कुछ के खिलाफ रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतायेगी कि किन-किन नगरपालिकाओं की शिकायतें आई हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---शिकायतें बहुत-सी नगरपालिकाओं की आई हैं और चार्जशीट भी गई हैं। उनमें शायद हापुड़, खुर्जा और गाजियाबाद हैं, लेकिन शायद भोगांव नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार बतायेगी कि सुपरसीड करने का विचार सक्रिय रूप से किन-किन नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जहां से शिकायतें आती हैं वहां के जिला अधिकारी जांच करके समझते हैं कि अनियमितता हो रही है और इसको सुपरसीड कर दिया जाय तो वह शासन को भेजते हैं। शासन उस पर विचार करके चार्जशीट उनके पास भेजता है और उनका जवाब आने के बाद निर्णय करता है कि सुपरसीड किया जाय या नहीं।

श्री वी० जी० देशपांडेय तथा श्री राजनेत तिवारी की वाराणसी में गिरफ्तारी

४---श्री गंगाप्रसाद वर्मा** (जिला एटा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १ या २ मार्च, १९५९ को वाराणसी में एक मन्दिर पर यज्ञ करते हुए कितने व्यक्ति पकड़े गये तथा किस दफा में ?

श्री रामस्वरूप यादव---२ मार्च, १९५९ ई० को दो व्यक्ति धारा १८८ आई० पी० सी० के अन्तर्गत पकड़े गये।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा---क्या मंत्री जी पकड़े गये व्यक्तियों के नाम बतायेंगे और क्या वह हवन करते हुये पकड़े गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, सर्व श्री वी० जी० देशपांडे और राजनेत तिवारी धारा १८८ के अन्तर्गत पकड़े गये।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा---क्या वह हवन करते हुये पकड़े गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---हवन करते हुये नहीं पकड़े गये। वह धारा १४४ तोड़ने गये थे। एक एजीटेशन चला जिसमें कहा गया था कि मस्जिद को मन्दिर करार दे दिया जाय। वह धारा १४४ को तोड़ने गये थे उसमें पकड़े गये।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि वह गंगा स्नान करते हुये पकड़े गय और अदालत में पैदल लाये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---स्नान करते हुये श्रीमन्, नहीं पकड़े गये थे। वह बाकायदे एक एजीटेशन आर्गेनाइज करते हुये पकड़े गये थे। बहुत से लोग नाव से आये थे। कुछ पंडित लोग भी उनके साथ गये थे, उनको नहीं पकड़ा गया था।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बतायेगी कि जहां यह लोग यज्ञ करने गये थे वह मस्जिद थी, मन्दिर नहीं था ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, वह मस्जिद थी, लेकिन हवन करने गये थे यह मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या सरकार बतायेगी कि जो दो व्यक्ति पकड़े गये थे क्या उन्होंने लिखित नोटिस सरकार को दिया था ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस समय इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो व्यक्ति पकड़े गये हैं वह मस्जिद पर कब्जा करने गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---कब्जा करने गये थे या गड़बड़ करने गये थे यह तो नहीं कह सकता, लेकिन वह धारा १४४ के खिलाफ काम करने गये थे और यह आशा की जाती थी कि अगर वह नहीं पकड़े गये तो अशान्ति हो सकती है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर दफा १४४ कब लगाई गई और किस कारण से ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस वजह से १४४ लगाई गई थी कि एक स्थान ज्ञानव्यापी मस्जिद के सम्बन्ध में लोगों ने एजीटेशन शुरू किया था कि ज्ञानव्यापी वापस लो हिन्दू राष्ट्र के लिये। यह डर था कि कोई घटना न हो जाय, इसलिये इसको रोकने के लिये १४४ लगाई गई थी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि १४४ दफा में निषेधाज्ञा क्या थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---१४४ में क्या विस्तारपूर्वक लिखा हुआ था इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में पंचायत लिपिकों का हटाया जाना

*१---**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)---क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत लिपिकों के लिये कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है ? तथा शासन की ओर से इस प्रकार से कोई निर्देश दिये गये थे कि निर्धारित योग्यता से कम योग्यता वाले व्यक्तियों को पद से हटा दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, पंचायत लिपिकों के लिये निम्नतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। निर्धारित योग्यता न रखने वाले परन्तु विभाग में पहले से ही नियुक्त लिपिकों के विषय में यह आदेश दिये गये थे कि ऐसे लिपिकों को निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के लिये समय दिया जाय परन्तु यदि किसी कारणवश वे इसमें असफल रहें तो जिनका कार्य अच्छा हो उनको शैक्षिक योग्यता से मुक्ति दिलाने के प्रस्ताव शासन को भेजे जायं। इस प्रकार उनमें सिर्फ उन्हीं की सेवायें समाप्त की गयीं जिनका कि कार्य खराब था और वह पदासीन रहने योग्य नहीं समझे गये।

*२---**श्री मुक्तिनाथ राय**---यदि हां, तो क्या आजमगढ़ जिले में इस आदेश के अनुसार कार्य हुआ? यदि नहीं, तो क्या कारण है?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, उपर्युक्त आदेशों के अनुसार आजमगढ़ जिले में कार्य हुआ है।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस आदेश के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी आजमगढ़ ने शैक्षिक योग्यता से मुक्ति दिलाने के लिए शासन को भेजा था? यदि हां, तो कब?

श्री रामस्वरूप यादव---२१ अक्तूबर, १९५३ को एक सज्जन को योग्यता से मुक्ति प्रदान की गयी थी।

श्री मुक्तिनाथ राय---मान्यवर, मैंने पूछा है कि पंचायत अधिकारी ने शासन को स्वीकृति के लिए कोई पत्र भेजा था? यदि हां, तो कब? इसका उत्तर नहीं मिला।

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, एक के बारे में सूचना थी। औरों के बारे में सूचना नहीं है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जितने लोग निकाले गये उनमें से पोलिटिकल सफरर भी कुछ लोग हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तियों के बारे में मुझे अलग-अलग जानकारी नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि कितने लोग इस प्रकार अयोग्य समझ कर निकाले गये?

श्री रामस्वरूप यादव---एक व्यक्ति को निकाल दिया गया।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी इस नयी योग्यता के सिद्धान्त को जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन पर नहीं लागू करने पर विचार करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव---अगर उनकी शिक्षा योग्यता से मुक्ति के लिये वहां से कागजात आयेंगे और अगर उनको ठीक समझा जायगा तो उनको यहां से इजाजत दे दी जायगी।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध हाई स्कूल और इंटरमीडियेट पास तथा वर्षों से विभाग में काम अच्छा करने वाले कुछ लिपिकों के आवेदन-पत्र विचारार्थ आये हैं कि उन्हें रिट्रेंचमेंट के नाम पर विभाग से अलग कर दिया गया है?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

आजमगढ़ नगरपालिका में मेहतर क्वार्टरों का किराया

*३---**श्री मुक्तिनाथ राय**---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि आजमगढ़ नगरपालिका का सन् १९५६-५७ के एकाउन्ट चेक करते समय सरकारी आडीटर ने नोट लिखा है कि आजमगढ़ नगरपालिका अपने मेहतर कर्मचारियों से मासिक किराया उन कमरों का वसूल करे जिसमें वे बिना किराया रहते हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ नगरपालिका ने प्रस्ताव पास करके इन मेहतर कर्मचारियों को बिना किराया रहने की स्वीकृति दी थी ? यदि हां, तो सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस समय सरकार ने आपत्ति नहीं की है। आडिटर ने एतराज किया है। आडिटर के जवाब के बाद सम्बन्धित नगरपालिका अपने जवाब में अगर शासन को लिखेगी तो उस समय विचार किया जायगा।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार आमतौर से हरिजन कर्मचारी जो नगरपालिकाओं में हैं, उनको निःशुल्क रहने का आदेश देने की कृपा करेगी, यदि म्युनिसिपैलिटी चाहे ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार के आदेश का प्रश्न नहीं उठता। वह मकान नगरपालिका के हैं। नगरपालिका जब उसके बारे में लिखेगी तो अवश्य विचार किया जायगा और सरकार की सहानुभूति मेहतरों के साथ है ही।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मकानों का किराया कोई नियत है और है तो कितना है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मकानों का किराया तो नियत वहां की नगरपालिका ने किया ही नहीं। पहले यह पुराने मकान मेहतरों के थे। गिर जाने के बाद शासन से कुछ रुपया अनुदान अथवा ऋण के रूप में उनको मिला, उससे उन्होंने वह मकान पक्के करवा दिये। उसके बाद उस पर कोई किराया उन्होंने नियत नहीं किया। इसी पर आडिटर ने एतराज किया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या यह देखते हुये कि यह मकान सरकारी ऋण से बनाये गए, सरकार अपनी ओर से आदेश उनको देगी कि निःशुल्क उनको वहां पर रखा जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार अपनी तरफ से कोई आदेश नहीं देगी। नगरपालिका को सरकार ने यह रुपया दिया है। नगरपालिका अगर समझती है तो वह सरकार को भेजेगी और जैसा मैंने निवेदन किया उस पर विचार किया जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)-- क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस आडिट रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद सरकार ने आजमगढ़ नगरपालिका से कोई रिपोर्ट मांगी है कि उनका इस सम्बन्ध में क्या रुख है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, वह तो नियम ऐसा है कि वह आडिट रिपोर्ट नगरपालिका को जाती है और उसकी प्रतिलिपि सरकार के पास आती है। उसके बाद उनका यह फर्ज होता है कि वह जवाब दें। अगर वह ऐसा समझते हैं कि किसी मामले में सरकार से एग्जम्पशन मिलना चाहिए तो वह सरकार को लिख देते हैं।

श्री गेंदासिंह--सरकार की नीति क्या है म्युनिसिपल बोर्ड के मेहतरों के मकान वगैरह के सम्बन्ध में ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, मेहतर नगरपालिका के कर्मचारी होते हैं। मकान भी नगरपालिका के हैं। इसका सरकार से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आडिट रिपोर्ट के अनुसार यदि नगरपालिका उन मेहतरों से दो या चार रुपया माहवार लेना शुरू कर दे तो सरकार को उस पर कोई एतराज तो नहीं होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। सरकार को कोई एतराज नहीं होगा।

महापालिकाओं का आगामी चुनाव

*४--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में नगर निगम के चुनाव में कितने जिलों में कितनी सीटें चुनाव के हेतु निर्धारित की हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार प्रदेश के पांचों कवाल नगरों में नगर महापालिकाएं स्थापित करने जा रही है। उक्त महापालिकाओं के लिए जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है वह इस प्रकार है:--

	सभासद	विशिष्ट सदस्य
कानपुर	७२	८
लखनऊ	६३	७
वाराणसी	५४	६
आगरा	५४	६
इलाहाबाद	५४	६

*५--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के नगर प्रशासक ने नगरपालिका में किन क्षेत्रों को मिलाने के लिये सुझाव दिया है ? इसके अतिरिक्त और कौन से सुझाव दिये हैं तथा उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रशासक, इलाहाबाद ने नगरपालिका की वर्तमान सीमा में बमरौली हवाई अड्डे के क्षेत्र को मिलाने का सुझाव दिया है जिसे सरकार ने मान लिया है और उस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

*६--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में नगर निगम चुनाव कब तक होंगे तथा उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया ?

श्री रामस्वरूप यादव--अभी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है सरकार प्रयत्न कर रही है कि चुनाव शीघ्र हो जाएं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो संख्या दी गई है इसमें हरिजनों की संख्या भी शामिल है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। सभासदों की कुल संख्या दी गई है। सभी शामिल हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि इलाहाबाद के प्रशासक ने फाफामऊ और नैनी को भी शामिल करने के लिये लिखा है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। जो सुझाव आया था उसमें उत्तर में गंगा नदी के उस पार फाफामऊ का क्षेत्र भी था।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि इलाहाबाद में हरिजनों की सीट कितनी सुरक्षित रखी गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये तो श्रीमन्, नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस महीने के अन्त तक सरकार इस स्थिति में आ जायगी कि निश्चित सूचना दे दे कि चुनाव कब करा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--अभी श्रीमन्, जो वोटर्स लिस्ट अध्यापकों द्वारा तैयार कराई गई थी सरकारी कर्मचारी उनकी जांच कर रहे हैं कि वह ठीक है या नहीं और जो वार्ड बनाये गए थे उनके भी सुझाव सब जगह से अभी नहीं आये हैं। वह प्रकाशित इसलिए कर दी गई थी कि जो आपत्ति हो लोगों को वह भेजें। वह अभी तक दो ही जगहों से आई है। तीन जगहों से आने को बाकी है। उसके बाद डिलिमिटेशन जब फाइनल हो जायगा तब निश्चित रूप से चुनाव के बारे में बताया जा सकेगा।

श्री कैलाशनारायण गुप्त (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो डिलिमिटेशन आफ वार्ड्स स्वीकार किया गया है वह किस आधार पर किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--आधार तो आम हुआ करते हैं। आबादी का और कहां किस वार्ड का होना ठीक है इसी आधार पर वहां के अधिकारी तैयार कर के आपत्तियों के सहित सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजेंगे।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनका ध्यान इस समाचार की ओर जो तीन-चार दिन पहले प्रकाशित हुआ था गया है कि सरकार इन महानगरपालिकाओं का चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार का तो इरादा है कि जितनी जल्दी हो सके चुनाव हो जायं लेकिन कुछ लोग कह जरूर रहे हैं कि मई में बहुत गरमी हो जायगी। मई के पहले चुनाव होना सम्भव नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कार्पोरेशन के चुनाव के नियम प्रकाशित हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो कब तक प्रकाशित हो जायंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--मुझे जहां तक स्मरण है प्रकाशित हो चुके हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--माननीय मंत्री जी ने बताया कि अध्यापकों द्वारा जो लिस्ट बनाई गई थी उसकी जांच हो रही है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार के किस ओहदे के अफसरों द्वारा यह जांच कराई जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जो जिला एलेक्शन आफिस होता है उनके कर्मचारियों द्वारा कराया जाता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस प्रकार यह जिला परिषद् के चुनाव गरमी की तेजी को देख कर न हो सके क्या नगर-पालिकाओं के भी चुनाव उसी गरमी के कारण न हो सकेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, भविष्यवाणी तो करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है लेकिन शायद कुछ विचार आपके भी हैं कि गरमी बहुत पड़ने लगेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या वह कार्यवाही जो ऐक्ट के अनुसार डायरेक्टर एलेक्शन व चीफ एलेक्टोरोल आफिसर मुकर्रर करने की होती है वह हो चुकी है ? यदि हां, तो कौन नियुक्त हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जो नियमों के अन्तर्गत होना चाहिये वह सब हो रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या संबंधित नगरों के चुनाव अधिकारियों को जहां यह महानगरपालिकायें बन रही हैं सरकार ने कोई ऐसे आदेश भेजे हैं कि फलां तारीख तक मतदाताओं की लिस्ट संशोधित कर लें और अपने क्षेत्र में जो संशोधन करना हो वह भेज दें ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने निवेदन किया कि सिर्फ वार्ड के बारे में जो आपत्तियां होंगी वही सरकार के विचार के लिये आयेंगी और उनकी तारीख निकल चुकी है। आपत्तियों के साथ-साथ वहां के अधिकारियों ने अपनी टिप्पणी शासन को नहीं भेजी है। जहां तक एलेक्टोरोल का सवाल है वह काम हो रहा है। इसके लिये कोई तारीख नहीं निश्चित की गई। आशा है जल्दी ही करेंगे।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--- क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि विभिन्न महानगरपालिकाओं के लिये जो स्थान नियत हैं वह किस आधार पर हैं? यदि जन-संख्या के आधार पर हैं तो आगरा की आबादी इलाहाबाद से बहुत ज्यादा है तो फिर उतना ही नम्बर क्यों रखा गया है?

श्री रामस्वरूप यादव---वैसे तो जन-संख्या का ही आधार खास आधार होता है। मैं नहीं कह सकता कि आगरा और इलाहाबाद की आबादी में बहुत फर्क है और क्यों ऐसा किया गया है इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी इस सदन को इस बात का आश्वासन देने के लिये तैयार हैं कि अधिक से अधिक कितने समय के अन्दर इनके चुनाव जरूर हो जायंगे?

श्री रामस्वरूप यादव--- मैंने निवेदन किया कि सरकार का तो यह प्रयत्न है कि मई में चुनाव हो जायं किन वार्ड्स के बारे में आपत्तियां किस प्रकार की आती हैं और कितना समय लगता है यह आपत्तियों के आने के बाद ही निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कितना समय लगेगा।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो महानगरपालिकाओं में सीट निर्धारित की गई है उसमें हरिजनों की संख्या के मुताबिक हरिजनों की सीट हैं?

श्री रामस्वरूप यादव--- ऐसा नहीं हो सकता है। हरिजनों को संख्या के अनुपात से जैसा कि एक नियम बना हुआ है उसी के अन्तर्गत सीट मिलेगी। कम नहीं मिलेगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इलाहाबाद में नैनी के उद्योगपतियों ने सरकार से इस बात की प्रार्थना की है कि नैनी को इसमें शामिल न किया जाय?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, ऐसी आपत्ति कुछ आई थी, लेकिन यह फाफामऊ, बमरौली और जमुना नदी का दक्षिणी भाग और नैनी का कुल एरिया यह इसकी हद के अन्दर सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

जंगलात की सड़कों पर बसों से कर लेना तथा फारेस्ट पंचायत ऐक्ट बनाने की प्रार्थना

*७---**श्री प्रतापसिंह**---क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में जंगलात की सड़कों पर बस में जाने वाले यात्रियों से टैक्स लिया जाता है? यदि हां, तो कितना और क्यों?

श्री रामस्वरूप यादव---यात्रियों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*८---**श्री प्रतापसिंह**---क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७-५८ में जिला नैनीताल में खटीमा व सुरह रेंज के किसानों को माफी की लकड़ी किस माह में दी गई और इस वर्ष कब दी जायगी?

श्री रामस्वरूप यादव——सन् १९५७-५८ की मुआफी अप्रैल, १९५८ से जून, १९५८ तक दी गई। इस वर्ष की मुआफी जनवरी व फरवरी, १९५९ में दी गई।

*९——**श्री प्रताप सिंह**——क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि फारेस्ट पंचायत नियम किस ऐक्ट के अनुसार बने हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव——फारेस्ट पंचायत नियम, शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट, १८७४ की धारा (६) के अन्तर्गत बने हैं।

श्री प्रताप सिंह——क्या वन मन्त्री जी इस बात की जांच करेंगे कि टनकपुर और नैनीताल में जो कुमायूं बस ओनर्स की बसेज चलती हैं उनसे जंगल विभाग के अधिकारी टैक्स ले रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)——टैक्स मुसाफिरों से नहीं लिया जाता है यह सही है, लेकिन जो बसेज चलती हैं उनसे कुछ रुपया इस गरज से लिया जाता है कि जंगल की जो कच्ची सड़कें होती हैं, वह बसों के लिये नहीं होतीं, तो उनकी मरम्मत करा सकें। इसी वजह से कुछ रकम निर्धारित की गई है कि अगर वह कच्ची सड़कों पर चलाते हैं तो उसकी मरम्मत के लिये कुछ रकम उनसे ली जाय।

श्री प्रताप सिंह— क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि एक साल पहले फारेस्ट डिपार्टमेंट जो रुपया लेता था वह बस के यात्रियों पर नहीं लगता था और आज मुसाफिरों पर लगता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको खत्म करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर——मैंने बताया कि हम लोग टैक्स नहीं ले रहे हैं। बस वाले अगर मुसाफिरों से लेते हैं तो लेते होंगे वे अपने पास से कहां से देंगे, लेकिन हम जो उनसे लेते हैं वह इस वजह से कि कच्ची सड़क की मरम्मत करा सकें वरना आमदरफ्त थोड़े दिनों के बाद बन्द हो जायगी और जंगलात का काम भी नहीं हो सकेगा। इसलिये जरूरी है कि उनसे यह लिया जाय।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट——क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इन सड़कों पर चलने वाले ट्रकों से मुफ्त में बजरी मरम्मत के लिये ढुलवाई जाती है और सरकार का पैसा खर्च नहीं होता ?

श्री सैयद अली जहीर— जी नहीं, मुझे यह इत्तला नहीं है कि मुफ्त में बजरी ढुलवाई जाती है।

श्री प्रताप सिंह —क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अब कुमायूं में यह १८७४ का डिस्ट्रिक्ट शिड्यूल ऐक्ट लागू नहीं है तो यह रूल किस तरह से लागू किया गया ?

श्री सैयद अली जहीर —इसके ऊपर विचार हो रहा है, लेकिन जो अभी ला डिपार्टमेंट की राय ली गई थी तो उसने यह राय दी है कि जो अडाप्टेशन आफ इंडियन लाज आर्डर, १९३७ बना था उसमें यह नोट है कि गोकि यह ऐक्ट लागू नहीं है, लेकिन जो रूल्स बने हैं वे लागू रहेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी——क्या यह सही है कि फारेस्ट कमेटी ने यह सिफारिश की है कि फारेस्ट पंचायत ऐक्ट अविलम्ब बनाया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर——जी हां, इसके ऊपर विचार हो रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी——क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो आश्वासन सरकार ने दो साल पहले दिया था कि फारेस्ट पंचायत बिल पेश किया जायगा उसको अविलम्ब कार्यान्वित करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---दो वर्ष पहले क्या आश्वासन दिया गया था इसका मुझे इस वक्त खयाल नहीं है।

लखनऊ में खयालीगंज का गन्दा नाला

*१०---**श्री त्रिलोकी सिंह** (जिला लखनऊ)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला खयालीगंज, शहर लखनऊ से जो नाला गुजरता है उसकी सफाई न कराने का क्या कारण है?

श्री रामस्वरूप यादव---मोहल्ला खयालीगंज में जो नाला गुजरता है उसकी सफाई नगरपालिका, लखनऊ आवश्यकतानुसार नियमित रूप से कराती है

*११---**श्री त्रिलोकी सिंह**---क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में उनके पास कितनी शिकायतें आई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रामस्वरूप यादव---खयालीगंज स्थित नाले में कूड़ा फेंकने के संबंध में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुईं तथा नगरपालिका, लखनऊ ने २० व्यक्तियों का चालान किया।

श्री प्रताप सिंह---क्या सरकार को ज्ञात है कि इस नाले की नित्य-प्रति सफाई होने के बाद भी इसमें इतनी गन्दगी है जिससे बदबू आती है और बेशुमार मच्छर हैं, इसके लिये सरकार क्या करने जा रही है?

श्री अध्यक्ष---मुझे ताज्जुब होता है कि वहां पर रहते तो त्रिलोकी सिंह जी हैं और बदबू आपको आती है।

श्री रामस्वरूप यादव---जहां नाला होता है वहां कोशिश यही की जाती है कि सफाई की जाय, लेकिन संभव हो सकता है कि गन्दगी हो और बदबू भी आती हो।

श्री प्रताप सिंह---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन २० व्यक्तियों के चालान हुये उन पर जुरमाना हुआ या क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामस्वरूप यादव---चालान का फैसला करना तो सरकार के हाथ में नहीं है, अदालतों के हाथ में है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन २० व्यक्तियों के चालान हुये उन्होंने उस नाले की सफाई नहीं की थी या किसी कारण से गन्दा किया था?

श्री रामस्वरूप यादव---उन्होंने गन्दा किया था, इस वजह से चालान हुये थे।

श्री प्रताप सिंह---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चालान का नतीजा क्या हुआ?

श्री रामस्वरूप यादव---नगरपालिका ने उनका चालान किया और अदालत जुरमाना करे या छोड़ दे सबूत के बाद में, यह उसके ऊपर है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार नाले की सफाई कराने का विचार कर रही है?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रमदान से सफाई हो सकती है, लेकिन वह कोई करता नहीं है, इसलिये नगरपालिका जो कर सकती है वह करती रहती है।

*१२---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

अयोध्या एवं मऊनाथ भंजन में बनने वाले पुल

*१३---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घाघरा और टोंस नदी पर केंद्रीय सरकार की आर्थिक सहायता से बनने वाले अयोध्या एवं मऊनाथ भंजन में पुलों का निर्माण आरम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्व-जनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीर सिंह)---प्रथम भाग---जी नहीं।

द्वितीय भाग---टोंस नदी के पुल का निर्माण पुल के स्थान के निर्णय के कारण रुका हुआ है। अयोध्या के पुल को स्वीकृति अभी केंद्रीय सरकार से नहीं आई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टोंस नदी पर जो पुल बनने वाला है उसके लिये कितने रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है ?

श्री महावीर सिंह---१२,४८,७०० रुपये अनुमानित लागत है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि टोंस नदी के पुल के बनने का जो स्थान सरकार द्वारा निश्चित किया गया है उसमें रुकावट है, इसका कारण क्या है ?

श्री महावीर सिंह---केंद्रीय सरकार की हिदायतें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैं यह जानना चाहता हूं कि जो स्थान सरकार द्वारा निश्चित किया गया है उस स्थान पर पुल न बनने का क्या कारण है ?

श्री महावीर सिंह---दरख्वास्तें आई थीं इस वजह से उसको रोक दिया गया है और उसकी जांच करवाई गई है।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अयोध्या घाट के पुल की योजना कब से केंद्रीय सरकार के विचाराधीन है ?

श्री महावीर सिंह---केंद्रीय सरकार ने तो तय कर दिया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो पुल टोंस नदी पर बनाने के लिये स्थान निश्चित किया गया है वह मऊ शहर से एक मील दूर पूरब की तरफ एक गांव को उजाड़ कर बनाया जाने वाला है, इसलिये वहां की प्लानिंग कमेटी ने और अन्य सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं ने सरकार से निवेदन किया है कि जहां पर पुल पहले था उसके पास में पुल बनाया जाय ?

श्री महावीर सिंह---केंद्रीय सरकार की हिदायत है कि जो रेल का पुल है उससे १,२०० फुट हट करके इसका निर्माण किया जाय इसलिये रेलवे पुल से १,४०० फुट हट करके पूर्वी हिस्से में इसे बनाना तय हुआ है।

श्री रघुरन तेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अयोध्या के पुल में अबतक क्या प्रगति हुई है ?

श्री महावीर सिंह---केंद्रीय सरकार के यहां से संशोधित आगणन मांगे गये थे, इसलिये गत दिसम्बर, १९५८ को मुख्य अभियन्ता को संशोधन के हेतु भेज दिया गया है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि किन बातों की जांच हो रही है ?

श्री महावीर सिंह---टोंस पुल के संबंध में कुछ दरख्वास्तें आई थीं जिनकी वजह से आगे की कार्यवाही रोक दी गई है।

हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज गोरखपुर को ऋण

*१४--**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जनवरी, सन् १९५५ से ३१ दिसम्बर, सन् १९५८ की अवधि में गोरखपुर में कितना धन सरकार द्वारा कर्ज के रूप में हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाईटीज को दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--उक्त अवधि में कुल ४५,५०० रुपये दिया जा चुका है।

श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह रुपया किन-किन व्यक्तियों को दिया गया है और कितने प्रतिशत ब्याज पर दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार इस तरह टाउन एरिया में भी रुपया देने का विचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--टाउन एरियाज के बारे में अभी विचार नहीं है। इस वर्ष जो रुपया दिया गया है वह करीब १ करोड़ ११ लाख है और उसका भी संबंध उन्हीं मकानों से है जो नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में है।

*१५--**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)--[१ अप्रैल, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१६--**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)--[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर में गन्दी बस्तियों को समाप्त करना

*१७--**श्री मुरलीधर कुरील**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि Slum Clearance and Sweeper's Housing Scheme के मातहत कानपुर शहर में कितने Slums १९५५ से १९५८ तक गिराये गये और उनमें कौन-कौन से हाते या बस्तियां कितनी-कितनी आबादी वाली आईं ?

श्री रामस्वरूप यादव--कानपुर नगर में Slum Clearance तथा Sweeper Housing Scheme के अन्तर्गत १९५५-से १९५८ तक की अवधि में १२ गन्दी बस्तियों को गिराने की कार्यवाही की गई। इन गन्दी बस्तियों तथा इनकी आबादी की अनुसूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८३७ पर)

*१८--**श्री मुरलीधर कुरील**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उपरोक्त Slums demolish हो चुके हैं ? यदि हां, तो उन पर कितने घर बने और उन पर कुल क्या लागत लगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--इन १२ गन्दी बस्तियों में से अधिकांश में मकान गिराने का कार्य पूरा हो चुका है। इनमें से बेनाझावर, रुक्मिणी देवी, मतैयापुरवा तथा उद्दनगढ़ी के स्थानों पर श्रमिक आवास गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत लगभग साढ़े बारह लाख रुपये की लागत से क्वार्टरों का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त पुराना कानपुर, लक्ष्मी पुरवा अनवरगंज, फूलबाग, मोती मुहाल आदि स्थानों की मेहतरों की झोपड़ियों को गिरा कर लगभग डेढ लाख रुपये की लागत से ७७ मकान बनाये गये।

*१९--**श्री मुरलीधर कुरील**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि कुछ Slums को कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड ने एक्वायर कर बाहरी लोगों को भी मकान बनाने हेतु दे दिये हैं ? यदि हां, तो वह बस्तियां कौन-कौन सी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं, बोर्ड द्वारा कोई भी स्लम एक्वायर कर के पूर्णतया किसी को मकान बनाने के लिये नहीं दिया गया। पुराने कानपुर में घुसरामऊ, रानीगंज, गुटैया खुर्द आदि स्थानों में पुरानी आबादियां हटा कर पहले वहां के रहने वालों को तथा बाद में अन्य लोगों को प्लाट दिये गये हैं।

श्री मुरलीधर कुरील---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन मकानों के गिराने से कितने परिवार बेघर हो गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---उनको दूसरी जगह प्लाट देने की व्यवस्था की जाती है।

श्री मुरलीधर कुरील---अधिकतर मेहतरों की झोपड़ियाँ गिराई गईं, तो उनको दूसरी जगह कहां दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---काफी क्वार्टर बन चुके हैं और वे चाहें तो उनमें से किराये पर ले सकते हैं। जहां संभव होता है उनके लिये मकान भी बनाये जावेंगे और कुछ सस्ते रेट पर उनको जमीन भी दी जाती है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---खन्दारी पुरवा के मेहतरों की बस्ती गिराई गई, उनको कहीं प्लाट नहीं मिले हैं और न रहने का ठिकाना दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सम्भव है कि कुछ लोगों को अभी मकान न मिले हों, लेकिन यह भी सम्भव है कि स्वयं वे लोग किराया या सबसीडाइज्ड रेट भी न देना चाहते हों या और भी दिक्कतें हो सकती हैं।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि---क्या खन्दारी पुरवा के मेहतरों ने लिखित शिकायत सरकार की सेवा में दी है कि उनको हटाकर अभी तक कोई प्लाट नहीं दिये गये और उनकी जगह दूसरों को नीलाम की जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---नोटिस चाहिये।

श्री झारखंडे राय---क्या मंत्री जी बतलावेंगे कि कानपुर में कुल कितने स्लम्स हैं जिन्हें ठीक कराने का सरकार ने अपने हाथ में कार्य लिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---इस योजना में मेहतरों के स्थान लेने के बाद क्या कोई स्वीपर्स कालोनी भी कहीं बनाई गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---स्लम्स क्लियरेन्स की स्कीम केंद्रीय सरकार की है। स्वीपर्स की हाउसिंग स्कीम हमारी प्रदेशीय सरकार की थी, जिसके लिये कुछ वर्ष हुये कुछ रुपया नगरपालिकाओं को दिया गया जिन्होंने मेहतरों के लिये मकान बनाये।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)---क्या इस योजना में केंद्रीय सरकार ने कुछ धन दिया था ? यदि हां, तो क्या वह इसी योजना में खर्च किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, यद्यपि अभी सब खर्च नहीं हुआ है।

श्री मुरलीधर कुरील---क्या यह सही है कि घुसरामऊ, रानीगंज और गुटैया खुर्द के ५० वर्ष के रहने वाले निवासियों से रुपये एडवांस के लेने के बावजूद भी कानपुर बोर्ड उनको प्लाट न देकर दूसरों को दे रही है ? और क्या वहां के लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---शिकायतें तो बहुत काफी आती हैं और आई होंगी, लेकिन कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लाट दिये जावें। जिनको हटाया जाता है उनको कम भाव पर प्लाट दिये जाते हैं।

श्री मुरलीधर कुरील---क्या यह सही है कि जिन्होंने एडवान्स दे दिया है उनको बावजूद रिप्रेजेंटेशन के भी प्लाट नहीं दिये गये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---आम तौर से तो मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। किसी खास मामले के लिये बताया जाय तो जांच कर ली जायगी।

*२०---**श्रीमती शकुंतला देवी** (जिला सहारनपुर)---[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*२१---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---[न्याय मंत्री से संबंधित २० मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

फरेंदा तहसील में रजिस्ट्रेशन विभाग न होने से कष्ट

*२२---**श्री गौरीराम गुप्त**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फरेंदा तहसील में अब तक रजिस्ट्रेशन विभाग नहीं खुला? यदि हां, तो क्यों?

श्री रामस्वरूप यादव---फरेंदा तहसील में रजिस्ट्री का काम काफी न होने के कारण सरकार ने वहां रजिस्ट्री कार्यालय खोलना आवश्यक नहीं समझा, परन्तु यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार को मालूम है कि वहां के कई हजार आदमी गोरखपुर और महाराजगंज जो कई मील की दूरी पर है, वहां रजिस्ट्री कराने के लिये जाते हैं और उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है?

श्री सैयद अली जहीर---यह हो सकता है, लेकिन इस पर हम फिर विचार कर रहे हैं और कई जगह नये दफ्तर खोलने का विचार है।

*२३---**श्री गौरीराम गुप्त**---[सहकारिता मंत्री से संबंधित २३ मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अलीगढ़ जल निकासी योजना

*२४---**श्री अनन्तराम वर्मा** (जिला अलीगढ़)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ शहर के ड्रेनेज स्कीम (Drainage Scheme) का कितना अनुमानित व्यय है? अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है? कब तक यह स्कीम पूरी हो जावेगी?

श्री रामस्वरूप यादव---अलीगढ़ जल निकासी योजना का अनुमानित व्यय लगभग ६७·०७ लाख रुपया है। अब तक इस योजना के लिये शासन द्वारा दिये गये धन में से ११,१०,३७६ रुपये गत जनवरी मास तक व्यय हो चुका है। योजना के पूरा होने के संबंध में कोई निश्चित समय बताना इसलिये कठिन है कि इस प्रकार की योजनाओं को सम्पन्न कराने के हेतु धन देने के लिये शासन बहुत कुछ भारत सरकार की आर्थिक सहायता पर निर्भर रहता है।

*२५---**श्री अनन्तराम वर्मा**---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ शहर की गन्दी बस्तियों में नाली तथा खड़ंजा बनाने के लिये कोई धन सरकार ने तजवीज किया है? यदि हां, तो कितना धन? उसमें से कितना धन व्यय हो चुका है?

श्री रामस्वरूप यादव---अलीगढ़ नगर में गन्दी बस्तियों में नाली तथा खड़ंजा निर्माण के लिये शासन ने अलग से कोई धन नहीं दिया है। ये कार्य जलनिकासी योजना के अन्तर्गत सम्मिलित हैं और योजना पूर्ण हो जाने पर इसका निर्माण हो जायगा।

*२६--श्री अनन्तराम वर्मा--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ शहर के गूलर रोड, इगलास रोड तथा सिकन्दराराव रोड के किसानों ने अपनी जमीन को ड्रेनेज स्कीम के अन्तर्गत बेदखल न करने के लिये सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो कब दिया है और सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार को २२ अगस्त, १९५८ को केवल गूलर रोड, एंटा रोड तथा इगलास रोड के किसानों की ओर से प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था उस पर सरकार ने निर्णय किया है कि जमीन तो ले ली जाये क्योंकि यह सलेज फार्म के लिये आवश्यक है, परन्तु जब उक्त फार्म की भूमि ठेके पर दी जाये तो विस्थापित किसानों को प्राथमिकता दी जाये तथा अन्य लोगों के मुकाबले उन्हें १० प्रतिशत कम पर ठेके दिये जायें।

श्री अनन्तराम वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या अलीगढ़ ड्रेनेज विकास योजना के अन्तर्गत सिविल लाइन्स और यूनिवर्सिटी एरिया भी शामिल है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अलीगढ़ नगर की ड्रेनेज स्कीम पर जो व्यय हो रहा है उसका कितना हिस्सा सरकार वहन कर रही है, कितना उसने अनुदान दिया और कितना कर्जा दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मार्च, १९५३ से सितम्बर, १९५४ तक ४·१२ लाख रुपया अनुदान के रूप में और बाकी करीब-करीब १२·२८ लाख रुपया ऋण के रूप में दिया गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अलीगढ़ नगरपालिका ने कितने रुपये के लिये सरकार के पास अपनी मांग पेश की थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--मांग तो काफी रुपये की थी, अभी भी वह विचाराधीन है और उनको कुछ और देने वाले हैं। ६६ हजार रुपया उनको दिया है उससे अगर चाहें तो वे खड़ंजा लगा सकते हैं।

श्री अनन्तराम वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन किसानों की जमीन ले ली गयी है उनको कोई कम्पेन्सेशन दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार उनको कम्पेन्सेशन दे दिया गया है।

*२७--**श्री नागेश्वर प्रसाद** (जिला जौनपुर)--[राजस्व मन्त्री से सम्बन्धित उन्नीसवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ९६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२८--**श्री अयोध्या प्रसाद आर्य** (जिला देवरिया)--[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

मेहतरों के क्वार्टर

*२९--**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की किन-किन स्थानीय निकायों में मेहतरों के कितने-कितने क्वार्टर्स हैं जो सरकारद्वारा बनाये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--सम्बन्धित सूचना संलग्न सूची में है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८३८ पर)

*३०--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में अब तक मेहतरों की गन्दी बस्तियों के स्थान पर स्वच्छ बस्ती सरकार द्वारा बनायी गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--केवल मेहतरों की गन्दी बस्तियों के स्थान पर स्वच्छ बस्ती बसाने हेतु कोई योजना नहीं है ।

Slum Clearance Scheme के अन्तर्गत जो अभी प्रदेश के केवल पांच बड़े नगरों में ही चालू हैं, सभी प्रकार की गन्दी बस्तियों के स्थान पर स्वच्छ बस्ती बनाने का प्राविधान है ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो क्वार्टर्स स्थानीय निकायों ने बनाये हैं, उनका वहां की नगरपालिका मेहतरों से किराया लेती है, उनको मुफ्त नहीं रहने दिया जाता ?

श्री रामस्वरूप यादव--अधिकतर नगरपालिकायें किराया लेती हैं, लेकिन वह बहुत ही थोड़ा किराया लेती हैं ।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि गतवर्ष शाहाबाद, जिला हरदोई की म्युनिसिपैलिटी ने सरकार से मेहतरों के क्वार्टर्स बनाने के लिये मंजूरी मांगी थी ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसका स्मरण नहीं है, लेकिन सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कोई भी म्युनिसिपैलिटी अपने मेहतरों के लिये क्वार्टर्स बनाये ।

श्री गेंदासिंह--मेहतरों के मकानों के संबंध में सरकार ने अब तक क्या आदेश दे रखे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार की तो यही इच्छा है कि मेहतरों को वे जितनी सुविधा द सकें, व दें । १९५३-५४ में सरकार क पास रुपया था वह बिना किसी शर्त के उसने मकान बनान के लिये दिया ।

*३१--श्री नरेंद्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)--[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

सरकारी खजानों में हिन्दी में बिल पास न होने की शिकायत

*३२--श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार को पता है कि सरकारी खजाने के अधिकारी उन बिलों को पास नहीं करते जो हिन्दी में लिखे हुए होते हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं ।

प्रश्न का द्वितीय भाग नहीं उठता ।

श्री डूंगर सिंह--यह मेरा निजी अनुभव है कि जो बिल खजाने में हिन्दी में लिखा हुआ जाता है उसको पास नहीं किया जाता है । ऐसी स्थिति में क्या सरकार इस प्रकार के आदेश देगी कि जो बिल हिन्दी में लिखे हुए खजाने में जायं उनको भी पास कर दिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, यह आदेश तो बहुत पहले से जारी हैं, जहां तक सेंट्रल गवर्नमेन्ट का ताल्लुक है उनके अलबत्ता कुछ ऐस आदेश हैं कि अगर बिल हिन्दी में हो तो उसका खुलासा अंग्रेजी में हो जिसमें यह लिखा हो कि किस मद में यह रुपया देना है, कितनी रकम देनी है और जो आफिसर है उसका दस्तखत अंग्रेजी के साथ होना चाहिये, लेकिन हमारा आदेश है कि अगर बिल हिन्दी में हो तो उसे जरूर मंजूर किया जाय ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टेट बैंक में अगर विधायकों का सिगनेचर भी बिल पर हिन्दी में होता है तो उनका बिल वहां नहीं लिया जाता, जब तक कि आइडेंटिफिकेशन उनके दस्तखत का अंग्रेजी में न करा दिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक स्टेट बैंक का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि प्रदेश की सरकार से उसका कोई डाइरेक्ट सरोकार नहीं है, लेकिन जहां तक आइडेंटिफिकेशन की बात ह, इसका रूल यह है कि हिन्दी या अंग्रेजी के हर सिगनेचर का जब आइडेंटिफिकेशन किया जायगा तभी बैंक द्वारा उसे रिकग्नाइज किया जायगा ।

महापालिकाओं की सीमाओं में वृद्धि

*३३---**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार राज्य की पंच महानगरियों की वर्तमान सीमा में कुछ वृद्धि करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वृद्धि का पूर्ण विवरण सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---कदाचित् माननीय सदस्य का तात्पर्य कवाल नगरों में स्थापित होने वाली महापालिकाओं की सीमाओं से है---यह सीमाएं वर्तमान नगरपालिकाओं की सीमाओं से कुछ अधिक हैं । दिनांक १०, ११ और १३ फरवरी, १९५९ के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्तियों में पूर्ण निर्धारित सीमाएं दी हुई हैं और इन †विज्ञप्तियों की एक-एक प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई हैं ।

चूड़ियों को बिक्री-कर से मुक्त करने की प्रार्थना

*३४---**श्री जगन्नाथ लहरी**---उत्तर प्रदेश में निर्मित गृह-उद्योगों की वस्तुओं को बिक्री-कर से मुक्त कर दिया गया है, क्या सरकार सदन की मज पर उस राजाज्ञा को रखने की कृपा करगी जिसके द्वारा गृह उद्योगों की वस्तुओं को मुक्त किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार ने समय-समय पर बहुत सी-वस्तुओं को जिनमें से कुछ का मोटे तौर से कुटीर उद्योग की वस्तुओं के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है, बिक्री-कर से मुक्ति प्रदान की है । परन्तु सरकार ने कुटीर उद्योग की सभी वस्तुओं को बिक्री-कर से सामान्य रूप से मुक्त नहीं किया है, और ऐसी वस्तुओं को कर से मुक्त करने के लिए कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किये गये हैं ।

*३५---**श्री जगन्नाथ लहरी**---क्या सरकार के पास कांच की चूड़ी के उद्योग को बिक्री-कर से मुक्त करने के सम्बन्ध में कुछ प्रार्थना-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामस्वरूप यादव---कांच की चूड़ियों को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर और अन्तर्राज्यिक बिक्री-कर के भुगतान के सम्बन्ध में सुविधा दिये जाने के बारे में कुछ प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं । उत्तर प्रदेश बिक्री-कर के सम्बन्ध में सुविधा प्रदान किये जाने के बारे में प्रार्थना-पत्रों पर सरकार विचार कर रही है, जबकि अन्तर्राज्यिक बिक्री-कर सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों को उचित विचार करने के बाद अस्वीकृत कर दिया गया है ।

श्री जगन्नाथ लहरी---कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से क्या सरकार कुटीर उद्योग की सारी वस्तुओं को सामान्य रूप से बिक्री-कर से मुक्त करने के निर्णय पर पुनः विचार कर रही है ?

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री सैयद अली जहीर---कुटीर उद्योग तरह-तरह के होते हैं। इस वक्त तक २३ ऐसी चीजें हैं जिनको हम बिक्री-कर से मुक्त कर चुके हैं, लेकिन सरकार की यह नीति नहीं है कि हर चीज जो कुटीर उद्योग कहलावे उसे बिक्री-कर से मुक्त कर दिया जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी---कांच की चूड़ियों का उद्योग जो फिरोजाबाद और उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख गृह उद्योग है उसको बिक्री-कर से मुक्त करने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय की क्या राय है, इसे बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---वह तो जैसा जवाब में कहा गया है कि जहां तक स्टेट के अन्दर उनकी बिक्री का सवाल है, उसके ऊपर तो हम विचार कर रहे हैं, लेकिन जहां तक इंटरस्टेट सेल्स टैक्स का ताल्लुक है उसके लिये उनकी दरख्वास्तें आयी थीं, उस सम्बन्ध में रूल यह है कि अगर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर के हाथ किसी और सूबे में बेची जायं तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लिया जायगा और उसी के आधार पर उनसे सेल्स टैक्स लिया जा रहा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या वित्त मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन कुटीर उद्योग की चीजों को बिक्री-कर से मुक्त कर दिया गया है उनको मुक्त करने का सामान्य सिद्धान्त क्या है और किस आधार पर उनको मुक्त किया जा रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर---वह ऐसा है कि जिन चीजों को खासतौर पर बढ़ावा देने की नीति होती है, या जिनकी बहुत ज्यादा अभी इब्तदाई हालत है, इस तरह के जो काम हैं उनको मुक्त किया जाता है।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री को यह विदित है कि जूता उद्योग जो आगरे का एक प्रमुख गृह उद्योग है, उस पर से भी वे सेल्स टैक्स हटाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, मुश्किल यह है कि खाली आगरे में ही जूते नहीं बनाये जाते हैं बल्कि और भी बहुत-सी जगहों पर बनाये जाते हैं। इस तरह से अगर आगरे के जूते उद्योग को बिक्री-कर से मुक्त करें तो और सब जगहों में जहां जूते बनते हैं उनको न मुक्त करना उचित न होगा।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन कुटीर उद्योगों के सामान पर बहुसूत्री कर पड़ता है अगर उसको हटा न सकें तो इतनी कृपा करेंगे कि उसको एक सूत्री-कर कर दें।

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, यह तो अलग-अलग मामला देखना होगा कि किस तरह की चीज को मुक्त माना जायगा। जब कोई दरख्वास्त आती है तो मेरिट्स पर देखा जाता है।

श्री झारखंडेराय---मुरादाबाद के जो कलई के बर्तन हैं उनके ऊपर से बिक्री-कर हटा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो बहुत ही ओल्ड इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है और इसकी मांग काफी है और देशों में भी जाते हैं, इसमें काफी लोगों को मुनाफा होता है, इसलिये ऐसी नीति कि इनको बिल्कुल मुक्त कर दिया जाय, नहीं है। लेकिन यह बात दूसरी है कि बाज-बाज स्टेजेज ऐसी हैं जिनके ऊपर उनको मुक्त किया जाय, या न किया जाय यह मामला अभी विचाराधीन है।

*३६-३७---**श्री भगवती सिंह शिशारद** (जिला उन्नाव)---[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

अयोध्या के पुल की निर्माण योजना

*३८--श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अयोध्या के निकट सरयू नदी पर जो पुल निर्माण हो रहा है उसमें कितना काम हो चुका है ?

श्री गिरधारीलाल--पुल के निर्माण का कार्य आरम्भ भी नहीं हुआ है।

*३९--श्री बलदेव सिंह (अनुपस्थित)--पुल के निर्माण होने में कितना समय लगेगा ?

श्री गिरधारीलाल--प्रश्न ही नहीं उठता।

*४०--श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)--[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*४१--श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*४२--श्रीमती राजेंद्र कुमारी (जिला हमीरपुर)--[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*४३--श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

मैनपुरी जिले के पंचायत विभाग के परिगणित जाति के व्यक्ति

*४४--श्री रामदीन (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में पंचायत विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं तथा किन-किन पदों पर और उनमें से कितने परिगणित जाति के हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जिला मैनपुरी में पंचायत विभाग में जिला पंचायत अधिकारी के अतिरिक्त कुल १५५ कर्मचारी हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है :

क्रमांक	कर्मचारी	संख्या
१	सहायक जिला पंचायत अधिकारी	१
२	पंचायत निरीक्षक	७
३	पंचायत लिपिक	७
४	पंचायत चपरासी	८
५	पंचायत मंत्री	१३२

इन पदों में से एक पंचायत निरीक्षक, एक पंचायत लिपिक तथा दस पंचायत मंत्री परिगणित जाति के हैं। सहायक जिला पंचायत अधिकारी तथा चपरासियों में कोई परिगणित जाति का नहीं है।

*४५-४६--श्री अभयराम यादव (जिला इटावा) [सहकारिता मन्त्री से सम्बन्धित १६ मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या १९-२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

टाउन एरिया कमेटी, निजामाबाद के अध्यक्ष का चुनाव

*४७---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंग कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत निजामाबाद टाउन एरिया अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है ? यदि हां, तो अध्यक्ष का चुनाव कब कराने का आयोजन सरकार द्वारा किया जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां ।

टाउन एरिया कमेटी, निजामाबाद के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि २९ मार्च, १९५९ निर्धारित की गई है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी बतायेंगे कि अविश्वास का प्रस्ताव कब पास हुआ था और मुख्य-मुख्य कारण क्या हैं उस प्रस्ताव में ?

श्री अध्यक्ष---मूल प्रश्न तो यह पूछा था कि उनके रिक्त स्थान पर चुनाव कब होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---नहीं उसमें अविश्वास का प्रस्ताव भी है ।

श्री अध्यक्ष---उसका जवाब दे दिया और चुनाव की तिथि भी बता दी गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि अविश्वास के प्रस्ताव में कौन-कौन सी मुख्य मांगें थीं ?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं । मैं समझता हूं मूल प्रश्न से आपका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता कि आप अविश्वास के प्रस्ताव की बातों का ब्योरा पूछना चाहते थे । आप तो यह जानना चाहते थे कि प्रस्ताव पास हो गया तो किस रोज चुनाव होगा । इसलिये यह बहुत ब्योरे का पूरक प्रश्न है मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री प्रताप सिंह---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि अब तक चुनाव न कराये जाने के कारण क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---कोई देरी नहीं हुई है । ७ फरवरी को अविश्वास का प्रस्ताव पारित हुआ और १६ फरवरी को उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ और २९ मार्च को चुनाव की तिथि मुकर्रर हो गई ।

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, इस प्रश्न के दो भाग हैं । प्रथम तो यह कि क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत निजामाबाद टाउन एरिया के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है ?

उसका जवाब मिला है, हां ।

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अविश्वास के प्रस्ताव के पास करने में क्या-क्या चार्जेज लगाये गये थे ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता । इसलिये नहीं देता हूं कि अगर उसके आगे प्रश्न न पूछा गया होता तो मैं समझ लेता कि उनका उद्देश्य पूछने का यह है कि अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में कोई झगड़ा है लेकिन उनका उद्देश्य यह प्रश्न में दिया है कि अगर प्रस्ताव पास हो गया है तो चुनाव कब होगा । चुनाव के ऊपर उनका जोर है । इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि जो अध्यक्ष निकाला गया हो उसके विरुद्ध सब आक्षेप यहां पर बयान किये जायं, चुने हुए आदमी के बारे में पूरक प्रश्नों द्वारा उचित नहीं है ।

श्री प्रताप सिंह---मंत्री जी बतायेंगे कि अविश्वास का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ या बहुमत स पास हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---जब ७ तारीख को अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ तो १६ तारीख को इस्तीफा स्वीकार करने की क्या बात हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव---उनको इस्तीफा देने का भी अधिकार है । उन्होंने इस्तीफा दे दिया, स्वीकार कर लिया गया । दोनों का मतलब एक ही हुआ ।

*४८-४९---**श्री जगन्नाथ प्रसाद**---[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५०-५१---**श्री रामअभिलाख** (जिला गोंडा)---[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५२---५४---**श्री तेजबहादुर** (जिला आजमगढ़)---राजस्व मंत्री से सम्बन्धित उन्नीसवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ९१-९३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*५५---**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया) व **श्री शिवप्रसाद नागर**---[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५६---**श्रीमती राजेंद्र कुमारी**---[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५७-५८---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)---[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित उन्नीसवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १०-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*५९-६०---**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)---[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

कानपुर की बेनिफिट सर्किट कम्पनियां

*६१---**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि कानपुर में बेनिफिट सर्किट के नाम से नये प्रकार का व्यापार चालू है ? यदि हां, तो इस प्रकार की कितनी कम्पनियां हैं और उसके नाम व पते क्या हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, कानपुर में इस प्रकार का व्यापार चालू है । अब तक सरकार को केवल ऐसी ४१ फर्मों का पता चला है जिनके नाम व पते संलग्न सूची १ में दिये हुए हैं ।

*६२---**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (अनुपस्थित)---क्या यह सब कम्पनियां रजिस्टर्ड हैं ? यदि नहीं, तो क्या यह कम्पनियां आय-कर देती हैं ? यदि हां, तो उनके संचालकों के नाम व पते क्या हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---आवश्यक सूचना † संलग्न सूची २ में दी गई है ।

देवरिया नगरपालिका के कर्मचारियों का अधिक वेतन ले लेना

*६३---**कुंवर श्रीपाल सिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि देवरिया नगरपालिका के कर्मचारियों ने अपने वेतन में १७ हजार रुपया अधिक ले लिया ? यदि हां, तो यह रुपया कितने दिनों में लिया गया है तथा किन-किन कर्मचारियों ने लिया है ?

---

†सूचना नहीं छापी गई ।

श्री रामस्वरूप यादव---नगरपालिका देवरिया के कर्मचारियों ने अपने वेतन में १७ हजार रुपये नहीं बल्कि १४,२८९ रु० १० नये पैसे अधिक ले लिया है। यह रुपया दिनांक १ अप्रैल, १९५० से ३१ मार्च, १९५४ की अवधि में लिया गया है। इन कर्मचारियों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८३९-८४० पर।)

*६४---**कुंवर श्रीपाल सिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह भी सत्य है कि उपर्युक्त प्रश्न में कहे गये धन के बारे में आडिटर की रिपोर्ट भी उन कर्मचारियों ने दबा रखी थी और उसे बोर्ड के सामने ही नहीं आने दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से यह रुपया उन लोगों ने एडवान्स ले लिया ?

श्री रामस्वरूप यादव---सन् १९४९ में जो वर्गीकरण नगरपालिकाओं का हुआ तो यह पंचम वर्ग की नगरपालिका थी। वहां के नगरपालिका के अधिकारियों ने उस ग्रेड को जो कि पंचम वर्ग के नोटीफाइड एरिया का होना चाहिये, लागू नहीं किया और जो पहले से वेतन पाते चले आ रहे थे वही पाते रहे, जिसकी वजह से रुपया ज्यादा पहुंच गया।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस गड़बड़ी का पता उन्हें कब लगा और किसके द्वारा जांच कराई गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---जैसा कि सवाल में, श्रीमन्, पूछा गया, आडिट रिपोर्ट के द्वारा पता चला।

श्रीगेंदा सिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ६५ नाम जो बकायादारों के हैं, उनमें से पहले दो नाम श्री आर० एस० सिनहा और श्री मंगलाप्रसाद २,२०० रु० और १,७०० रु० के जो बकायादार हैं वे म्युनिसिपलटी में काम करते हैं और किस ओहदे पर ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

गोलागोकर्णनाथ-शाहजहांपुर सड़क पर गोमती का पुल टूटने से बस दुर्घटना

*६५---**श्री त्रिलोकी सिंह**---क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोलागोकर्णनाथ-शाहजहांपुर सड़क पर गोमती नदी का जो पुल टूट गया है उसके बनाने के लिये क्या प्रयत्न किया गया है ?

श्री महावीर सिंह---इस स्थान पर एक अस्थायी लकड़ी का पुल बना कर यातायात कायम रखने के लिये ४ जनवरी, १९५९ को खोल दिया गया है। इस स्थान पर एक पक्के पुल के निर्माण का प्रबन्ध भी हो रहा है।

*६६---**श्री त्रिलोकी सिंह**---क्या निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उक्त पुल टूटने के कारण रोडवेज की एक बस यात्रियों सहित नदी में गिर पड़ी थी ?

श्री महावीर सिंह---उक्त पुल के टूटने के कारण रोडवेज की एक बस यात्रियों सहित गिर कर पुल के टूटे भागों में ६,७ फीट नदी की तह से ऊपर फंस गई थी।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बस पुल टूटने के कारण गिर गई थी वह अभी तक पड़ी है या निकाल ली गई ?

श्री महावीर सिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री प्रताप सिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल के टूटने का क्या कारण था और इसका निरीक्षण कब किया गया था ?

श्री महावीर सिंह--इस पुल के लिये यह हिदायत थी कि ४ टन से अधिक बोझ न लाया जाय और कोई भी रोडवेज की बस सवारियों को लेकर इस पर न जाय। लेकिन इन कानूनों को तोड़ा गया, इसलिये ऐसा हुआ।

श्री प्रताप सिंह--इस पुल के टूटने से कितने आदमियों की जानें गईं और कितने माल का नुकसान हुआ ?

श्री महावीर सिंह---जान तो एक भी नहीं गई, कुछ आदमी आहत जरूर हुए थे।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---वह कहते हैं कि खिलाफ कानून हुआ। तो इसको तोड़ने वाले तो रोडवेज वाले ही थे। उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री महावीर सिंह--रोडवेज विभाग इसके ऊपर कार्यवाही कर रहा है।

श्री शिवप्रसाद नागर---इस पुल के टूटने के पहले सरकार के पास कोई भी सूचना किसी विभाग द्वारा आई जिसमें यह सूचित किया गया हो कि पुल बहुत कमजोर है और जल्दी टूटने वाला है ?

श्री महावीर सिंह---ऐसी कोई सूचना नहीं आई।

सीतापुर जिले में सड़कों का निर्माण

*६७---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकार में कितने मील कंकड़ की, कितने मील डामर (कोलतार) की, कितने मील सीमेंट कंकरीट की और कितने मील कच्ची सड़कें हैं ?

श्री गिरधारी लाल---इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६८---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों की देखरेख तथा नई सड़कें बनाने के हेतु पी० डब्ल्यू० डी० विभाग, सीतापुर, पर कितना रुपया सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रतिवर्ष खर्च होता है और कितने अधिकारी तथा कर्मचारी कार्य करते हैं ?

श्री गिरधारी लाल---इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

कानपुर में गंगा में गंदा पानी गिरने से रोकने की प्रार्थना

*६९---**श्री भगवतीसिंह विशारद**---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगरपालिका एवं सुधार बोर्ड की सीमाओं के अन्दर कौन-कौन गन्दे नाले और किन-किन फैक्टरियों का गंदा पानी गंगा जी में आकर मिलता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इस समय सनातन धर्म कालेज, डी० ए० वी० कालेज और पावर हाउस के पास से गुजरने वाले नालों का गन्दा पानी गंगा जी में गिरता है। फैक्ट्रियों में जाजमऊ की टैनरियों का गन्दा पानी गंगा जी में जाता है। इसके अतिरिक्त म्योर मिल तथा कुछ अन्य फैक्ट्रियों का गन्दा पानी भी उपरोक्त नालों के द्वारा गिरता है।

*७०---**श्री भगवतीसिंह विशारद**---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन गंदे नालों एवं फैक्टरियों का गंदा पानी कब तक गंगा जी में आकर मिलने से रोक दिया जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उपरोक्त नालों में से एस० डी० कालेज के पास नवाबगंज के छोटे नालों के पानी को पम्प करने की योजना बनाई जा रही है। डी० ए० वी० कालेज और पावर हाउस के पास से गुजरने वाले नालों को भी बन्द करने का प्रबन्ध किया जा रहा है। जाजमऊ क्षेत्र का विकास कार्य आगामी वर्ष से शुरु किया जायगा और उसी के साथ-साथ टैनरियों का गन्दा पानी नये सीवर में मिलाने की व्यवस्था की जायगी।

तालबेहट टाउन एरिया के सदस्यों के विरुद्ध शिकायत

*७१---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार के पास तालबेहट, जिला झांसी, की टाउन एरिया कमेटी व उसके सदस्यों के विरुद्ध हजारों रुपया टैक्स वसूल न करने और कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में २९ जुलाई, १९५८, १ सितम्बर, १९५८, १५ नवम्बर, १९५८, ५ दिसम्बर, १९५८ और १३ दिसम्बर १९५८ को कुछ प्रार्थना-पत्र आये थे ? यदि हां, तो तभी तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---प्रश्न में उल्लिखित आशय के प्रार्थना पत्रों में से केवल पहला पत्र दिनांक २९ जुलाई १९५८ शासन को प्राप्त हुआ था। जांच कराई गई और शिकायतें मुख्यतः सच पाई गईं। इसी बीच इस कमेटी के चैयरमैन ने त्यागपत्र दे दिया परन्तु पुनः निर्वाचन से वह फिर चेयरमैन के पद के लिये चुन लिये गये। टैक्स के सिलसिले में जिलाधीश ने सख्त हिदायत कर दी है कि बकाया टैक्स वह बकायादारों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर के जल्दी से जल्दी वसूल कर लें और जिन मेम्बरों के ऊपर टैक्स बाकी है उनको भी चेतावनी दे दी गई है। तहसीलदार को भी जिलाधीश ने आदेश दे दिया है कि आवश्यकतानुसार कुर्की कराकर अमीन द्वारा कर वसूली कराये। जिलाधीश ने सामान्य प्रशासन के सुधारने के लिये भी आवश्यक आदेश दे दिये हैं।

गाजीपुर में कलेक्टर घाट के नाले की सुरक्षा दीवार

*७२---**श्री यमुना सिंह** (जिला गाजीपुर)---क्या यह सही है कि जिला गाजीपुर में शहर में कलेक्टर घाट से गुजरने वाली नहर की सुरक्षा की दीवार टूट गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको बनवाने तथा साफ कराने पर शीघ्र विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां। प्रश्नगत् नहर जो वास्तव में एक नाला है, की सुरक्षा की दीवार जगह-जगह पर टूट गई है। नगरपालिका, गाजीपुर ने, जिस पर उक्त नाले के रखरखाव का दायित्व है, धनाभाव के कारण उसे बनवाने तथा साफ कराने में असमर्थता व्यक्त की है।

मैनपुरी-किशनी सड़क की मरम्मत

*७३---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में मैनपुरी से भांवत होकर किशनी जाने वाली सड़क के लिये सन् १९५६ व १९५७ ई० में ७५ हजार रुपये मरम्मत के लिये स्वीकार किये थे पर २५ हजार रुपये देने के बाद फिर नहीं दिये गये और सड़क का काम अधूरा पड़ा है ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री गिरधारी लाल---सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रमुख अरण्यपाल, लखनऊ के कैम्प कार्यालय पर व्यय

*७४---**श्री प्रताप सिंह**---क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में प्रमुख अरण्यपाल के लखनऊ के कैम्प कार्यालय को चलाने व उसकी इमारत पर कितना खर्च प्रतिमाह हो रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर---प्रमुख अरण्यपाल के कैम्प कार्यालय में स्टाफ के वेतन पर प्रति माह ७८७ रु० खर्च हो रहा है। इसकी इमारत पर इस समय कुछ खर्च नहीं हो रहा है। डाक के लाने व लेजाने इत्यादि के खर्च के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

डेवलपमेंट बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्ड, कानपुर में शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की कमी

*७५---**श्री गरीब दास** (जिला जालौन)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डेवलपमेंट तथा म्युनिसिपल बोर्ड, कानपुर के प्रबन्धक द्वारा दिनांक ३० दिसम्बर १९५५ ई० को क्या यह आदेश निकाला गया था कि बोर्ड में शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की संख्या बहुत कम है इसलिये निश्चय किया जाता है कि आगे से जितने चपरासी व खादिमायें बोर्ड में रखी जावें वे सब शेड्यूल्ड कास्ट की होनी चाहिये और शेड्यूल्ड कास्ट के अलावा भविष्य में उपर्युक्त स्थानों पर किसी अन्य की न तो नियुक्ति की जावेगी और न ऐसी नियुक्ति का वेतन ही दिया जावेगा ?

*७६---यदि हां, तो क्या इस आदेश के अनुसार कार्यवाही की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इन प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

मऊरानीपुर नगरपालिका का पानी के लिये प्रोजेक्ट

*७७---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मऊरानीपुर नगरपालिका (जिला झांसी) में पानी के नल लगाने की योजना का जो प्रोजेक्ट स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा था, वह तैयार हो गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मऊ रानीपुर नगरपालिका (जिला झांसी) में पानी के नल लगाने की योजना का प्राजेक्ट लगभग तैयार है। पूर्ण हो जाने पर आगे उचित कार्यवाही की जायेगी।

गढ़वाल जिले की नागानाथ सड़क

*७८---**श्री नरेंद्रसिंह भंडारी**---क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गढ़वाल जिले के उत्तरीय बन क्षेत्र में सारी नागनाथ रोड मोटरीय यातायात के काबिल कब तक बनायी जायेगी ?

श्री गिरधारी लाल---सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की नल कूप योजना

*७९---**श्री गौरीराम गुप्त**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में १९५७-५८ में पानी पीने के नल लगाने की योजना बनायी गई थी ? यदि हां, तो कितने नल लगाये गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सूचना एकत्रित की जा रही है।

नई सड़कों का निर्माण

*८०---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष (१९५८-५९) में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कौन-कौन सी नयी सड़कें किस लागत पर बनवाई जा रही हैं ?

श्री गिरधारी लाल---यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची† में दी गई है।

†सूची छापी नहीं गई।

अतारांकित प्रश्न

१-२---श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---[३१ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

जालौन जिले में परिगणित तथा पिछड़ी जातियों के कर्मचारी

३---श्री गरीबदास---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंचायत विभाग, जिला जालौन, में किन-किन पदों पर कितने-कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा उनमें प्रत्येक पद पर अलग-अलग कितने-कितने परिगणित जाति तथा पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---पंचायत राज विभग, जिला जालौन, में निम्नलिखित कर्मचारी काम कर रहे हैं :---

पद	संख्या
जिला पंचायत अधिकारी	१
सहायक जिला पंचायत अधिकारी	१
पंचायत निरीक्षक	५
पंचायत मंत्री	८१
पंचायत लिपिक	५
पंचायत चपरासी	६

जिला पंचायत अधिकारी, सहायक जिला पंचायत अधिकारी, पंचायत निरीक्षकों तथा पंचायत लिपिकों में कोई परिगणित जाति अथवा पिछड़ी जाति का नहीं है ।

५ पंचायत मंत्री परिगणित जाति के और १२ पंचायत मंत्री पिछड़ी जाति के हैं। परिगणित जाति का कोई चपरासी नहीं है और ५ चपरासी पिछड़ी जाति के हैं।

जालौन जिले में रिजर्व जंगलात की भूमि

४---श्री गरीबदास--- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में ऐसी कितनी भूमि है जो ग्राम समाजों से रिजर्व जंगलात के लिये ली गई हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---सूचना एकत्रित की जा रही है।

बिधूना ब्लाक के पंचायत घर

५---श्री गरीबदास---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में विधूना ब्लाक के किन-किन गांवों में पंचायत घर बन चुके हैं और किन-किन गांवों में बनने शेष हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जिला इटावा में विधूना ब्लाक के रुरुगंज, रुरुखुर्द, चिरकुआ, मऊ तथा बरकसी ५ गांवों में पंचायत घर बन चुके हैं। शेष ८० गांवों में जिनकी सूची संलग्न है, पंचायत घर बनने शेष हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८४१ पर)

गढ़वाल जिले में पौधशालायें तथा अश्व मार्ग

६---श्री नरेंद्रसिंह भंडारी---क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत दो वर्षों के अन्दर गढ़वाल जिले के अन्दर जंगलात विभाग की ओर से कितनी नर्सरियां खोली गई हैं, इन नर्सरियों में कितने प्रकार के पौधे तैयार किये जा रहे हैं तथा आगामी वर्ष में कहाँ-कहां नई नर्सरियां खोलने की योजना सरकार के सामने है ?

श्री सैयद अली जहीर---सूचना एकत्रित की जा रही है।

७---**श्री नरेंद्रसिंह भंडारी**---क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि गढ़वाल जिले के उत्तरी वृत्त के अन्दर विगत दो वर्षों के अन्दर विभाग की ओर से कितने नये अश्वमार्ग बनाये गये और कितने पुराने अश्व मार्गों की मरम्मत हुई और इस पर कुल कितना खर्चा लगा ?

श्री सैयद अली जहीर---सूचना एकत्रित की जा रही है।

उत्तर के स्पष्टीकरण की मांग

श्री गरीबदास (जिला जालौन)---अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्न संख्या ७५-७६ के विषय में जानना चाहता हूं कि उनके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि अभी सूचना एकत्रित की जा रही है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जब सूचना एकत्रित हो जायगी तो वह मुझे भी मिल सकेगी या नहीं।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये पहले अनेकबार जवाब दिया जा चुका है कि जब सूचना एकत्रित हो जाती है तो वह बाद में दी जाती है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन*

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या १२९८-अ र० एस०/१-अ- १०४२ -५५, दिनांक ८ जुलाई, १९५८ ई० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

गवर्नमेंट ग्रांट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा---मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित गवर्नमेंट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९, की प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८४२ पर)

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ११ फरवरी, १९५९, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २० फरवरी, १९५९, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ६ मार्च, १९५९, को प्राप्त हो गई और वह १९५९ का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

---

*छापे नहीं गये।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास श्री उग्रसेन ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है लेकिन मैंने उसको स्वीकृति नहीं दी है क्योंकि आज बजट की आम बहस होने वाली है सामान्य प्रशासन के ऊपर, उसमें भी उक्त विषय का जिक्र आ सकता है और जिस वक्त कि १६ तारीख को श्रम विभाग का बजट आयेगा उस वक्त भी बहस हो सकती है और संबंधित विभाग को सूचना दे दी गई है . . .

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मैं, श्रीमन्, एक निवेदन करना चाहता हूं कि श्री मदन पांडेय और श्री मुकुन्द सिंह जी की हालत बहुत खराब है, हाथ पैर फूल गये हैं और स्थिति चिन्ताजनक है . . .

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, अगर यह स्वीकार भी हो जाता तब भी इसके ऊपर ४ बजे से पहले बहस नहीं हो सकती थी लेकिन जैसा मैंने कहा इसके अनुसार तो सामान्य प्रशासन के सिलसिले में उससे पहले ही बहस हो सकती है, मैं तो इतनी देर भी नहीं करना चाहता। और आज के अलावा १६ तारीख को भी बहस हो सकती है . .

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी इस विषय का जवाब देंगे ?

श्री अध्यक्ष---वह उनके पास पहुंच गया है, जवाब तो वह बाद में देंगे ही।

सोशलिस्ट सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन देने की अवधि में वृद्धि

श्री अध्यक्ष---मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि ८ सितम्बर, १९५८ को सदन में जो अशान्ति हुई थी उसके सम्बन्ध में सोशलिस्ट पार्टी के १२ माननीय सदस्यों के विरुद्ध सचिव की शिकायत को ९ फरवरी, १९५९ को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया गया था और विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २६८ के अनुसार समिति की रिपोर्ट एक महीने के अन्दर अर्थात् ९ मार्च तक आ जानी चाहिये थी। समिति के सभापति ने मुझ से प्रार्थना की है कि कुछ विशेष कारणों से समिति अपना कार्य अभी तक समाप्त नहीं कर सकी है और इसलिये प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये दो माह की अवधि और बढ़ा दी जाय। मैंने उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि दो महीने और बढ़ा दी है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह प्रार्थना आपके पास कब आई, क्योंकि ९ तरीख के बाद आज तो १० तारीख है न ?

श्री अध्यक्ष---कल यह मेरे पास प्रार्थना आयी, मैंने आज अपनी आज्ञा की सूचना दे दी है।

श्री राजनारायण---यह वैधानिक प्रश्न होता है कि ९ तारीख को इनको रिपोर्ट पेश करना चाहिए थी तो उसकी ८ तारीख को सूचना देनी चाहिए थी कि ९ को पेश नहीं कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष---किसको देनी चाहिए थी ?

श्री राजनारायण---आप को देते, हमको देते, आप के द्वारा सदन को देते। लेकिन उनको ८ को सूचना देनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष---वह जब भी इजाजत मांगें, उसके लिए तो मुझे इजाजत देनी होती है, वह मैंने दे दी।

श्री राजनारायण---इसमें तो सदन के निश्चयों की उपेक्षा की जा रही है। सदन का निश्चय तो यह था. . .

श्री अध्यक्ष---सदन का कोई निश्चय नहीं है, आप कृपा कर के बैठें। यह तो मैंने निश्चय करके रेफर किया एंक्वायरी के लिए: तो मेरे हुक्म से हुआ।

श्री राजनारायण--- आपने कोई बात सदन में रखी कि हम इनको एक महीने की अवधि दे रहे हैं और वह समय के लिए मांग ८ तारीख को न रख कर ९ को रखी और उसी रोज उसकी चर्चा आ जानी चाहिये थी और १० को आप सुना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं तो तारीख १५ को भी सुना सकता हूं।

श्री राजनारायण---हां, आप तो सर्वाधिकार संपन्न हैं।

श्री अध्यक्ष---जिस रोज उन्होंने मांग की यानी कल, उसी दिन मैंने इजाजत दे दी और आज आपको सुना दिया, इसमें अवैधानिक बात कोई नहीं है।

विभिन्न स्थायी समितियों व प्राक्कलन तथा लोक लेखा समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष---एक सूचना और है कि विभिन्न स्थायी समितियों तथा प्राक्कलन समिति व लोक लेखा समिति के निर्वाचन के लिए १० मार्च तक नामांकन पत्र प्राप्त होने थे। कांग्रेस दल के सचेतक ने मुझसे प्रार्थना की है कि यह निर्वाचन अप्रैल मास में कराये जायं। मैंने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार होगा ---

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय : ७ अप्रल १९५९ को सांयकाल ५ बजे तक---

नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय : ९ अप्रैल, १९५९ के दिन के २ बजे सचिव के कमरे में।

नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय : १३ अप्रैल, १९५९ के सांयकाल ५ बजे तक।

निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो विधान वाचनालय में : १५ अप्रैल, १९५९ को १२ बजे से ५ बजे तक।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, जरा मैं एक सूचना जानना चाहता हूं कि इस तरह से स्टैंडिंग कमेटी के सम्बन्ध में कई बार तिथि टाली गयी है, यह टलती क्यों है यह बताया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---यह इसलिये टलती हैं कि आप लोग एक मत नहीं हो रहे हैं।

श्री राजनारायण---हम लोग नहीं कहते? जितने विरोधी दल हैं उनमें तो कोई मतभेद नहीं है, उन्होंने अपने नाम तय कर लिये हैं और दे दिये हैं और आज उसकी तारीख थी तो फिर बढ़ाने का कारण बताया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---माननीय सचेतक जी, आप इसके लिये कारण बतायें ?

श्री नरेंद्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं कि कुछ कार्यवश पार्टी में ये चीजें तय नहीं हो पायीं और विरोधी दल के नेता जी से मैंने इस बारे में बात-चीत भी की, तो हम दोनों ने यही उचित समझा कि इसको पोस्पोन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---तो इसका मतलब यह है कि राजनारायण जी का इतना कहना थोड़ा सही मालूम होता है कि उनकी तरफ से कोई देर नहीं हुई और अब आखिरी बार यह पोस्टपोनमेंट हो रहा है। इसके बाद तो आप समय नहीं मांगेंगे ?

श्री नरेंद्रसिंह विष्ट---जी नहीं, अब नहीं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि अब "थोड़ा" शब्द को "पूरा" में परिणत कर दें ?

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि जो हाउस की कमेटीज बनें उनके चेयरमैन मिनिस्टर्स न बनाकर मेम्बरान या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बनाया जाय तो अत्युत्तम होगा।

श्री अध्यक्ष---यह तो जब आप नियम परिवर्तन करायें तभी होगा।

(कुछ ठहर कर)

अब इसके बारे में तो मैंने यह बता दिया कि जब यह आक्षेप हुआ तो मैंने पूछा और यह निश्चित हुआ है कि अबकी बार यह कार्यक्रम नहीं बदला जायेगा और अगर इसमें कोई त्रुटि रह जायगी तो किसी के कहने से अब वह परिवर्तित नहीं होगा और अगर कुछ लोग अपनी नामजदगी नहीं करायेंगे तो दूसरे लोग चुने जायंगे।

श्री नरेंद्रसिंह विष्ट---हमें स्वीकार है।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ९---लेखा शीर्षक १३---अन्य कर और शुल्क, अनुदान संख्या १९---लेखा शीर्षक ३६---वैज्ञानिक विभाग और ३७---शिक्षा तथा ५७---प्रकीर्ण, अनुदान संख्या ३८---लेखा शीर्षक ५४---क---प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४-ख---भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते व अनुदान संख्या ४०---लेखा शीर्षक ५६---लेखन-सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि राजकीय मुद्रणालय

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५९-६० के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी के चार अनुदानों पर बहस नहीं होगी तो माननीय मुख्य मंत्री जी उनको पेश कर दें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं पहले से ही एक निवेदन कर देना चाहता हूं। इसके पूर्व जो अनुदान प्रस्तुत हुए हैं उनके संबंध में देखा यह गया है कि जो

मंत्री महोदय बोलते हैं वे दो घंटे, ढाई घंटे ले लेते हैं और सदन के दूसरे सदस्यों को बोलने का समय कम मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि इस संबंध में जैसा आप उचित समझें समय का बंटन हो जाय, मंत्री लोग एक घंटा ले लें या डेढ़ घंटा ले लें, लेकिन उसी के मुताबिक सदस्यों को भी समय मिले।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपका यह कथन कुछ अतिरंजित प्रतीत होता है। किसी मंत्री ने दो या ढाई घंटे तो नहीं लिये हैं अब तक।

श्री राजनारायण—एक दिन शायद आप तो थे नहीं, शायद माननीय उपाध्यक्ष या कोई अधिष्ठाता महोदय थे। उस दिन भी यही प्रश्न उठा था तो उन्होंने यह कहा था कि चूंकि अब यह अनुदान प्रस्तुत हो चुका है, आप किसी दूसरे दिन उठायें।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी के ऊपर शायद इस तरह की अभी तक टीका नहीं हो सकती कि कभी उन्होंने इतना अधिक समय लिया हो।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आप उनको रोकें और वे इस बात का लिहाज रखें।

श्री अध्यक्ष—मैं कोई समय तो उनके लिये निश्चित नहीं करता। उन्होंने आपकी बातें सुन लीं। उन्होंने आपकी ऐसी बहुत सी बातें पहले तत्काल स्वीकार कर ली थीं।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—इस विषय पर मैं आपकी आज्ञा से यह प्रपोज करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी पर कोई बन्दिश न हो, लेकिन और प्रपोजर्स हों उनके लिये २० मिनट का समय निश्चित रहे।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि मंत्रियों के बारे में इस विषय में कोई समय निश्चित नहीं करना चाहिये कि अनुदान पेश करते वक्त वह कितना समय लें। बहुत से मंत्रिगण तो स्वयं यही कह देते हैं जब उपस्थित करते हैं कि मैं बहुत अधिक वक्त तक नहीं बोलना चाहता, वे पांच ही मिनट बोलते हैं और कहते हैं कि जब माननीय सदस्यों की बातें सुन लूंगा तब उत्तर में कह लूंगा। तो ऐसा ज्यादातर होता है। कभी कभी कुछ मंत्रिगण यह चाहते हैं कि उन्हें नीति स्पष्ट कर देना चाहिये और जो अनुदान वह उपस्थित करते हैं उसके संबंध में कुछ, कुछ ब्यौरा वे कभी कभी बता देते हैं। तो जितना समय उनके अनुदान के लिये निश्चित हो उसका थोड़ा सा अन्दाजा रख कर मंत्रिगण अपना पहला भाषण दें। उनके लिये कोई समय निश्चित करना मैं उचित नहीं समझता। मैं आशा करता हूं कि दूसरों को और विशेषकर विरोधी दल के लोगों को बोलने का मौका वे जरूर दे देंगे क्योंकि उनकी टीका पर ही उनको उत्तर देना होगा, इसलिये बहुत समय प्रथम भाषण में वे स्वयं नहीं लिया करेंगे। जहां तक मुख्य मंत्री जी का संबंध है, अनुभव यही है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जब उन्होंने अन्य लोगों को बोलने का मौका न दिया हो। माननीय मुख्य मंत्री।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, अब कोई वैधानिक प्रश्न नहीं हो सकता; मैंने मुख्य मंत्री जी को काल कर लिया है। मेरे कथन पर आप कोई प्वांइंट आफ आर्डर नहीं कर सकते।

श्री शिवप्रसाद नागर—वैधानिक प्रश्न उठाने का तो माननीय सदस्यों को अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष—लेकिन वह अब मुख्य मंत्री जी के कथन के बाद ही हो सकता है ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, चारों अनुदानों को एक साथ ही पेश कर दूं ?

श्री अध्यक्ष—हां, कर दीजिये ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९—अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय लेखा शीर्षक १३—अन्य का और शुल्क के अन्तर्गत ५,७६,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय ।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक कार्यकला लेखा शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग और ३७ –शिक्षा तथा ५७ प्रकीर्ण के अन्तर्गत १८, ६७, ४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय ।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८—प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा शासकों के संबंधियों और सेवकगणों के भत्ते—लेखा शीर्षक ५४–क—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें तथा ५४–ख–भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते के अन्तर्गत १८,०६,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय ।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०—लेखन-सामग्री और छपाई—लेखा शीर्षक ५६—लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि (depreciation reserve fund) राजकीय मुद्रणालय के अन्तर्गत १,३४,५९,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—माननीय शिवप्रसाद नागर, आपका क्या वैधानिक प्रश्न है ?

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, वैधानिक प्रश्न यह है कि यह सदन दोनों सदनों को मिला कर ५३९ सदस्यों के बैठने का सदन है । आज अखबारों में पढ़ने में आया कि इस सरकार को केवल २३४ सदस्यों का विश्वास प्राप्त है । इस तरह से यह मालूम होता है कि ३०५ सदस्यों का विश्वास इस सरकार को प्राप्त नहीं है । तो ऐसी हालत में इस सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुदान मान्य हैं या अमान्य, आपके द्वारा मैं इसकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह अधिकार इस सरकार को प्राप्त है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह कोई वैधानिक प्रश्न नहीं है । जिस तरह से अखबार वालों ने वह छापा है उसी तरह यह भी छाप दें कि यह सरकार नहीं रही उसने इस्तीफा दे दिया । आप यह अखबार में यदि छपवा दें तो उसका प्रत्युत्तर हो जायगा । मैं समझता हूं कि यह कोई वैधानिक प्रश्न इस सदन के लिये नहीं है ।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय–लेखा शीर्षक १३—अन्यकर और शुल्क के अन्तर्गत ५,७६,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९––वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक कार्यकला––लेखा शीर्षक ३६––वैज्ञानिक विभाग और ३७––शिक्षा तथा ५७––प्रकीर्ण के अन्तर्गत १८,६७,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८–प्रादेशिक और राजनीतिक पेन्शनें तथा शासकों के संबंधियों और सेवकगणों के भत्ते–लेखा शीर्षक ५४–क––प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेन्शनें तथा ५४–ख––भारतीय शासकों के निजी खर्चे तथा भत्ते के अन्तर्गत १८,०६,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)––अगर आप आज्ञा दें तो विभाजन की मांग के कुछ कारण दे दूं ?

श्री अध्यक्ष––जी नहीं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)––क्योंकि इसमें पेन्शन का राजनीतिक सवाल था––––

श्री अध्यक्ष––जी नहीं। आप यहां अनुशासन तो कायम रखिये। जिस वक्त विभाजन मांग रहे हैं उस वक्त आप भाषण कैसे दे सकते हैं ?

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :

पक्ष में––१२९,

विपक्ष में––१३ ।)

विभाजन–फल में दलों के उल्लेख की प्रार्थना

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)––मैं आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था मैं यह चाहता हूं और श्रीमन् देखा जाय तो यह पार्टी सिस्टम है और लोकतंत्र में पार्टियां चला करती हैं। यहां पर एक रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और विरोध में सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी और जनसंघ आदि हैं और श्रीमन्, चूंकि यह नीति का संबंध है और हम क्यों विभाजन की मांग करते हैं, यह सब नीति से संबंधित है, इसलिये मैं यह चाहता हूं कि कहीं भी ऐसी व्यवस्था हो कि कार्यवाही में यह आ जाय कि किस पार्टी ने विभाजन की मांग की थी और वोट दिया था तथा कौन-कौन सी पार्टियां तटस्थ रहीं क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता को पूरी-पूरी जानकारी होनी चाहिये इस बात की कि सदन में कौन सी पार्टी किस नीति को अपनाती है। श्रीमन्, कार्यवाही में केवल यह लिख दिया जायगा कि १३ मत विपक्ष में आये। मैं चाहता हूं कि १३ मत सोशलिस्ट पार्टी के विपक्ष में आये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनारायण जी ने जो मांग की है उसके संबंध में जो निर्णय आप उचित समझें करें, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक बात साफ कर देनी है क्योंकि विरोधी दलों की स्थिति साफ हो जानी चाहिये। यह बात विरोधी दल तय करते हैं कि बजट में कौन-कौन सी मांगों पर विवाद होना चाहिये और किन-किन पर विवाद न किया जाय और सरकार की तरफ से यह बात मान्य होती है। इसके लिये विरोधी दलों की एक मीटिंग बुलाई गई और पांचों पार्टियों के नेता उसमें बुलाये गये लेकिन दुर्भाग्य से राजनारायण जी मौजूद नहीं थे; बाकी चारों पार्टियों ने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि किन-किन पर विवाद किया जाय और किन पर न किया जाय। इसलिये हम निष्पक्ष हैं क्योंकि हम अपने निर्णय के विरोध में नहीं जा सकते हैं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं स्पष्टीकरण दे दूं।उन्होंने सही बात कही और उनके कहने में और हमारे कहने में कोई फर्क नहीं है। अगर चार दल सरकार से किसी बात में मिल गये हैं तो मैं चाहता हूं कि वह स्पष्ट हो जाय कि विरोधी दल की चारों पार्टियों ने किसी बात के लिये कांग्रेस पार्टी से कहा और उसने उसे मान लिया। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी उससे अलग थी।

श्री अध्यक्ष---इसमें आप फैसला चाहते हैं। जहां तक जिक्र करने का सवाल है किसी पार्टी विशेष का कि किस पार्टी ने किस प्रकार वोट दिये, यह कोई तरीका नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वह चाहते हैं इस बात के लिये कि लोगों को मालूम हो जाय तो यह अवश्य मालूम हो जायगा कि विभाजन मांगा गया। जो कार्यवृत्त छापा जाता है उसमें लिखा जाता है कि किसने विभाजन मांगा लेकिन यह नहीं मालूम होता है कि किस पार्टी के १३ आदमियों ने वोट दिया। लेकिन इतना अंदाजा जरुर हो जाता है कि जब इसमें सब पार्टियों की राय से यह तय हुआ कि बहस नहीं होगी और १३ ही वोट उसके विरुद्ध पड़े हैं तो लोगों को पता लग सकता है कि किस पार्टी के पड़े होंगे लेकिन मैं कोई तरीका ऐसा अखतियार नहीं कर सकता हूं कि पार्टी विशेष के वोटिंग का अलग-अलग जिक्र कार्यवाही में करूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि जब ऐसी बात हो तो लौबी में मत लिखा लिये जाया करें।

श्री अध्यक्ष---मैं समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ४०---लेखा शीर्षक ५६---लेखन-सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि राजकीय मुद्रणालय (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०---लेखन सामग्री और छपाई लेखा शीर्षक ५६---लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि (depreciation reserve fund) राजकीय मुद्रणालय के अन्तर्गत १,३४,५९,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १३--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या १४--लेखा शीर्षक २५--आयुक्तों और जिला प्रशासन का व्यय

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिपारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३--सामान्य प्रशासन के कारण व्यय--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,०६,९१,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

मैं श्री राज्यपाल की सिपारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४--आयुक्तों (कमिश्नरों) और जिला प्रशासन का व्यय--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,१६,४४,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन कोई विकास का मुहकमा नहीं है जिसके संबंध में, जिसको पेश करते समय कोई नयी नयी बातें जो होने वाली हैं सदन के सामने रखी जायं। यों बजट के तरीकों के अनुसार तो यह चीज एक मुहकमे के रूप में सदन के सामने आती है परन्तु वस्तुतः इसका संबंध एक प्रकार से सारे शासन से है। ऐसी अवस्था में और भी दिक्कत होती है, इन अनुदानों को पेश करते समय उस तरीके ६. भाषण देने में, जैसा कि विकास वाले विभागों के संबंध में दिया जा सकता है। यह जानते हुए हमारा यह प्रयत्न रहता है कि शासन जहां तक हो सके शुद्ध हो, उत्तम हो, निर्दोष हो। हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं और इस संबंध में जो भी हमको सद्परामर्श कहीं मिल सके उसका स्वागत करते हैं और उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी अवस्था में यह उचित न होगा कि मैं उन बातों को दोहराने में जो कि बार बार कही जा सकती हैं इस सदन का समय नष्ट करूं। अन्त में यदि मुझको मौका मिला तो जो कुछ यहां आलोचना होगी उसके संबंध में जो मेरी राय होगी उसको मैं उपस्थित करूंगा और जो शासन को सुधारने के लिये हम को सलाह दी जायगी उसके संबंध में जो कुछ मेरी बुद्धि में होगा निवेदन करूंगा। मैं आशा करता हूं कि जो मांगें मैंने उपस्थित की हैं उनको सदन स्वीकार करेगा।

श्री मोतीलाल अजस्थी--क्या जिला परिषद् का चुनाव आप करवाएंगे ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,०६,९१,९०० रुपये की पूर्ण धनराशि में अनुदान की मांग घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय--शासन प्रणाली में खराबियां और उसके लिए सुधार के सुझाव।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४--आयुक्तों और जिला प्रशासन का व्यय-लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के व्यय के अन्तर्गत ३,१६,४४,००० रुपये की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय--अधिकारियों में जिम्मेदारी का अभाव, वर्गीय दृष्टिकोण, ऊंच नीच की भावना, जनता के साथ व्यवहार तथा अन्य खराबियां।

श्री अध्यक्ष--आप इसके लिए समय चाहते थे...

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--बीस,बीस मिनट जो मुझे दोनों कटौती के प्रस्तावों पर अलग से मिलते उतना ही चाहता हूं। अधिक नहीं चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—वैसे तो दोनों जब एक साथ अनुदान लिये जाते हैं तो भी २० मिनट का ही समय देने का तरीका रहा है आज तक। अगर किसी को आपत्ति न हो तो इन अनुदानों के कटौती के प्रस्तावों पर बोलने के लिये मैं श्री पालीवाल जी को ४० मिनट दे दूं।

(कोई आपत्ति नहीं की गई।)

श्री राजनारायण—पौन घंटे दे दिया जाय पालीवाल जी को।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। ४० मिनट मैं दे रहा हूं। वह तो कम मांगते हैं। आप ज्यादा दे रहे हैं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन् जी, मेरे भी निवेदन पर गौर किया जाय। पन्द्रह मिनट नेता के लिए और दस मिनट सदस्यों के लिए रखा जाय ताकि हम पीछे वाले भी बोल लें। हम जो इधर किसानों के नुमाइन्दे बैठे हुए हैं उनको भी समय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—आपको भी समय मिलेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग सब विभागों से अधिक महत्वपूर्ण विभाग है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं कहा, पहले कहा था कि विकास के सभी विभागों की सफलता इसी के ऊपर निर्भर है और जसा कि उन्होंने इस समय कहा, वास्तव में शासन की ग्रस्त नीतियों को कार्यान्वित करना, कानूनों पर अमल कराना और जनता की संतुष्टि और असंतुष्टि सरकार के सम्बन्ध में इसी विभाग के ऊपर निर्भर है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके सम्बन्ध में दूसरा तथ्य यह है कि जो शासन की प्रणाली है वह जनतंत्र के लिए जनकल्याणकारी राज्य के लिए, समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के लिए, उपयुक्त नहीं है। यह वही नौकरशाही प्रणाली है जिसकी प्रकृति, जिसकी परम्परा, जिसका प्रशिक्षण, सब का सब जनकल्याणकारी राज्य और समाजवादी समाज की स्थापना के अनुपयुक्त है। यह बात सही है कि उसमें बहुत सी खराबियां हैं। लेकिन मैं एक बात और साफ कर दूं। जब मैं शासन प्रणाली की बात कहता हूं तब मैं यह नहीं कहता कि इस शासन प्रणाली में जितने अधिकारी काम करते हैं वे सब बुरे हैं या उनमें यह भावना नहीं है। मैं केवल प्रणाली की बात करता हूं। व्यक्तिगत अधिकारियों की बात नहीं करता। प्रणाली के बारे में मेरा निश्चित मत है कि हम जो नया समाज और नये मानव बनाने के सुन्दर सपने देख रहे हैं वह इस प्रणाली के द्वारा नहीं होगा। लेकिन व्यक्तियों के बारे में मैं इतना कह दूं कि मैं स्वयं छोटे बड़े तबके के कई अधिकारियों को जानता हूं जो ईमानदार हैं, जो योग्य हैं, जो चरित्रवान हैं और जो उतने ही अच्छे और आदर्श जनसेवक हैं जितने कि हम में से कोई। इसलिए मेरी आलोचना प्रणाली के सम्बन्ध में है, व्यक्तियों के सम्बन्ध में नहीं है। जहां तक प्रणाली का सम्बन्ध है मैं जानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय को नौकरशाही शब्द पर आपत्ति है। उन्होंने आपत्ति इस शब्द पर की थी और कहा था कि यह एक फैशन हो गया है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से केवल एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो पार्लियामेंटों की जननी है, जिस ब्रिटेन में २०० वर्ष से ज्यादा से जनतंत्र पद्धति कायम है, उस ब्रिटेन के बाबत वहां के राजनीतिक आचार्य प्रोफेसर वीयर ने यह लिखा है कि–

"Form of Government in the country today may be described with substantial accuracy as a parliamentary bureaucracy."

तो जब इंगलैण्ड में वहां के राजनीतिक आचार्य उसे पार्लियामेंट्री ब्यूरोक्रेसी कहते हैं और कहते हैं कि सबस्टैंशियल अक्योरेसी के साथ उसका यह डिस्क्रिप्शन ठीक है, जब राजनीति शास्त्र में, ग्रन्थ में कहते हैं तब यह कहना कि यहां की शासन प्रणाली अब नौकरशाही न रही क्योंकि जनतंत्र स्थापित हो गया है मुझे अधिक उचित नहीं मालूम पड़ता

इतना निवेदन और करूं मैं माननीय मुख्य मंत्री से और आपके द्वारा सदन के सदस्यों से कि इंगलैण्ड में सोशलिस्ट लोगों की राय है अब भी कि वहां की सविल सर्विस कंजर्वेटिव है। तो जब इंगलैण्ड के सोशलिस्ट अपने देश की सिविल सर्विस को कंजर्वेटिव समझते हैं तब यहां का दावा कि अब यह बिलकुल समाजवाद स्थापित करने के उपयुक्त हो गये हैं अधिक सही नहीं मालूम होता। "पब्लिक सर्विस एण्ड दि गवर्नमेंट आफ दि डे" नाम की पुस्तक में यह भी लिखा है––

"In general Civil Service inevitably acts as a brake on the pace or change of Ministers, ministers may not even be conscious of it."

यानी यह कि मिनिस्टर्स न जानते हों और यहां भी जब मैं कहता हूं कि प्रणाली में खराबी है तो मैं यह नहीं कहता कि मिनिस्टर्स जानबूझ कर करा रहे हैं। यह हो सकता है कि मिनिस्टर्स को उनका पता न हो। लेकिन खराबियां हैं। इंगलैण्ड की राय यह है, वहां के लोगों की राय यह है वहां की पार्लियामेंट के बारे में कि मिनिस्टर्स जिस गति से जिस तेजी से प्रगति का विकास का कार्य करना चाहते हैं उसने वहां की सिविल सर्विस भी इनएवीटबिली ऐज ए ब्रेक ऐक्ट करती है यानी उनको रोकती है प्रगति और निर्माण के विकास कार्य में शीघ्रता करने में । तब ऐसी हालत में हमारे देश की क्या दशा है हम यह स्वयं समझते हैं। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि इस शासन प्रणाली में सुधार किया जाय और इस सुधार की आवश्यकता को, जहां तक मैं समझता हूं, सभी लोग मानते हैं। कुछ लोगों के नाम भी बता दूं। एक तो भूतपूर्व वित्तमंत्री केन्द्र के, माननीय चिन्तामणि देशमुख, जो स्वयं सिविल सर्विस के एक सम्मानित सदस्य हैं उन्होंने पटना में एक पब्लिक इंस्टीटचूट में भाषण देते हुए यह कहा था सन् १९५५ में :

"A review of whole situation is very necessary."

यानी जनतंत्र स्थापित होने के बाद नौकरशाही पद्धति का और इसका कैसे समन्वय होना चाहिए इसके लिए रिव्यू करने की अत्यन्त आवश्यकता है, और उन्होंने यह भी कहा है––

"I have no confidence that if we go in a way in which we have been going on, we shall be able to hold our own with citizens of other countries in regard to quality of our administration."

स्वयं जो आई० सी० एस० हैं वे यह कहते हैं कि अगर हम इसमें सुधार नहीं करेंगे तो हमें इसमें विश्वास नहीं है कि हम दूसरे देशों के बराबर प्रगति अपने देश में कर सकेंगे। और यह हमारे कन्ट्रोलर जनरल और आडिटर जनरल भी श्री अशोकचन्द महोदय की भी राय है कि एक हाई पावर्ड कमीशन इस बात के लिए कायम किया जाना चाहिए कि जो सिस्टम आफ एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्री का है इसके स्ट्रक्चर को चेञ्ज करें, उसके गठन को बदलें। हमारे प्रदेश के जो एकाउन्टेन्ट जनरल श्री घोष ने जो अभी हाल में यहां से बदल गये हैं, उनका कहना है कि "सिस्टम आफ गवर्नमेंट नीड्स कांसटेंट रिव्यू", यानी जो हमारी शासन की मशीनरी की पद्धति है उस पर बराबर विचार होता रहना चाहिए कि उसमें क्या-क्या सुधार हो सकता है। और इंगलैण्ड के लोगों की राय यह है कि––

"Examination of machinery available to us is first step towards efficiency in democratic society."

यानी जनतंत्रीय समाज में इस बात पर विचार करना कि हमारी शासन मशीन में क्या सुधार होना चाहिए यह उसकी क्षमता की ओर पहला कदम है। इसके बिना हम क्षमता की ओर जा ही नहीं सकते। मैं मानता हूं कि समस्या जटिल है और यह कहा भी जायगा कि बहुत प्रयत्न किया गया, दस वर्ष से हम प्रयत्न कर रहे हैं और अभी तक नहीं कर पाये हैं। आलोचना करना आसान है, लेकिन सुधार करके दिखाना मुश्किल है। मैं इस बात को मानता हूं।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

इसीलिये मैं कहता हूं कि इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि हम गहराई के साथ इस बात का अध्ययन करें कि सरकार को मैनेज करने का सरलतम तरीका क्या हो। इस बात पर विचार करके गहराई के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है। इससे यह साबित होता है और मैं यह मानता हूं कि सरकार को स्वयं इस बात का अनुभव है और केन्द्रीय सरकार ने भी इसके सुधार करने के लिये गोरेवाला कमेटी नियुक्त की थी।

(इस समय १२ बजकर ४१ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मी-नारायण बंसल पीठासीन हुए।)

उसके बाद आयंगर कमेटी नियुक्त की थी और एक विशेषज्ञ ऐपिलवी को भी बाहर से इसके लिये बुलाया था। हमारी सरकार ने भी गोपालन कमेटी, सूचा सिंह खेड़ा कमेटी को इसके सुधार के लिये नियुक्त किया था। पन्त जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, हाल में के० के० दास को इस काम के लिये नियुक्त किया गया, लेकिन यह सब हो जाने पर भी अभी तक शासन मशीनरी पर जनतन्त्र का नियंत्रण नहीं हुआ है और बल्कि सच तो यह है कि इससे उल्टी बात हुई है यानी यह कि जनतंत्र पर नौकरशाही का नियंत्रण स्थापित हो गया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि यह माननीय मंत्री महोदय जो हैं इनके ऊपर वह मशीनरी हावी हो गई है। माननीय मंत्री महोदय नौकरशाही के हाथ में केवल चमकीले खिलौने बन कर रह गये हैं। नौकरशाही के ऊपर उनका कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है।

श्री के० सन्तानम, जो विन्ध्य प्रदेश के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर हुये थे, जो पहले केन्द्र में रेल विभाग के माननीय उप-मंत्री थे, उनकी राय भी यही थी कि बिरले शायद २, ३ मिनिस्टर ऐसे होंगे जो नौकरशाही से अपनी नीति कार्यान्वित करा सकते हों। उन्होंने यह भी लिखा है कि बाकी इस बात से सन्तुष्ट हो जाते हैं कि उनकी कृपा से २, ३ अपने निजी काम करा लें। यह कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे और मिनिस्टर भी रहे। अब भी कांग्रेस में हैं। यह उनकी राय है। इसके साथ ही साथ पं० जवाहरलाल जी की भी यही राय है जो कि हमारे प्रधान मंत्री हैं। उन्होंने बराबर यह कहा है और हमारे प्रदेश के सम्बन्ध में कहा कि यहां की नौकरशाही हमारी नीति को कार्यान्वित नहीं करती। अगर यह पूछा जाय कि कब-कब कहा तो मैं उदाहरण भी दे सकता हूं। उन्होंनें उर्दू के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए यह कहा था कि प्रदेशीय सरकार तो हमारी नीति को मानती है, लेकिन हमारे अधिकारी उसकी नीति को कार्यान्वित नहीं करते। ऐसा ही और भी कई अवसरों पर उन्होंने कहा है। तो उनकी राय भी यही है कि नौकरशाही मशीन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा मैं और बताऊं। फिर वही इंगलैण्ड की बात आ गई चूंकि वहां पर सबसे पुरानी जनतंत्र पद्धति जारी है। वहां पर एक दूसरे राजनीतिक---बोसवर्थ मौवन्क हैं जिन्होंने यह लिखा है कि---
"A weak minister may become a mouth piece of his department"

जो कमजोर मंत्री है वह अपने विभाग का चारण हो जाता है। कभी-कभी हम यह दृश्य यहां भी देखते हैं। जिस तरह से पुलिस के अधिकार को यहां व्यक्त किया जाता है उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे मंत्री महोदय उसके चारण हो गये हैं। मैं इससे एक कदम और आगे जाता हूं और माननीय मुख्य मंत्री मुझे कहने के लिये क्षमा करेंगे। जो हमारे प्रदेश का सामान्य प्रशासन चल रहा है उसको देख कर ऐसा लगता है कि प्रदेश के मुख्य मंत्री का शासन नहीं चल रहा है बल्कि मुख्य सचिव का शासन चल रहा है। सरकार के अध्यक्ष मुख्य मंत्री नहीं हैं, बल्कि मुख्य सचिव हैं।

यह भी धारणा हो रही है और इन सब बातों की यह अनिवार्यतः आवश्यकता है कि इसके सुधार के लिये प्रयत्न किया जाय। आज भी इस शासन प्रणाली में अनेक खराबियां हैं और उन खराबियों की वजह से जनता का धन वेस्ट होता है। देर और अन्धेर की शिकायत तो आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसी कि पुराने जमाने में थी। जनता के पत्रों, जवाबी रजिस्ट्रियों तक

का जवाब लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से एम० एल० एज० को भी यही शिकायत है। माननीय गेंदासिंह जी अभी यह कह रहे थे कि उनके रजिस्ट्री पत्रों तक का जवाब विभाग की ओर से नहीं दिया गया। यह चीज जनता के साथ ही नहीं है, इस समय सदन के माननीय सदस्यों के साथ भी है। सदस्यों की शिकायत को जाने दीजिये, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन को आप पढ़ें तो उनको भी यही शिकायत है कि महीनों और सालों तक उनकी चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं दिया जाता है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में भी यही शिकायत है कि सन् ५३ में सरकार का ध्यान उन्होंने जिस बात की ओर दिलाया था, ५७–५८ में भी सरकार की ओर से उसका जवाब नहीं मिला। इस प्रकार से देर और अन्धेर की शिकायत जो पहले थी वह अभी भी जैसी की तैसी चली आती है।

इसके साथ-साथ एक बात और है, वह यह है कि सचिवालय के उच्चस्तर के अधिकारियों में बिरादरी की भावना बहुत पायी जाती है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। मैं यह मानता हूं कि इसमें केवल अधिकारियों का ही दोष नहीं है, हमारे देश के रग-रग में यह व्याप्त है। इसलिये जब तक इस जातिपांति का अन्त न हो जाय तब तक किसी व्यक्ति विशेष को दोष देने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि उच्च-स्तर पर बिरादरी की भावना होने से प्रशासन अच्छा होने के बजाय बुरा होगा। इसलिये उसके अन्त करने का प्रयास ऊपर से ही होना चाहिये। मैं माननीय मंत्री के, किसी के बारे में यह नहीं मानता कि उनमें बिरादरी की भावना है, लेकिन अगर उसके नीचे के अधिकारी में यह बिरादरी की भावना है तो जनता को यह सन्देह सा होने लगता है कि मंत्री महोदय ही इस बिरादरी की भावना को पुष्ट कर रहे हैं। इसलिए इस तरफ मंत्रियों को सजग रहने की आवश्यकता है।

जैसा मेरा स्वभाव है और नियम है कि मैं कोई वाइल्ड चार्ज किसी पर नहीं लगाता, लेकिन अगर मंत्रिगण निर्दोष भी हों तो भी उन पर लोग शक तो कर ही सकते हैं। मंत्री अपने दोष से बरी हों, इसके लिये मैं बोसवर्थ मोनेक का एक उद्धरण देकर बता देना चाहता हूं। वह कहता है––

"Minister is responsible for what is done in his name but more often than not he is ignorant of it."

हो सकता है कि उनको पता न हो लेकिन जिम्मेदारी उनकी ही होती है क्योंकि वह उनके नाम से ही किया जाता है। इसीलिये मैं कहता हूं कि इस बुराई की ओर उनका विशेष रूप से सजग रहना आवश्यक है।

अब सवाल यह रह जाता है कि जिस बुराई को हम मानते हैं क्या उसको हम बदल सकते हैं? मेरा निवेदन यह है कि सरकार उसको बदल सकती है। जार्ज लेंसबरी जो लेबर लीडर हुए हैं उन्होंने "माई लाइफ माई इंगलैण्ड" नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने अपना अनुभव लिखा है कि किस प्रकार से नौकरशाही से काम लेना चाहिये। उन्होंने लिखा है. "नेवर आर्गुविद देम, टेल देम दिस इज योर पालिसी ऐंड यू हैव टु कैरी इट आउट"। यानी उनसे बहस मत कीजिये नहीं तो आंकड़ों के जंजाल में वे आपको डुबा देंगे। उनसे साफ कह दीजिये कि यह हमारी नीति है और तुम्हारा काम है उस नीति को कार्यान्वित करना, उस नीति का पालन करना और पालन न करना हो तो मेहरबानी करके यहां से टिड्डी बढ़ाइये। आज कल मंत्रियों को, सरकार को कितना अधिकार है शासन प्रणाली को बदलने का, उनके ऊपर मैं सरकार का ध्यान इसलिये दिलाना चाहता हूं, यह साबित करने के लिये कि अगर आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। यह मैं नहीं कहता कि आप बदलना नहीं चाहते। इस सम्बन्ध में बोसवर्थ मोनक ने कहा है कि––

"Individual ministers, can do much to alter the kind of answers civil servants give in their dealings with the public, and the manner in which they put those answers."

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

रोज का हमारा अनुभव है जो सरकार की तरफ से सदन में सदस्यों के लिये और जनता के लिये जवाब दिया जाता है, अगर मिनिस्टर्स चाहें तो उस जवाब के तरीके को बदलवा सकते हैं, चाहें तो जवाब देने के ढंग को बदलवा सकते हैं।

दूसरी बात कैरेक्टर आफ सर्विस और रिक्रूटमेंट के सम्बन्ध में है कि---

"Character of service, its composition can be changed with change in nature of recruits to service."

यानी प्रशासन के लिये जो लोग लिये जाते हैं, उनकी भर्ती के सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हैं उन को बदल कर कैरेक्टर में चेन्ज किया जा सकता है।

"In fact under existing arrangements Government could alter whole character of service—given two or three periods of service."

यानी कोई सरकार दो तीन मर्तबा आम चुनाव में आये और १०, १५ वर्ष तक एक ही पार्टी की सरकार कायम रहे तो वह होल करेक्टर को चेंज कर सकती है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एक ही पार्टी की सरकार हो। तो यहां भी सन् १९४६ से और १५ अगस्त, १९४७ से लेकर अब तक ही, पार्टी की सरकार बराबर कायम है तो इसके १२ वर्ष तो हो चुके। अब तक उसमें कुछ सुधार हो जाना चाहिये था, लेकिन जितना सुधार होना चाहिये था उतना नहीं हो पाया। अब तक जो प्रगति हुई है वह सन्तोषजनक नहीं है। इसके अलावा यह विवाद भी बहुधा चलता रहा है कि मिनिस्टर अगर चाहे भी तो जो सिद्धान्त की बात है उसको कैसे बदला जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह मिनिस्टर के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारे सामने स्वर्गीय रफी अहमद किदवई का उदाहरण मौजूद है जिन्होंने अपनी नीति को कार्यान्वित कराया था। इसी तरह से और मिनिस्टर्स भी चाहें तो अपनी नीति को कार्यान्वित करा सकते हैं।

"मच डिपेन्डन्स अपान इनडिविजुअल मिनिस्टर much depends upon individual ministers यानी शासन में सुधार बहुत कुछ मिनिस्टर के ऊपर निर्भर करता है। आगे कहा है: "Good minister makes a good Department, but best civil servant can make nothing effective of a mediocre minister."

यानी मिनिस्टर चाहे तो अपने विभाग को अच्छा कर सकता है लेकिन सिविल सर्वेंट अच्छा से अच्छा हो, श्रेष्ठतम हो तो भी यदि मिनिस्टर ठीक नहीं है तो वह उनमें कोई चेंज नहीं करा सकता है।

"Vigorous and intelligent minister can make department to serve his end."

यानी मिनिस्टर अगर इंटेलिजेंट है तो वह अपने डिपार्टमेंट से काम करा सकता है। इसके अलावा उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिये कि जो काम वह कराना चाहता है उसको स्पष्ट करा सके अपने विभाग के लोगों से। उस विभाग के लोगों में भी उस कार्य को पूरा करने का उत्साह और उत्सुकता हो। तो यह बदला जा सकता है और सुधार सम्भव हो सकता है। मैं कुछ रचनात्मक सुझाव अपनी समझ के अनुसार माननीय मुख्य मंत्री के सामने रखना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट का जो कम्प्लीट कन्ट्रोल है वह हटना चाहिये। उसका एक दुष्परिणाम यह होता है कि विभागीय अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करते हैं। अगर कहीं गबन या और किसी प्रकार की गड़बड़ होती है और ज्यादा खर्च होता है तो वे समझते हैं कि यह काम फाइनेन्स डिपार्टमेंट का है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और फाइनेन्स डिपार्टमेंट को बहुत देर में मालूम होता है और इस बात को लेखा परीक्षक पकड़ता है, फिर लोक लेखा समिति के सामने आता है, इसमें वर्षों लग जाते हैं। इसलिये

उसका कन्ट्रोल हटना चाहिये । विभागीय अध्यक्षों को अपने यहां के लिये जिम्मेदार बनाना चाहिये। इस सम्बन्ध में उस समय कुछ कह चुका हूं जब मैंने बजट भाषण किया था और आज फिर दोहराता हूं । जैसे १९२१ में फ़िशर ने, फिशर रिफार्म के नाम से जो मशहूर है, "जो सुधार इंगलैंड में किये थे, हमारी पद्धति १९२१ से पहले की है तो जो इंगलैंड में सुधार हो चुके हैं वे हमें अपने यहां भी करने चाहिये और कमिश्नर वगैरह, डिवीजनल इन्चार्ज को इस बात के लिये जिम्मेदार होना चाहिये कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की क्षमता बढ़ावें । अगर नहीं बढ़ाते हैं तो उनको सजा देनी चाहिये, उनका ऐक्सप्लेनेशन तलब करना चाहिये और साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कुशल क्षेम का खयाल रखें । यह जिम्मेदारी उनके ऊपर होनी चाहिये ।

दूसरा सुझाव यह है कि भरती के नियम बदलने चाहिये और मोटे तौर पर मैं यह कह दूं कि हमारे देश में वे ऐसे होने चाहिये कि जिससे अधिकारी वर्ग में गांवों के लोगों का, पिछड़े हुए वर्गों के लोगों का, परिगणित जाति के लोगों का और महिलाओं का सही प्रतिनिधित्व हो सके जो कि आज हमारे यहां नहीं है । और इसी तरह से इस काम को करने के लिये यह जरूरी है कि लोक सेवा आयोग की नियुक्ति में भी कुछ सुधार होना चाहिये। इन वर्गों के प्रतिनिधि, पिछड़े वर्ग के, गांवों के लोगों के, हमारे हरिजनों के और महिलाओं के, इनको यथासम्भव रखा जाना चाहिये जो कि इनके हितों की रक्षा कर सकें और ध्यान रखें इस बात का ।

तीसरा सुझाव यह है कि अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये विशेष रूप से प्रयत्न होना चाहिये जिससे कि जो अधिकारी हैं वे जो सरकार की नई भावना है, जनकल्याणकारी राज्य की, जनतन्त्रीय समाजवाद की, सहयोग से काम करने की, उन सब के बारे में उनकी, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी खुद कहते हैं, आइडियोलाजीकल क्लैरिटी हो सके । इसलिये उनके प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है ।

चौथा सुझाव यह है कि आचरण के नियम, मैं जानता हूं कि कुछ बदले हैं, लेकिन और कुछ बदले जाने चाहिये और इस बात पर विचार होना चाहिये कि किस दिशा में उन्हें और बदला जा सकता है जिससे और अधिक अच्छे हों ।

पांचवां सुझाव यह है। यह महत्वपूर्ण है, हमारे यहां अभी शासन का प्रकार प्रशासकीय है, विभागीय है। एक विभाग में अधिकारी उस विभाग के काम को अच्छी तरह से करता है, लेकिन दूसरी जगह नहीं कर सकता है । इंगलैंड में यह सुधार किया जा रहा है कि कोई भी अधिकारी १ विभाग में ५ वर्ष से अधिक काम न करे । ५ वर्ष के बाद कोई दूसरे विभाग में भेज दिया जाय । इससे यह होगा कि जो डिपार्टमेंटलिज्म है वह कम हो सकता है ।

छठी बात यह है कि हमारे यहां तो यह होता है कि किसी ने आई० ए० एस० का इम्तहान पास कर लिया तो दूसरे ही दिन वह प्रशासकीय पद पर प्रतिष्ठित होने का अधिकारी हो जाता है चाहे उसे काम का अनुभव है या नहीं। लेकिन अमेरिका में यह होता है कि कोई भी किसी ऊंचे पद पर, विशेषकर प्रशासकीय पद पर उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि नीचे से काम करके अनुभव न प्राप्त किया हो और वहां पर काम की शिक्षा न मिली हो । यह बात भी हमारे यहां होनी चाहिये ।

सातवीं बात, जिसका सुधार आवश्यक है, वह यह है कि जो पब्लिक की शिकायत होती है उस पर विभाग के अधिकारियों ही द्वारा जांच करने की पद्धति भी बदलनी चाहिए । यह उचित नहीं है । मैं यह मान लूंगा कि इसमें कठिनाई है । लेकिन कठिनाइयों को हल करने के लिये ही तो हम लोग यहां हैं और इसी लिये जनतंत्र की सरकार कायम की गई

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

है । तो इन कठिनाइयों पर अच्छी तरह से विचार करके यह होना चाहिये कि अगर जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हो सकती तो कुछ न कुछ जांच की पद्धति में ऐसा किया जाय जिससे यह न हो कि 'हलवाई की कुतिया जलेबियों की रखवाली' वाली बात हो। मैं इस बात की सरकार की प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने कानपुर फायरिंग के बारे में--मेरा सुझाव था कि कहीं लाठी-चार्ज पुलिस द्वारा हो तो कम से कम कमिश्नर से नीचे की जांच नहीं करानी चाहिये, अगर अधिकारी से करानी है और वह भी उस कमिश्नरी का न हो जिसकी शिकायत है--मुझे पता नहीं कहां तक सही है, माननीय गृहमंत्री ने कहा था कि कमिश्नर से इंक्वायरी करा रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि इलाहाबाद के कमिश्नर को मुकर्रर न करके किसी दूसरे डिवीजन के कमिश्नर को इंक्वायरी के लिये मुकर्रर किया है। ऐसा किया है तो मैं उन्हें बधाई देता हूं।

आठवीं बात मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो हमारे सेक्रेटेरिएट के कर्मचारियों में असंतोष है, उनकी जो दो मांगें हैं, एक तो द्वितीय पे कमीशन बैठाया जाय और दूसरे यह कि उनको वही महंगाई भत्ता वगैरह मिले जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलता है, ये दोनों मांगें ऐसी हैं जिन पर सरकार को सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए और जितनी शीघ्र हो सके सानुकूल पूर्ण निर्णय करने की कृपा करनी चाहिए।

अब एक सवाल यह पैदा हो सकता है कि यह सुधार करने के लिये साधन क्या हैं। कमेटियां मुकर्रर करने की बात कही जाती है। कमीशन मुकर्रर करने की बात कही जाती है। इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि कमेटियों के संबंध में भी कुछ सुधार की आवश्यकता है जो इंगलैंड में किया गया है। पहला तो यह है कि एक डेड लाइन मुकर्रर कर देनी चाहिए कमेटियों के लिये कि इतनी अवधि के अन्दर आपको अपनी रिपोर्ट पेश कर देनी है। यह नहीं कि कमेटी मुकर्रर कर दी। चार-पांच साल हो गये और काम नहीं हो रहा है, रुका हुआ है। उसके लिये अवधि मुकर्रर हो जानी चाहिए जैसे कि सदन की प्रवर समिति के लिये होता है कि इतने दिन के अन्दर प्रतिवेदन दे। दूसरी बात यह है कि जो इंगलैंड के अनुभव के ऊपर आधारित है कि कमेटियों की टर्म आफ् रेफरेंस नैरो नहीं होनी चाहिए। वह वाइड और कम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए। इंगलैंड का अनुभव है कि वहां शासन में सुधार के लिये पिछले दिनों तक एसिरीज आफ रायल कमीशन मुकर्रर किये गये। लेकिन कोई विशेष काम नहीं हुआ। कारण यह था कि उनके टर्म आफ रेफरेन्स नैरो थे। इसलिये कमेटी और कमीशन से अच्छा काम चाहते हैं तो उनके टर्म आफ रेफरेन्स वाइड और काम्प्रिहेन्सिव होने चाहिए।

इसके अलावा इंगलैंड के राजनीतिक आचार्यों का एक सुझाव और है। उनका कहना है कि कमेटी की पद्धति भी बहुत अच्छी नहीं है। ज्यादा अच्छा यह है कि एक किसी व्यक्ति को जिसको प्रशासन का अनुभव है ऐसे नागरिक को, सरकारी व्यक्ति को नहीं, यह काम सौंप दिया जाय। उस को साल भर की फीस दी जाय, चाहे आप उसे फीस कहें, वेतन कहें या आनरेरियम कहें, कुछ भी कहें, उस से आप कहें कि तुम साल भर के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दो और उस की सहायता के लिये आप को कोई उपयुक्त अधिकारी असेसर के तौर पर मुकर्रर करना चाहिये जो उस को सलाह दें, लेकिन निर्णय करने का अधिकार केवल उसी आदमी को होना चाहिये ताकि वह सोच समझकर अच्छी तरह से अपनी सिफारिश सरकार के सामने रख सके। यह साधारण से कुछ सुझाव थे जिन की तरफ मैंने सरकार का ध्यान दिलाया है।

दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कलेक्टरों और कमिश्नरों के पैमाने पर कि उन में जिम्मेदारी की भावना नहीं है और वे लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं, टालते हैं और जिम्मेदारी लेने से डरते हैं और उन का दृष्टिकोण वर्गीय है। पिछले साल माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी मांग के सम्बन्ध में कहा था कि सन् १९४७ में ऐसे करीब ८ के पिछड़े वर्ग के लोग

थे और अब वे ३५ हो गये हैं सन् १९५७ में और सन् १९४७ में परिगणित जाति के १० सदस्य थे और अब वह ६५ हो गये हैं लेकिन उन की संख्या उन्होंने ४९, ४५ के लगभग बताई थी। यदि हिसाब लगाया जाय तो पिछड़े वर्ग के लोग पौन फीसदी से भी कम हैं और परिगणित जाति के सवा फीसदी से भी कम हैं। मेरी समझ में आज के युग में यह प्रगति सन्तोषजनक नहीं है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

आज हमारी जनता अभी अपने अधिकारों को अच्छी तरह से नहीं जानती और मैं कहूं कि वह अभी तक दब्बू है और दूसरी तरफ हमारे जो नौकरशाही के लोग हैं, जो अधिकारी हैं वे इतने सर्वशक्ति सम्पन्न हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि उन के अधिकारों का और जनता के हितों का कोई संतुलन नहीं है। इसका परिणाम यह है कि जनता की ऐसी धारणा हो गई है कि काले सांप के काटे का इलाज है, लेकिन नौकरशाही के काटे का इलाज नहीं है। इस तरह की जनता की जो धारणा बन गई है इसको सरकार जनता के हित में और अपने हित में दूर करे। मैं यह भी मानता हूं कि सभी पार्टियों का कर्तव्य है कि इस सुधार के लिये अपना पूरा सहयोग दें, जब तक कि हमारा और जनता का नैतिक चरित्र ऊंचा न होगा, हम पार्टीबन्दी को छोड़कर इस दिशा में काम न करेंगे तब तक केवल सरकार के लिये यह सम्भव नहीं है मै इस को मानता हूं। इसलिए सभी पार्टियों को अपनी आचारसंहिता या कोड आफ कन्डक्ट बनाना चाहिए कि कहीं भी कोई सदस्य नाजायज और निजी लाभ उठाने की कोशिश न करे और कोई सिफारिश न करे क्योंकि सिफारिशों में रिश्वत और दलाली भी चलती है और उससे बड़ा हस्तक्षेप होता है और मैं तो चाहता हूं कि सभी पार्टियां अपने चुनाव घोषणा पत्रों में यह ऐलान करें कि हम जनता के नाजायज काम करने के लिये और उसको नाजायज लाभ पहुंचाने के लिये विधान सभाओं में नहीं जा रहे हैं। अगर जनता को ऐसे लोगों की आवश्यकता है तो वह हमें छोड़ कर दूसरों को चुन ले। इस तरह की बात साहस के साथ चुनाव घोषणा पत्रों में सब दलों को स्पष्ट कर देना चाहिये।

अन्तिम बात अब मैं यह और कहूंगा कि शासन में राजनीतिक दलबन्दी है। उनको इस बात की जानकारी हो या न हो लेकिन मैं इस सम्बन्ध में केवल २ उदाहरण दूंगा। मेरा निजी अनुभव है कि चकबन्दी समिति के लिये सदस्यों की नियुक्ति होना थी और जिलाधीश को ५ आदमियों की सिफारिश करनी थी, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन जिन ५ आदमियों की सिफारिश जिलाधीश ने की वह केवल एक पार्टी के थे और एक पार्टी के ही नहीं बल्कि उस पार्टी में से भी वह एक ग्रुप के थे जिसे कि वह समझते थे कि वह मिनिस्टर्स से सम्बन्धित हैं, केवल उसी ग्रुप के ५ नामों की सिफारिश की गई। और जब नियुक्ति हुई तो ३ सदस्य नियुक्त हुए। उनमें से २ सदस्य ऐसे थे कि जिन सज्जन के कहने पर उन ५ नामों की सिफारिश की गयी थी उनके एलेक्शन पेटीशन में जिन्होंने गवाही दी थी उनको चकबन्दी समिति में नियुक्त किया गया। उनका नाम नहीं लेता, क्योंकि किसी को बदनाम करने का मेरा काम नहीं है। अगर मुख्य मंत्री जी चाहेंगे तो डाक्युमेंटरी एवीडेंस पेश कर दूंगा। इसी तरह से और मामलों में किया गया।

कल देवरिया के मामले में माननीय खाद्यमंत्री ने एक बात को स्वीकार किया कि एक पार्टी विशेष के चुनाव क्षेत्र में ३८ सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गयीं और जिस चुनाव क्षेत्र से माननीय गेंदा सिंह जी आते हैं उसका पूरा बाईकाट किया गया। सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने विशेषाधिकार का प्रश्न गेंदा सिंह जी के संबंध में है लेकिन जो घटना मैं बतला रहा हूं उसके पहले वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की यह नीति रही कि गेंदा सिंह जी के चुनाव क्षेत्र में कोई काम न होने दो। मैं मुख्य मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि वह जांच करें और यह भी जांच करें कि क्या किसी और जरिये से जिसका माननीय मुख्य मंत्री जी को भी पता नहीं, वहां जो अधिकारी भेजे जाते हैं वे ऐसे भेजे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट,

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

कि वे गेंदा सिंह जी के क्षेत्र में कोई काम न होने दें ? यह बात स्वयं खाद्य मंत्री महोदय ने स्वीकार की और यह कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की इसमें गलती है, उसने गलती की। मैं कोई इस तरह की बात नहीं कहता जिसका मेरे पास कोई प्रमाण न हो और जिस बात का डाक्युमेंटरी सबूत न दे सकूं, या जिसको यहां सरकार के किसी मिनिस्टर ने स्वयं स्वीकार न किया हो।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहता हूं कि उनको याद होगा कि जब मैं हिन्दी मासिक "प्रभा" का सम्पादक था तो उन्होंने उसमें एक लेख "क्रांति के कापालिक" शीर्षक से भेजा था। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से केवल यह आशा करता हूं कि वह क्रांति के कापालिक बनेंगे और अपने लेख के अनुसार स्वयं काम करेंगे। उन्होंने स्वयं कहा था कि हम कलेक्टर को अधिकार देने के संबंध में विचार कर रहे हैं और विकेंद्रीकरण की बात सोच रहे हैं और यह भी कि हम भावी शासन की रूपरेखा पर विचार कर रहे हैं, लेकिन यह बताने की कृपा करें कि इस संबंध में उन्होंने क्या किया। यह नौकरशाही का जो शासन सूत्र है यह ऐसा शम्भु शरासन नहीं है कि "भूप सहस दस एकहिं बारा, लगे उठावन टरहिं न टारा" और शम्भु शरासन भी हो तब भी मैं तुलसीदास जी के शब्दों में पूछूंगा कि "डगै न शम्भु शरासन कैसे"। और अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो तुलसीदास जी ने भगवान कृष्ण की मुरलीधारी मनोहर मूर्ति को देखकर कहा था कि "तुलसी मस्तक जब नवहिं जब धनुष बाण ल्यो हाथ", तो माननीय सम्पूर्णानन्द जी के लिये प्रशंसा की बात तभी होगी जब नौकरशाही प्रणाली में सुधार करने के लिये जल्दी से जल्दी वह कोई कार्य करके दिखलावेंगे, पुरानी बाण-विद्या से मेरा तात्पर्य नहीं बल्कि जनतंत्रीय विधि से है।

श्री अधिष्ठाता--अब जिनके कटौती के प्रस्ताव आये हैं वह माननीय पालीवाल जी के प्रस्ताव से कवर हो जाते हैं। इसलिये मैं उन माननीय सदस्यों के नाम पढ़ दूंगा जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव भेजे हैं और जो उपस्थित होंगे उनके प्रस्ताव प्रस्तुत माने जायंगे।

[अनुदान संख्या १३ के अन्तर्गत कटौती के प्रस्ताव

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री झारखंडे तथा श्री चन्द्रजीत यादव	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय : कमी करने का उद्देश्य--नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है : समाजवादी लक्ष्य के प्राप्त करने में वर्तमान नौकरशाही शासन का ढांचा सबसे बड़ा बाधक बना है अतः उसमें मूल परिवर्तन के सुझाव।
२	श्री टीकाराम	मद--घ--सचिवालय और मुख्यालय की स्थापनायें के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है : विकेन्द्रित स्थान तथा पूंजी व्यय सामान्य प्रशासन पर न करना। केवल राजस्व व्यय से खर्चा चलाना।

[ ]ये कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये वरन् प्रस्तुत किये गये माने गये।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
३	श्री नारायण दत्त तिवारी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय : कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है :— सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के हेतु कमेटी न बैठाया जाना तथा उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप महंगाई न दिया जाना ।
४	श्री ब्रजनारायण तिवारी, श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द, श्री होरीलाल यादव, श्री बंशीधर शुक्ल तथा श्री बुद्धीसिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है :— प्रशासन पर अधिक व्यय तथा भ्रष्टाचार ।

अनुदान संख्या १४ के अन्तर्गत कटौती के प्रस्ताव

१	श्री राजनारायण, श्री उग्रसेन तथा श्री रामस्वरूप वर्मा	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है :— सामान्य प्रशासन में विकेन्द्रीकरण का सुझाव देना ।
२	श्री हरिदत्त कांडपाल	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है : रामपुर-बल्लागेवाड़ में तारीख १४ जुलाई, १९५८ को पुलिस द्वारा किये गये गोलीकांड पर अपनाई गई सरकारी नीति की आलोचना ।]

†**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, सामान्य प्रशासन ही इस प्रदेश की वास्तविक शासन व्यवस्था और समाजवादी नियोजन प्रणाली को स्थापित करने की कुंजी है और इसकी सफलता और असफलता पर ही यह निर्भर है कि हम जो पंचवर्षीय योजनायें या अन्य योजनायें चला रहे हैं वे ठीक प्रकार से चल सकें । इस दृष्टिकोण से इस बजट में जो मुख्य मंत्री जी ने आज पेश किये हैं उनमें कुछ प्रारम्भिक दिक्कतें मुझे मालूम होती हैं जो उनके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

पहली बात यह है कि जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बजट में इन्फार्मेशन डाइरेक्टोरेट लैंड रिफार्म्स कमिश्नर आफिस एन्ड बोर्ड आफ रेवेन्यू, लोकल फंड आडिट एस्टैब्लिशमेंट

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

डिपार्टमेंट और एकनामिक्स ऐंड स्टैटिस्टिक्स, ४ ग्रान्टें डाल दी गयी हैं । उनका स्थान इस बजट में नहीं होना चाहिये था । इन्फार्मेशन डायरेक्टोरेट की ग्रान्ट नम्बर ३२ पिछले साल अलग कर दी गयी थी और अलग से सूचना मंत्री जी उसको पेश करते थे, लेकिन इस वर्ष न जाने किन कारणों से फिर जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की ग्रान्ट इसमें शामिल कर दी गयी है और इसका कोई कारण न मेमोरेंडम में दिया गया है और न इसके लिये कोई सूचना किसी प्रकार की सदन में दी गयी है । इसी तरह से लैंड रिफार्म्स कमिश्नर ऐंड बोर्ड आफ रेवेन्यू का सम्बन्ध रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है और माल मंत्री जी का वह विभाग है । मैं कोई कारण नहीं समझता कि इसमें इसका क्यों स्थान दिया गया है । तीसरे एकोनामिक्स ऐंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का अलग महत्व है । मैं इसके लिये मुख्य मंत्री जी का ध्यान अपनी नियमावली के नियम १८६ के उपनियम २ की ओर दिलाना चाहूंगा :—

"(२) शासन के प्रत्येक विभाग के लिये प्रस्थापित अनुदान के सम्बन्ध में साधारण-तया एक पृथक् मांग रखी जायेगी ।"

तो इसमें ४ या ५ विभागों से सम्बन्धित मांग रखी गयी है और मैं समझता हूं कि इस पर पुनर्विचार अवश्य होना चाहिये ।

साथ ही साथ जहां तक सामान्य प्रशासन का सम्बन्ध है, हम यह देखते हैं कि सेक्रेटेरियेट रिआर्गेनाइजेशन की स्कीम को ड्राप कर दिया गया है और जो मेहनत के० के० दास साहब ने दो तीन वर्ष तक की वह मालूम होता है निरर्थक होने जा रही है । मैं जानना चाहूंगा कि अब वे किस तरह से उसको करना चाहेंगे और जो रिआर्गेनाइजेशन डिवीजन कायम किये गये थे उनका वे क्या करने वाले हैं और किस प्रकार से हमारे एक्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स का समन्वय होने वाला है । जो जिले सेक्रेटेरियेट लेविल पर कामों में होती है उसको वे किस प्रकार से दूर करने वाले हैं । इसकी कोई रूपरेखा उन्होंने नहीं बतलायी है । माननीय पालीवाल जी इस सम्बन्ध में काफी कह चुके हैं । मैं इतना कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर दूसरे विभाग का है और सेक्रेटरी दूसरे विभाग का है, उनमें कोई समन्वय नहीं है । एक एक डिपार्टमेंट के आज बीस-बीस सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी को पावर्स डेलिगेट कर दी गयी हैं लेकिन हेड्स आफ डिपार्टमेंट्स को नहीं की गयी हैं, नतीजा यह हुआ है कि परस्पर विरोधी आज्ञायें निकलती रहती हैं और उनके कारण काम्प्लीकेशन बढ़ते हैं । तो माननीय पालीवाल जी ने जो सुझाव दिये हैं सोशलिस्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन के उन पर विचार होना चाहिये ।

आज हमारी सर्विसेज कहती हैं कि हमें क्या, हुकूमत जो आयेगी हम तो उसके हैं । अगर कल को कैपिटलिस्ट हुकूमत आये तो उनकी हां में हां मिलायेंगे । आज हमारी सर्विसेज की अपनी कोई आइडियालाजी नहीं है । जो हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग स्कूल है उनका करीकुला क्या है, उसमें सोशलिज्म क्या है, प्लान्ड एकोनामी का क्या मकसद है वह इसको जान सकें इसके लिये कोई प्रबन्ध होना चाहिये । जब तक हमारी सर्विसेज सोशलिज्म की आइडियालाजीज से ओतप्रोत नहीं की जातीं तब तक हमारी सर्विसेज सोशलिस्ट प्लान्ड एकोनामी को नहीं चला सकतीं । इस दृष्टिकोण से हमारी सारी प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिये ।

मैंने २ वर्ष पहले इस बात की मांग की थी कि जिला स्तर पर जिले की बाउंडरीज का पुनर्गठन होना चाहिये और सब-डिवीजन का जिला स्तर पर पुनर्गठन होना चाहिये । मुख्य मंत्री जी ने उस वक्त उसका स्वागत भी किया था । मैं नहीं जानता कि उन्होंने गत-वर्षों में डिस्ट्रिक्ट बाउंडरीज को और सब-डिवीजन की बाउंडरीज को पुनर्वितरित करने के लिये कहां तक और क्या कदम उठाये हैं । उन्होंने इस ओर कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया था और यह भी कहा था कि एस० डी० ओज० के हेडक्वार्टर्स हम डिस्ट्रिक्ट्स के सब-डिवीजन्स में रखेंगे । सब जगह यह नहीं हो पाया । क्या कारण है, मैं नहीं जानता । आज सारी ताकतें डिस्ट्रिक्ट

मैजिस्ट्रेट के हाथ में हो गयी हैं । मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ला ऐंड आर्डर पावर को अलग कर दिया जाय और उसकी डेवलपमेंट्स पावर्स को, विकास की शक्ति को अलग कर दिया जाय । इस समय जिसके हाथ में न्याय की शक्ति है उसी के हाथ में विकास सम्बन्धी शक्ति भी आ गयी है । इन दोनों शक्तियों को अलग होना चाहिये । जब तक एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और प्लानिंग, ये तीनों अलग-अलग नहीं होंगी तब तक हमारा प्रशासन न प्रजातांत्रिक हो सकता है, न समाजवादी और न विकेन्द्रित हो सकता है । इसलिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के इंस्टीट्यूशन पर अवश्य विचार होना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ सर्विसेज का कैरेक्टर रोल मेन्टेन करना ब्रिटिश साम्राज्यशाही का एक नमूना है । उसी के आधार पर प्रोमोशन होता है । मैं चाहूंगा कि बजाय कैरेक्टर रोल के सर्विस रोल होना चाहिये जिसमें पाजिटिव स्टेटमेंट हो कि इतना काम किया और उस कार्य के आधार पर मेरिट जाननी चाहिये न कि केवल "सैटिस्फैक्टरी" या और गोल से शब्द लिख दिये जायं । माननीय मुख्य मंत्री जी जिस समय शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक पे कमेटी बिठायी थी । उस कमेटी की रिपोर्ट से मैं २–४ लाइनें पढ़ देना चाहता हूं :—

"Our province with its robust radical traditions should take a lead in ushering in that change. Till it comes, however, we can only attempt to remove serious defects and introduce some element of reason into what might well be called a riotous situation."

तो उन्होंने स्वयं कहा था कि आज जो प्रशासन की स्थिति है वह एक रायटस सिचुएशन है । यानी, एक प्रकार से आतंकवादी स्थिति पैदा हो गयी है । उन्होंने स्वयं कार्ल मार्क्स की मैक्सिम को जुलाई, १९४६ में दोहराया था । लिहाजा आज इस बात की आवश्यकता है कि समाजवादी व्यवस्था में क्या सर्विस कंडीशन्स होनी चाहिये इस सब पर विचार करने के लिये एक हाई पावर कमेटी बिठायी जाय । तो मैं जुलाई, १९४६ को जो स्वयं उनकी घोषणा थी उसके आधार पर चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी एक सेकेंड पे कमेटी या यों कहिये कि एक सर्विस कमेटी की घोषणा करें । और इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन लागू नहीं किया । जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने ३० जनवरी, १९५३ को एक जी० ओ० निकाला था उसके पैराग्राफ १५ में लिखा था—

"Appointment of a committee for enacting a comprehensive legislation, as envisaged in Article 309 of the Constitution, to govern all aspects of a person's service under the Government."

यह सिफारिश उस प्रस्ताव द्वारा सरकार ने स्वीकार कर ली और उस कमेटी के चेयरमैन पंडित पंत थे । तो यह स्वीकार की हुई कमेटी भी सरकार ने अभी तक स्थापित नहीं की । उस सिफारिश में यह भी कहा गया था कि जब तक यह कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती और जब तक आर्टिकिल ३०९ आफ दि कांस्टीट्यूशन के अनुसार काम्प्रिहेन्सिव लेजिस्लेशन नहीं बनता गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के लिये तब तक के लिये एक ओमनीबस सर्विस रूल्स सारी सर्विसेज के लिये बनायेंगे । वह भी नहीं हुआ । पता नहीं वह फाइल कहां दबी रही ।

दूसरी बात यह है कि गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स की पर कैपिटा इन्कम गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स स्वयं नहीं बढ़ा सकते जबकि फर्स्ट और सेकेंड फाइव ईयर प्लान्स का यह उद्देश्य है कि हम इतने परसेंट पर कैपिटा नेशनल इन्कम बढ़ायेंगे । तो ऐसी हालत में सरकार का स्वयं यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह उनकी इन्कम बढ़ाये, क्योंकि वे व्यापार नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते । इसलिये सरकारी कर्मचारियों के हितों को पूरा करने का सरकार का दायित्व है । इसलिये इस सम्बन्ध में ध्यान रखना आवश्यक है । माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से तथा सरकार की ओर से घोषणा हुई है कि महंगाई भत्ते को तनख्वाह में शामिल कर दिया जायगा, इसका अर्थ यह

श्री नारायणदत्त तिवारी]

हुआ कि महंगाई भत्ता समाप्त हो गया। बाजार में महंगाई मौजूद है लेकिन महंगाई भत्ता समाप्त हो गया। मैं समझता हूं कि यह स्थिति का निराकरण नहीं है। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी भी नहीं चाहेंगे कि महंगाई भत्ता समाप्त हो जाय जबकि बाजार में महंगाई बनी हुई है। एक और एनोमली है कि एक तरफ ढाई रुपये और ५ रुपये बढ़ाने की बात कही गई है और दूसरी तरफ कहा गया है कि महंगाई भत्ते को तनख्वाह में बढ़ा दिया गया है। इससे सरकारी नीति स्पष्ट नहीं होती है। इसलिये इसके स्पष्ट होने की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार से जो इस मांग के सम्बन्ध में कहा गया है वह काफी नहीं है। यदि केन्द्रीय सरकार से जोरदार शब्दों में कहा जाय तो मुझे विश्वास है कि इस बात पर वह राजी हो जायगी कि जितना महंगाई भत्ता केन्द्र में दिया जाता है उतना ही यहां भी दिया जाय।

विटले कौंसिल के संबंध में आपके मुख्य मंत्री जी सभापति थे और उन्होंने कहा था कि हमारे यहां यह स्थापित की जाय। कंसीलियेशन मशीनरी स्थापित की जाय। दूसरे सरकारी विभागों के लिये यह लागू नहीं है। मै मांग करूंगा कि मुख्य मंत्री जी अपनी स्वयं की सिफारिश को लागू करें। जब तक इस प्रकार की मशीनरी नहीं होगी तब तक कोई भी गवर्नमेंट सर्वेन्ट मुख्य मंत्री तक नहीं पहुंच सकता है। इसके कोई नियम भी नहीं हैं। कोई ट्रिब्यूनल भी नहीं है जहां वह कोई बात कह सके। विटले कौंसिल के रूप में यह चीज न हो तो किसी न किसी रूप में होनी चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश की ओर ध्यान दिलाऊंगा जिसमें कहा गया है कि बहुत-सी सबार्डिनेट सर्विसेज के अभी तक रूल्स नहीं बने हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विस है, कई साल बीत गये हैं, लेकिन अभी तक रूल्स नहीं बन पाये हैं। जिन सर्विसेज के नियम नहीं बने हैं वह बन जाने चाहिये।

इसके साथ ही साथ जो हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं, प्राविन्शियल सर्विसेज है उसको बदल कर अब इन्डियन डेवलपमेंट सर्विसेज, इंडियन इकोनामिक सर्विसेज, इंडियन टैक्निकल सर्विसेज आदि के रूप में कर दी जायं। अगर हम उनको प्लानिंग की ओर ले जाना चाहते हैं तो नये प्रकार की सर्विसेज करनी होंगी। उत्तर प्रदेश ने जैसे ५५ वर्ष के बजाय ५८ वर्ष करने में लीड ली है उसी तरह से मेरा सुझाव है कि उसे प्राविन्शियल इकोनामिक, प्राविन्शियल टेक्निकल, प्राविन्शियल डेवलपमेंट सर्विसेज आदि स्थापित करनी चाहिये। जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल है उसके सिलेबस को बदला जाना चाहिये। यह अच्छी तरह सबको मालूम है कि वहां किस तरह के ड्रामे दिखाये जाते हैं। जब तक हमारी रिक्रूटिंग पालिसी नहीं बदलेगी और सर्विसेज को ट्रेन करने की पालिसी नहीं बदलेगी तब तक समाजवादी समाज नहीं बन सकता है। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार ध्यान दे और जल्द कदम उठाया जाय।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे उठते ही मुख्य मंत्री जी चले गये इसलिये मेरा आधा उत्साह घट गया। फिर भी आधे उत्साह से जो अर्ज कर सकूंगा जरूर कहूंगा। सब से पहले यह अर्ज है कि मैं मुबारकबाद दूं अपने कर्मचारियों को, मुख्य मंत्री जी को और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहबान को जिन्होंने यह बजट पेश किया है। इतना ही नहीं, मैं तो विरोधीवृन्द को भी मुबारकबाद देता हूं। एक उर्दू का शेर है---

वह दुश्मनी से देखते हैं, देखते तो हैं,
मैं शाद हूं, हूं तो किसी की निगाह में।

वह क्रिटिसाइज करते हैं। अगर वह सही है तो उससे फायदा उठाना चाहिये और अगर गलत है तो जवाब देना चाहिये। जवाब देने से फायदा होगा, अखबार में निकलेगा, लोग समझेंगे कि शिकायत गलत की जाती है और सरकार ने सही जवाब दे दिया। मैं विस्तार में न जा कर अपने सुझाव पेश करूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सोचना यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि अच्छा काम हो, भ्रष्टाचार न हो, मेम्बर चाहते हैं कि काम अच्छा हो भ्रष्टाचार न हो। विरोधी वृन्द भी चाहते हैं, सरकारी कर्मचारी भी चाहते हैं और कहीं मतभेद हो तो हो, लेकिन मुल्क की गरीबी मिटाने में, अशिक्षा मिटाने में, भ्रष्टाचार मिटाने में, मुल्क की तरक्की करने में सब की राय एक है । सोचना यह है कि सारा जमाना चाहता है फिर भी क्यों नहीं ठीक होता। नारायण दत्त जी ने कहा कि यह कानून बने, वह कायदा बने। कानून कायदा बना कर जेल भेज सकते हैं, किसी को तरक्की भी दी जा सकती है, एक अमीर को गरीब बनाया जा सकता है, लेकिन कानून कायदा बना कर बेईमान को ईमानदार नहीं बनाया जा सकता, गरीब को धनी नहीं बनाया जा सकता। इसलिये मेरा सुझाव है कि हमारे कायदे कानून बनाने के बाद वह इसलिये कार्यरूप में परिणत नहीं होते, क्योंकि आदमियों को बदलना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि सरकारी कर्मचारी सब के सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। खराब भी हैं, अच्छे भी हैं। लेकिन ज्यादातर अच्छे हैं। खासकर उच्च कर्मचारी बहुत अच्छे हैं। वे चाहते हैं कि मुल्क की भलाई हो, लोग खुश रहें। मैं उन्हें करीब से जानता हूं। ये सरकारी कर्मचारी वही हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कर्मचारी थे और कांग्रेस की मदद करते थे, अपनी नौकरी को खतरे में डाल कर मदद करते थे। तो वही हैं। बदल नहीं गये। ज्यादातर पुराने ही अफसर हैं। मेरी गुजारिश है कि इसमें भावना की जरूरत है। यह शासक बड़े अच्छे हैं। मुकदमा सुन लेंगे, फैसला अच्छा करेंगे, जल्दी करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। कोई इंतजाम का मामला दे दीजिये वह भी करेंगे। लेकिन दूसरे का व्यू बदल कर स्वार्थों को परमार्थ में नहीं बदल सकते, खुदगरज को त्यागी नहीं बना सकते। पढ़ाया ही गया था कि पैसा कमाओ, धनी बनो। धनी बनने का रास्ता था, जमींदार बनो, राजा बनो। आराम का रास्ता यही था कि अच्छे जमींदार बनो। जिन्दगी भर आराम करो। सेकेन्ड नम्बर पर यह था कि बड़े भारी पूंजीपति बन जाओ, तब आराम करो। जमींदारी टूट गयी। राजा खत्म हो गये। बिजनेसमैनों पर हैवी टैक्स लग गया। तो आराम की जगह सरकारी नौकरी रह गयी। पढ़ो लिखो, सरकारी कर्मचारी बनो। आराम करो। अगर आराम करने के दृष्टिकोण से सरकारी कर्मचारी बनेंगे तो आशा न कीजिये कि अच्छा काम होगा। अगर उनसे अच्छा काम लेना चाहते हैं तो भावना बदलनी पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनो ताकि पब्लिक को आराम पहुंचाओ। जज बनें, कलेक्टर बनें, मुंसिफ बनें, डिप्टी कलेक्टर बनें, थानेदार बनें, ताकि हम पब्लिक की सेवा कर सकें। यह भावना उनमें आनी चाहिये। अगर यह भावना आ गई तो आप कायदा कानून भी न बनाइए, वे खुद करने लगेंगे। बहुत से काम करते हैं आज भी। लेकिन अगर यह भावना है ऐश करने की, ऐश फर्स्ट और सेवा बाद में, तो बनाइए कायदा कानून। कानून तो बना हुआ है कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिये लेकिन वह आज भी जारी है। कानून तो बना हुआ है कि सिफारिश करना कराना जुर्म है लेकिन वह आज भी चलती है। तो इसके लिए हमें भावना बदलनी चाहिये।

थोड़ा-सा यह भी है कि वह समझते हैं कि हम बड़े होशियार हैं, बड़े चतुर हैं, बड़े काबिल हैं। हैं काबिल। अंग्रेजी लिख सकते हैं लेकिन हिन्दी नहीं जानते। हिन्दी में जजमेंट लिखाइए तो दस गलतियां करेंगे। तो आज जरूरत इस बात की है कि उनमें वह भावना भर दी जाय। वह प्रोपोगैण्डा ही था कि बहुत से डिप्टी कलेक्टरों ने अपनी डिप्टी कलेक्टरी छोड़ दी और जेल चले गये। वह प्रचार ही था कि वह अपनी नौकरी को खतरे में डालकर काम करते थे। वह प्रचार आज भी कर सकते हैं। प्रचार करके यह भावना उनके अन्दर भर दें कि कलेक्टर बन रहे हैं पब्लिक की सेवा करने के लिये। फिर उन्हीं से बहुत ज्यादा काम लिया जा सकता है। लेकिन वह भावना जहां ट्रेनिंग कैम्प चलते वहां से नहीं भरी जा सकती। जो भरने वाले हैं उनका कैरेक्टर क्या है, उनका रोल

[श्री सीताराम शुक्ल]

क्या रहा है ? वह भावना तो भर सकते हैं, तपस्वी, त्यागी, विद्वान। आप समझ सकते हैं कि जो एक डबल एम० ए०, आचार्य होगा उसके ऊपर असर पड़ेगा उसी आदमी का जो उससे विद्वान हो, उत्तम वक्ता हो, उत्तम लेखक हो , जिसका चरित्र महान हो, ऐसे आदमी को मौका दें तो वह बना सकता है।

मैं फिर याद दिलाता हूं, देहरादून की बात है। देहरादून में सुबह के वक्त एक साधू थे, वह गाजर धोकर खा रहे थे, जाड़े का दिन था। एक साहब उधर से निकले। उन्होंने कहा कि जाड़े के दिन में यह आप सुबह-सुबह गाजर क्यों खा रहे हैं। साधू ने कहा कि क्या करें, कल भोजन नहीं मिला। आज गाजर खा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरे यहां चलिए, भोजन करिये। उन्होंने पूछा कि कहां पर मकान है आपका। उसने बतलाया कि फलां कोठी है। इस पर उस साधू ने उनसे कहा कि तुम थानेदार हो, तुम्हारे यहां मैं अन्न नहीं खा सकता। उसने पूछा क्यों नहीं खा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम रिश्वत लेते हो, झूठ बोलते हो, डकैती में हिस्सा लेते हो, तुम्हारा अन्न हम नहीं खायेंगे। इससे उनको इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने पूछा कि आखिर कोई सूरत है जिसमें आप मेरे यहां खाना खा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हां, है। तुम इस कोठी को लड़कियों के एक हाई स्कूल के लिये दे दो। उन्होंने कहा कि मैं जरा अपनी स्त्री से पूछ लूं। स्त्री के पास गए। उसने कहा कि लानत है हमारी इस दौलत पर, कोई भला आदमी मेरे यहां का पानी पीने को तैयार नहीं है। स्त्री ने अपनी सहमति दे दी। वह साधू के पास गए। उससे कहा कि हम तैयार हैं। अगर आप चाहें तो रजिस्ट्री के पहले ही खाना खा लें या नहीं तो रजिस्ट्री के बाद खा लें। रजिस्ट्री में थोड़ी देर लगेगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पहले ही खाना खाये लेते हैं। उसके बाद उन्होंने जाकर उस कोठी की रजिस्ट्री कर दी। तो ऐसे विद्वान हमारे मुल्क में हैं, तपस्वी, त्यागी और उत्तम वक्ता। उनसे उपदेश कराया जाय तो इन्हीं से बहुत काम लिया जा सकता है। मगर वह तनख्वाह पर नहीं मिल सकते हैं, सेवा करने से मिलते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट का समय और चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता--आप तो कह रहे थे कि ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री सीताराम शुक्ल--एक अर्ज यह कर दूं कि जिस वक्त राजा दशरथ के यहां विश्वामित्र गये और कहा--

असुर समूह सतावहिं मोंही। मैं नृप याचन आयउं तोहीं।

तब राजा दशरथ ने उनसे कहा कि

चौथे पन पायेउं सुत चारी। विप्र बचन नहिं कहेउ बिचारी।
चारिउ सुत मोहिं प्राण की नाईं। राम देत नहिं बनत गुसाईं।

लेकिन फिर उन्होंने मन में विचारा --

कुध्यन कुलं प्रज्ञासिविप्रवसनिर्यास्यंसुतः तपसयससिमां समन्युम्।
इत्थंनृपेः पूर्वममानुलोके ततोनयज्ञेगमनं सुतस्य।

उन्होंने सोचा कि ये अगर नाराज हो जायेंगे तो कुल नष्ट हो जायगा और अगर ऐसे जायगा तो बच्चा ही जायगा, कुल बच जायगा। इसलिये उन्होंने राम को देकर कुल को बचा लिया। राम गए, लड़ाई जीती, नाम कमाया, शादी करके लौट आये। तो यह उस जमाने की बात है। तब राज्य शान्ति के साथ चल सकता है। आज तो प्रजातन्त्र है। हमें भले आदमियों की इज्जत करनी चाहिये, उनके उपदेश सुनने चाहिये फिर शासन अच्छा चल सकता है।

*श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सामान्य प्रशासन का विषय जो सदन के समक्ष पेश है उसके सिलसिले में कटौती के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। आज माननीय मुख्य मंत्री का यह अनुदान का विषय चल रहा है मगर आज वह यहां नहीं हैं। अभी कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि सामान्य प्रशासन का विषय कोई विकास का विषय नहीं है। ठीक है, यह विकास का विषय नहीं है किन्तु मैं समझता हूं कि यह एक महत्व का विषय जरूर है। सामान्य प्रशासन शासन पद्धति में एक महत्व का विषय है और हुकूमत जो चलती है वह इसी के द्वारा सही या गलत चलती है। अगर इसके अन्दर अच्छाइयां हैं तो सारे देश की शासन सत्ता अच्छी हो सकती है और अगर इसके अन्दर खामी है तो सारे देश की शासन सत्ता में खामी हो सकती है। तो यह जो उन्होंने कहा कि यह विकास का विषय नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि विकास जैसे आगे बढ़ता है तो इसमें भी अगर पिछले समय को देखें तो १९४७ से हम आजाद हुए, आज ११ साल हो गये, हम देखेंगे कि इसमें क्या तरक्की हुई। जो सामान्य प्रशासन का रूप, स्वरूप ब्रिटिश रूल में था उससे आज क्या भिन्नता आई है, क्या तब्दीलियां आई हैं, जनता के आराम और सुख के लिये क्या नवीनता उत्पन्न हो गई जब कि आज हम स्वतंत्र हैं, हमारी सरकार है और हमको सभी हक हासिल हैं?

यहां पर मुख्य मंत्री जो उपस्थित नहीं हैं लेकिन फिर भी यदि कोई सज्जन हों तो उनसे कहें। कुछ वर्ष पहले सन् १९५३ में एक बार मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि कुछ लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है कुछ समय के लिये, और कुछ लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है हमेशा के लिये, लेकिन समाज के सभी लोगों को हमेशा के लिये मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। आज ११ साल हो गये सरकार को, तो सरकार ने अपने सामान्य प्रशासन के द्वारा जनता के सामने जो एक आदर्श पेश किया है उसको जनता खूब समझती है कि सरकार ने अब तक उसको मूर्ख बनाया है। ११ वर्ष में जनता से क्या क्या हक छीने गये, जनता के सामने क्या-क्या परेशानियां आई हैं और क्या-क्या मुसीबतें आई हैं और किन-किन नई समस्याओं से उसके ऊपर संकट डाला गया है, इसको जनता खूब समझती है वह भोली नहीं है। जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा वही चीज उनके ऊपर लागू होती है कि आज ११ साल से किस तरह से जनता को उन्होंने मूर्ख बनाया है और किस तरह से कूट नीति का प्रचार किया गया नेताओं के द्वारा।

दूसरे, समाजवादी पार्टी जो समाजवाद के आधार पर देश का संगठन सही ढंग से करना चाहती हैं, उत्तम व्यवस्था लाना चाहती हैं, सामाजिक और राजनीतिक दिशाओं में सुधार करना चाहती है उसको किस तरीके से कुचला गया जब कि सरकार हमेशा यही कहती है कि वह तो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम करना चाहती है? तो एक तरफ तो सरकार समाजवाद की दोहाई देती है कि हम समाजवाद पर चल रहे हैं और दूसरी तरफ वह पार्टियां जो समाजवाद वास्तव में देश में लाना चाहती हैं और समाजवाद के आधार पर जनता की मुसीबतों को दूर करना चाहती हैं, उनके ऊपर दमन चल रहा है। इन पिछले ११ वर्षों में सरकार ने केवल एक नमूना पेश किया है। उससे मैं यह समझता हूं कि एक तरफ तो सरकार ने पूंजीवादी नीति को अपनाया है और दूसरी तरफ मजदूर और किसानों को कुचला है, उनके हक को छीना है। अदालती पंचायतों के पंचों को जनता की तरफ से चुनने का जो हक मिला था उसको छीना है। जिला बोर्ड जो लोकल संस्था है, जिसमें जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते थे, उनके हक को छीनकर अपने हाथ में सरकार ने लिया है। इसी प्रकार से सरकार ने कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जहां पर जनता के अधिकार की बात थी वहां पर सरकार ने छीनने की कोशिश न की हो।

दूसरी तरफ जहां आराम और सुख सुविधा के पहुंचाने का सवाल है वहां पर आज सामान्य प्रशासन के द्वारा नंगा नाच कराया जा रहा है। सभी जानते हैं कि ११ वर्ष से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरदयाल सिंह]

पुलिस विभाग से और माल विभाग से जनता को कितनी सेवा मिली है। प्रत्येक व्यक्ति उससे परिचित है कि कितनी चोरी, डकैती, कत्ल और राहजनी बढ़ी है, कितने उत्पात बढ़े हैं, कितना वैमनस्य बढ़ा है, कितने कलह, झगड़े और पार्टीबन्दी गांव-गांव में बढ़ गई है। जिस नीति को अंग्रेजी सरकार बरतती थी उसी डिवाइड ऐण्ड रूल की पालिसी को यह सरकार बरत रही है जिसके कारण आज गांव-गांव में उत्पात, वैमनस्य, लड़ाई और झगड़े घर-घर में फैले हुए हैं। पिछले ११ वर्षों में जो सामान्य प्रशासन प्रदेश में रहा है उसने सारी परिस्थिति को सुलझाया नहीं है। हम आशा करते थे कि सामान्य प्रशासन इन चीजों को दूर कर सकेगा लेकिन उसने उलझाया है सुलझाया नहीं है। ब्रिटिश सरकार जिस नीति पर चलती थी उसी नीति पर आज यह सरकार चल रही है। अंग्रेजी जमाने में जो यहां पर आनरेरी मैजिस्ट्रेट थे, जो केवल इस बात का नमूना थे कि अंग्रेजी शासन को यहां पर अधिक से अधिक समय तक कायम रखा जाय, आज उनको भी यह सरकार कायम रखना चाहती है। वह सोसाइटी में इसी वजह से कायम रखे जाते थे कि वह शासन अधिक से अधिक समय तक कायम रखें। आज भी इस सरकार की वही नीति चल रही है। इन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की क्या जरूरत है? इनसे जनता का क्या लाभ है? जब हमारे मैजिस्ट्रेट बने हुए हैं तो इन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के रखने की क्या आवश्यकता है? इससे साफ जाहिर है कि जो पालिसी अंग्रेजी सरकार की थी उसी पालिसी को यह कांग्रेस सरकार भी जीवित रखना चाहती है।

तीसरी बात मैं भ्रष्टाचार के सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं कि इन ११ वर्षों में भ्रष्टाचार और अन्याय कितना बढ़ा है इसका अनुमान आप सहज में ही लगा सकते हैं। सरकार की जो सामान्य प्रशासन की नीति है उससे कोई भी सुधार इस प्रशासन में नहीं हुआ है। मैंने एक सुझाव पिछले साल भी रखा था कि गरीब मजदूर और किसानों के लिये सरकार को चाहिये कि एक कानूनी सलाहकार रखे जो उनको मुफ्त सलाह दे। जो हरिजन, पिछड़े हुए लोग, गरीब किसान और मजदूर अदालत में जाकर कानूनी कार्यवाही करना चाहते हों उनको सरकार की तरफ से कानूनी सलाह मुफ्त होनी चाहिये। आज इतनी रिश्वत बढ़ी हुई है कि जिससे जनता परेशान है। ऐन्टी-करप्शन विभाग कायम किया गया है परन्तु उससे क्या लाभ जनता का हो रहा है? वह भी अपना एक हिस्सा उसमें बांट लेते हैं। इस बात को देखा जाय कि साल भर में उसकी क्या आमदनी हुई है और उसने अपनी फैमिली पर क्या खर्च किया है। कितना वह बचा सकता है औसतन, उसको देखा जाय। अगर किसी की आमदनी २,५०० रुपया है तो अधिक से अधिक अपनी फैमिली के भरण पोषण के बाद वह क्या बचा सकता है? अगर ११ साल में किसी आदमी ने कोई एक लाख की हवेली तैयार की है तो उस पर कोई प्रतिबन्ध लगना चाहिये। उसकी कैपेसिटी जाहिर होनी चाहिये। यह रिश्वत-खोरी दूर करने के लिये सुझाव हो सकता है।

जुडीशियरी और ऐडमिनिस्ट्रेशन का मामला हमारी सरकारी ने अभी भी झमेले में डाल रखा है। क्यों नहीं यह प्रत्येक जिले में लागू किया जाता है? जो शख्स एक तरफ एडमिनि स्ट्रेशन करता है और दूसरी तरफ जुडिशल काम भी करता है तो लामुहाला काम ठीक नहीं करेगा। इस सरकार के एस० पी० और डी० एम० उसकी नौकरशाही के नमूने हैं। आज एक विधान सभा के सदस्य को, जो सारे सूबे के बारे में यहां बोल सकता है और जनता का प्रतिनिधि है, चाहे मंत्री जी कुर्सी दे दें मगर एस० पी० और कलेक्टर नहीं देते। क्या यही जनतंत्र का नमूना है? यहां के मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जब बाहर दौरे में जाते हैं तो जो भी खर्चा उनकी टी पार्टी वगैरह में होता है वह वहां के स्टाफ पर पड़ता है। एक तहसीलदार ने हमसे यह कहा कि इससे रिश्वतखोरी बढ़ती है क्योंकि वह खर्चा नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल से भी लिया जाता है जो वे काश्तकार से लेते हैं।

*श्री नवल किशोर (जिला बरेली)---मान्यवर, आज सामान्य प्रसासन का बजट हमारे सामने है। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रान्ट पर आज वाद-विवाद हो रहा है। हमारा सारा ढांचा समाजवाद बनाने का, नियोजन कैसे कामयाब हो और हमारे लक्ष्य कैसे पूरे हों, इन सबका दारोमदार हमारे प्रशासन पर होता है। मैं जब बजट देखता हूं तो मुझे यह लगता है कि प्रशासन पर हम करीब ४७ करोड़ रुपया इस साल खर्च करने जा रहे हैं, कर्जों के सूद और पेंशन को देखें तो लगभग साढ़े १९ करोड़ रुपया वह होता है और तमाम कांटिंजेंसीज भी १७ करोड़ के लगभग हो जाती हैं। इस प्रकार यह लगभग ८३, ८४ करोड़ रुपया होता है। मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारा गरीब प्रदेश केवल इन तीन मदों पर ही इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब हम मांग करते हैं कि तनख्वाहें कम की जावें तो एक दलील दी जाती है, जो मेरी समझ में भी आती है, कि गवर्नमेंट आफ इंडिया हमारे बीच में आ जाती है क्योंकि उसका भी फर्ज है कि यूनीफार्मिटी रखी जाय। लेकिन जब हम यह कहत हैं कि १,००० रुपये से ज्यादा वालों की संख्या कम की जाय तो इसके मानी यह नहीं हो सकते कि हम भिखमंगों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, जैसा कि कभी कभी कहा जाता है। यदि हम ऐसा करें तो बचे हुए पैसे को किसी प्रोडक्टिव काम में लाया जा सकता है और इससे हम १०, १५ हजार आदमियों को रोजगार दे सकते हैं। कोई वजह नहीं है कि हमारी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वेतन क्यों न निर्धारित किये जावें। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया इस पर दोबारा सोचे कि हमारे सेक्रेटरियेट में यह बात कहां तक लागू की जा सकती है और कम्पेंसेटरी और दूसरे भत्ते जो दिये जाते हैं, जो जिलों में भी दिये जाते हैं, उनमें कमी क्यों न की जाय ?

हमारी इकोनामी कमेटी है और एस्टीमेट्स कमेटी है। मैं चाहता हूं कि उनकी सिफारिशों पर सम्मानपूर्वक विचार किया जाय और उसको माना जाय। जैसा कि अभी तिवारी जी ने भी संकेत किया था, मेरा भी विश्वास है कि बहुत से विभाग ऐसे हैं जो सेक्रेटेरियेट में शामिल किये जाते हैं और यहां के वेतन दिये जाते हैं। यदि वे डिपार्टमेंटल हेड्स के विभाग बना दिये जावें तो काफी बचत हो सकती है। ऐसे भी हमारे यहां विभाग हैं जो एक दूसरे के साथ मिलाये जा सकते हैं। इससे भी खर्च में कमी हो सकती है।

आज हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन की तीन बातें देखने की और हैं। एक तो डिले यानी देर, और दूसरे वेस्टेज या फजूलखर्ची और अन्त में भ्रष्टाचार की बात भी इन्हीं दो से पैदा होती है। करप्शन के लिये, मैं बधाई देता हूं मुख्य मंत्री जी को और दूसरे मंत्रियों को कि, उन्होंने शिकायत होने पर जांच की प्रथा चला रखी है। इसका जनता पर अच्छा असर पड़ेगा। जहां तक सवाल देर और वेस्टेज का है, इसे रोकने के लिये सरकार ने पिछले दिनों में एक रिआर्गेनाइजेशन कमिश्नर की नियुक्ति की। यहां भी कहा गया कि उन्होंने कोई योजना चलाई है, यद्यपि उसकी रूपरेखा स्पष्ट नहीं की, यह भी कहा गया कि वह बहुत अच्छी है और उससे काफी बचत होगी। उस समय भी मेरे दिमाग में यह बात थी और मैंने हाउस में कहा था कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर, चाहे वह कितना ही काबिल क्यों न हो, ऐसी योजना नहीं छोड़नी चाहिये। मेरे दिमाग में डर था कि यदि वे व्यक्ति यहां से चले गये तो सारी योजना बेकार हो जायगी। नैसो, आज रिआर्गेनाइजेशन कमिश्नर साहब के चले जाने के बाद रिआर्गेनाइजेशन की योजना जिसकी इतनी तारीफ की गई थी यहां और प्रेस कान्फ्रेन्स में भी, उसे यकायक बिना ट्रायल दिये हुए छोड़ दिया गया। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि वह योजना कितनी कामयाब होती। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि चन्द व्यक्तियों पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवल किशोर]

इतनी बड़ी योजना को छोड़ देना कोई अकलमन्दी की बात नहीं है । सरकार को ५, ७ आदमियों की एक कमेटी बनानी चाहिये जो एक व्यापक योजना निकाले और उसे जारी किया जाय । यह नहीं होना चाहिये कि एक चीफ सेक्रेटरी ने कोई चीज चलाई और दूसरा चीफ सेक्रेटरी आया तो उसने दूसरी चीज शुरू कर दी । इससे पैसे का वेस्टेज तो होता ही है लेकिन लोगों में असंतोष भी पैदा होता है ।

प्रशासन के संबंध में श्रीमन्, एक दुख की सी बात है कि आज जिले के स्तर पर हम देखते हैं कि काफी असन्तोष है । अनजाने में, बिना किसी तैयारी के एक संघर्ष सा चल रहा है । जनतांत्रिक तत्व जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनका और सरकारी कर्मचारियों का इससे संबंध है ।

(इस समय १ बजकर ५८ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए ।)

यदि जनतंत्र को कामयाब होना है तो सरकार का फर्ज है कि यह जो एक नई बीमारी पैदा हो रही है कहीं ऐसा न हो कि यह हमारी जड़ों को कमजोर कर दे । इसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान अवश्य जाना चाहिये । मैं तो कई बार कह चुका हूं और एक बड़ी छोटी सी मांग इस सदन के द्वारा पेश की है और उसे आज ७ साल हो गये कि एक वारेन्ट आफ प्रिसिडेंस बनाया जाय । कम से कम जनता के प्रतिनिधियों को यह तो मालूम होना चाहिये कि आफीशल फंकशन्स में उनकी जगह कहां है ? मैं नहीं जानता कि नौकरशाही सरकार के ऊपर हावी है या क्या बात है कि अभी तक इतनी छोटी सी मांग को भी हमारी सरकार पूरी नहीं कर पाई है । मैं आपके द्वारा, श्रीमन्, अर्ज कर देना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो एकोनामी की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि काफी खर्चे ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिये और वे बचाये जा सकते हैं । जिस तरफ मैं संकेत कर रहा हूं, यद्यपि उसका वास्ता जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है, लेकिन हमारे यहां एक योजना है ८ लाख रुपये की जिनके द्वारा विधान भवन को डेकोरेट किया जा रहा है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वे इस रुपये को बचाने की कृपा करें ।

सेक्रेटेरियेट के बारे में हमारा यह नियम है कि तीन साल से अधिक किसी भी आफिसर को यहां न रहने दिया जाय और माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले सालों में इस ओर काफी कदम उठाया है और लोगों को इधर उधर भेजा है और नये लोग यहां आये हैं, लेकिन आज भी मैं देखता हूं कि यहां पर ऐसी खासी संख्या है जो १०–१० बरस से काम कर रहे हैं । उसका नतीजा यह होता है कि यहां पर इन्ट्रिग्स और क्लिक्स पैदा हो जाती हैं जिनके कारण से लोगों में एक खतरनाक जनरल फीलिंग यह पैदा हो गयी है, यद्यपि यह धारणा गलत है कि जो प्रमोशन होते है वे मैरिट पर नहीं होते हैं और जिनका पुल होता है उनका प्रमोशन हो जाता है । यह धारणा गलत धारणा है, लेकिन अपनी जगह पर है । इसलिये जो ये क्लिक्स हैं उनको सख्ती के साथ खत्म किया जाना चाहिये और लोगों में यह विश्वास पैदा किया जाना चाहिये कि योग्यता के आधार पर प्रमोशन होंगे और किसी दूसरे तरीके से नहीं ।

एक्सटेन्शन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से एक जी० ओ० हुआ जिसके द्वारा रिटायरमेंट की उम्र ५५ साल के बजाय ५८ साल कर दी गयी । यह कहां तक सही हुआ, उसके बारे में इस वक्त मैं अपनी ओपीनियन नहीं दूंगा लेकिन ५८ वर्ष की उम्र के बाद भी अगर सरकार किसी को एक्सटेंशन देती है तो यह किसी भी हालत में उचित नहीं कहा जा सकता । सरकार को यह साफ तौर पर डिक्लेअर कर देना चाहिये कि ५८ के बाद किसी भी आदमी को किसी भी हालत में एक्सटेंशन नहीं दिया जायगा ।

टेम्पोरेरी एम्प्लाईज़ की बात भी उठायी गयी। उनकी मांग अपनी जगह पर ठीक है। मुझे खुशी है कि सरकार इस सम्बन्ध में कदम उठाने की कोशिश कर रही है और टेम्पोरेरी एम्प्लाईज़ को परमानेन्ट किये जाने का प्रयत्न हो रहा है।

दूसरी एम्प्लाईज़ की यह मांग कि उनका महंगाई भत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्पलाईज़ के बराबर होना चाहिये, बिलकुल सही है। हमारी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिये प्रेस किया जाना चाहिये क्योंकि इसमें कोई भी जस्टीफिकेशन मालूम नहीं पड़ता है और यह तब भी जब कि वहां भी हमारी ही पार्टी की गवर्नमेंट है। उसको यह देखना चाहिये कि स्टेट्स में जो डिअरनेस एलाउन्स है वह सेन्टर के समान ही होना चाहिये।

मुझे इस बात की खुशी है कि इस साल सरकार ने १०० रुपया तक पाने वाले कर्मचारियों के ढाई रुपये और १०० रुपया से २०० रुपया तक पाने वालों के ५ रुपये बढ़ाये हैं। चूंकि बढ़ाये हैं, इसलिये मुझे खुशी है। लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि जो आदमी कम तनख्वाह पाता है उसका गल्ले का खर्चा अधिक होता है और ज्यादा तनख्वाह पाने वाले का उतना ही कम। इस खयाल से जो कुछ बढ़ाया गया है वह तो ठीक है लेकिन इसके अन्दर कोई सोशलिस्टिक आउट लुक है ऐसी बात नहीं मालूम होती है। उस खयाल से तो १०० रुपया तक पाने वालों के ५ रुपये बढ़ने चाहिये थे और १०० रुपया से २०० रुपया तक ढाई रुपये महीना। यह मैं मानता हूं कि उसका बजट के ऊपर असर पड़ता लेकिन जो बुनियादी चीज़ है उसको हमें मानना होगा। केवल कहने से सोशलिज्म आ जाय, ऐसी बात नहीं है, वैसी धारणा होनी चाहिये। हमारे जो आफीसर्स ट्रेनिंग में जाते हैं उनकी ट्रेनिंग में इस बात पर जोर होना चाहिये कि सोशलिज्म के अन्दर उनकी क्या-क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या-क्या रेस्पांसिबिलिटीज़ हैं। तो, श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं आखिर में इतना और कहना चाहता हूं और उस पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहता हूं, कई बार हम कह भी चुके हैं, वह यह है कि जो हमारी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, और जो हमारा वेलफेयर स्टेट का परपज है जब तक इस मशीनरी का पूरी तरह से ओवरहालिंग नहीं होगा तब तक उस आबजेक्टिव के पूरा होने की हमें आशा नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, समाजवादी राज्य का यह प्रथम बजट सामान्य प्रशासन का है जिसको पेश करते समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने विकास कार्य के सम्बन्ध में कुछ कहने में हिचकिचाहट पैदा की। श्रीमन्, समाजवादी राज्य का यह ढांचा और नक्शा और प्रशासन गांधी जी के आदर्श के विपरीत है तथा उनके कहे हुए वक्तव्य के विपरीत है। श्रीमन्, आपको याद होगा कि गांधी जी ने मरने से पहले कहा था कि जब अपने देश में, अपने प्रदेश में अपना राज्य होगा तो इस देश के किसी भी बड़े आदमी को, इस देश के सबसे बड़े पदाधिकारी को ५०० रु० से ज्यादा वेतन नहीं देंगे। दूसरी बात गांधी जी ने यह कही थी कि जब अपने हाथ में अधिकार होगा तो कलेक्टर जो जिले का सबसे बड़ा गवर्नर और वायसराय होता है उसकी शक्ति का हम विकेन्द्रीकरण करेंगे। हम जानना चाहते हैं आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी से कि क्या ये दोनों बातें गांधी जी के कथन के खिलाफ सरकार कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? श्रीमन्, जब समाजवादी राज्य के सपने की बातें होती हैं कि समाजवादी राज्य का नक्शा क्या हो, जब इस कसौटी पर इस बजट को हम तौलते हैं तो बिलकुल उसके विपरीत पाते हैं। यह कहा गया कि दो, ढाई रुपये छोटी तनख्वाह वालों की तनख्वाह बढ़ाना, यह भी समाजवादी राज्य का एक रास्ता है। श्री नवलकिशोर जी ने इसकी ओर भी इशारा किया कि यदि छोटी तनख्वाह वालों की तनख्वाहें ज्यादा बढ़ायी गयी होतीं और लम्बी तनख्वाह वालों की नहीं बढ़ायी गयी होतीं तथा उनको कुछ नीचे गिराया गया होता तो समझ में बात आती कि छोटे आदमी, गरीब आदमी जिनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति गिर गयी है, उनको आप बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो आदमी सदियों से, हजारों वर्ष से, सैकड़ों वर्ष से सम्पन्न हैं, जिनके हाथ में साधन हैं, जिनकी बड़ी-बड़ी लम्बी आमदनी है,

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

उनकी आमदनी नीचे होने का अवसर होता तो छोटे छोटे आदमियों को भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता, लेकिन इस बजट को देखने के बाद ऐसा कहने में संकोच नहीं होता है कि इस बजट पर समाजवादी नाम केवल लगा हुआ है लेकिन है यह पूंजीवादी ही।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस बजट में बहुत से नये नये अनुदान मांगे गये हैं। खास तौर पर, श्रीमन्, मैं सूचना विभाग की ओर सरकार का ध्यान आपके जरिये दिलाना चाहूंगा कि उस विभाग के ऊपर जरा कंट्रोल होना चाहिये तथा प्राक्कलन समिति ने जो अपनी रिपोर्ट उस विभाग के सम्बन्ध में इस हाउस के सामने दी है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिये कि किस प्रकार से नौकरियां बढ़ायी गयी हैं और किस प्रकार से लोगों की छंटनी की जरूरत है। एक उदाहरण मैं, श्रीमन्, दे दूं कि इसी हजरतगंज में जो सूचना केन्द्र का कार्यालय है वहां एक सूचना अधिकारी रहते हैं। हर जिले के सूचना अधिकारी की तनख्वाह तो ४०० रु० मासिक है, लेकिन यहां के सूचना अधिकारी की तनख्वाह ५०० रु० मासिक है। इसके अलावा उनको स्टेनोग्राफर भी दिया गया है। इस प्रकार की शिकायतें प्राक्कलन समिति की ओर से की गयी हैं, मैं चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष अधिकारी का खयाल न किया जाय तो हजारों रुपये की बचत हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को या अधिकारी को कोई सुविधा दी जाती है और दूसरों को वह सुविधा नहीं मिलती है तो इससे सत्ता खराब होती है। जो नीचे के कर्मचारी हैं, समकक्ष के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं उनके अन्दर भी ईमानदारी से काम करने की लालसा और इच्छा खत्म होती जाती है।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि इसमें जिला परिषदों के चुनाव के सम्बन्ध में १,००,००० रु० की स्वीकृति दी गई है। मैं कहूंगा कि आज जो अंतरिम जिला परिषदें हैं उसके जो चेयरमैन कलेक्टर लोग हैं उनके काम भी कोई अच्छे नहीं हैं। जिस प्रकार से पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे और जिस गति से वे चलते थे उसी गति से आज भी अन्तरिम जिला परिषदें चल रही हैं। कलेक्टर कोई भी पाबन्दी उपाध्यक्ष के खिलाफ नहीं लगा पाते हैं। उपाध्यक्ष जिस गति से, अवैधानिक कार्य, करते थे उसी गति से अब भी कर रहे हैं।

श्रीमन्, आप देखेंगे इस ग्रान्ट में बहुत से डिप्टी कलेक्टर बढ़ाये गये हैं और जे० ओ० भी बहुत बढ़ाये गये हैं। मैं यह भी शासन की एक कमी पाता हूं। जिस प्रदेश में शासन करने वालों की तादाद बढ़ती जाय, अदालतों की तादाद बढ़ती जाय, अदालतों में हर साल, हर महीने हजारों की तादाद में मुकदमें दाखिल होते जायं यह कोई शासन का बड़प्पन नहीं है। शासन तो अच्छा वही कहा जा सकता है जब जनता के ऊपर शासन करने वाले कम होते चले जायं। एक ऐसा वक्त आये जब शासन मुरझा करके खत्म हो जाय। उस वक्त शासन अच्छा कहा जा सकता है। स्वयं गांधी जी ने भी कहा था कि शासन मुरझा जाय उस राज्य की कल्पना वे करते थे। मास्को के रहने वाले ऐनारकिस्ट भी इस बात को कहते थे। तो क्या यह समाजवादी समाज का नक्शा बनाने वाले लोग यह कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में ऐसा राज्य हो सकता है जिसमें शासन करने वालों की तादाद कम होती जायगी? ऐसा नहीं होने वाला है।

मैं यह भी कहूंगा कि डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर के हाथ में जो शासन है और साथ-साथ जो न्याय है यह बहुत खराब है। जो आदमी डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर के खिलाफ अदालत में इस्तगासा देते हैं, कोई गवर्नमेंट से इजाजत लेता है, उस इजाजत के बाद मुकदमा दूसरे डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर के यहां जाता है। क्या उम्मीद पायी जा सकती है कि जो डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर के खिलाफ किसी पब्लिक के आदमी ने इस्तगासा दे रखा है तो कोई डिप्टी कलेक्टर न्याय कर सकेगा? श्रीमन्, आज की परिपाटी यह है कि अगर जनता में से कोई आदमी डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ कोई इस्तगासा देता है कलेक्टर के यहां तो उसी परगना हाकिम के यहां वह इस्तगासा दे देता है। मैं जानना चाहूंगा कि अपने प्रदेश में कितने डिप्टी कलेक्टरों के खिलाफ इस्तगासे पड़े और कितने उनके खिलाफ फैसल हुए? मेरा खयाल है इस

प्रदेश में कोई भी ऐसा इस्तगासा नहीं होगा जिसमें अदालतें डिप्टी कलेक्टरों के खिलाफ या और लोगों के खिलाफ कोई फैसला लिये हों। न्याय प्रशासन, जिसके सम्बन्ध में सरकार ने बहुत पुराना वायदा किया कि अपने प्रदेश में न्याय और शासन को अलग करेंगे। लेकिन दिन बीतते चले जा रहे हैं सरकार इस नतीजे पर पहुंचती चली जा रही है कि अगर शासन से हम न्याय को अलग करेंगे तो शासन कमजोर होगा। सरकार को कुछ उम्मीद यह है कि उसको जो कुछ लाभ होता है, सत्ताधारी दल को जो लाभ होता है, बिलगाव कर देने से वह नहीं होगा, इसलिये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को सरकार ने कलेक्टर के अधीन कर रखा है। आज कलेक्टर को अधिकार है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कैरेक्टर रोल में कुछ भी लिख सकता है। जब यह अधिकार है तो फिर जुडिशियल आफिसर किसी मुकदमें में कैसे फैसला कर सकेगा जब कि कलेक्टर कुछ दूसरी इच्छा रखे हो और उसकी इच्छा दूसरी होगी ? मैं चाहूंगा अगर सरकार सही माने में चाहती है कि कुछ न्याय सस्ता मिले, अच्छा मिले और जल्दी मिले तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लोगों को हाईकोर्ट के अधीन कर देना चाहिए और हाईकोर्ट के अधीन करते हुए सारी जिम्मेदारी हाईकोर्ट की हो जैसे कि मुंसिफ की है, सिविल जज की है और जजों की है।

इस ग्रान्ट में बाढ़ के सम्बन्ध में भी १ लाख ४९ हजार रुपये की मांग की गई है, जिसमें सिर्फ देशी नावों और कुछ बड़ी मशीन से चलने वाली नावों की मांग की गई है। मैं कहूंगा कि जो सहायता ४८० रुपये की ८०० रुपये में से दी गई है यह बहुत कम है। उस गांव सभा को आप पैसा देते हैं जो अपने आप से नाव खरीद नहीं पाती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जहां की जनता कई सालों से बाढ़ से परेशान है वहां पर ४८० रुपये की सहायता बिलकुल नगण्य हो जाती है। वह भी जो रुपया दिया जाता है वह ठेकेदारी में दिया जाता है। ठेकों द्वारा नाव मंगा कर गांव सभाओं को वितरित की जाती है। उनके कोष से पैसा काट लिया जाता है। यह परिपाटी खत्म की जानी चाहिए। गांव सभाओं को रुपया देना चाहिए और गांव-सभाएं अपने आप मंगाएं। ६०० रुपये में बहुत अच्छी नाव बन सकती है और २०० रुपये की बचत हो सकती है।

इसके साथ-साथ, श्रीमन्, एक बात और आपसे निवेदन करूंगा कि मंत्री लोगों का दौरा कम होना चाहिए। हमने तखमीने का योग लगाया। ५,९४,७०० रुपया राज्यपाल और मंत्री गणों पर व्यय होगा। यह क्या है ? एक ही जिले में एक ही हफ्ते में दो-दो मंत्रियों का दौरा होता है। सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिये होता है। कोई मंत्री वहां नहीं जाता जहां बाढ़ या सूखा है, जहां टेस्ट वर्क होते हैं। वहां जाकर देखें, ऐसा नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जब मंत्री लोगों का सबका सम्बन्ध है तो फिर एक मंत्री अगर एक जिले में जाता है एक हफ्ते में तो वह दूसरे मंत्रियों का भी काम कर आ सकता है। लेकिन एक ही हफ्ते में दो-दो मंत्री जाते हैं। आपको जानकारी होगी, श्रीमन्, कि अदालतें कई दिनों पहले से बन्द हो जाती हैं जहां-जहां मंत्रियों का प्रोग्राम होता है। दो-तीन दिनों पहले से बन्द करके डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर से लेखपाल तक मंत्रियों के प्रोग्राम में लग जाते हैं। अदालतें खुली रहती हैं। मुवक्किल बड़ी बड़ी दूर से और खर्च करके अदालतों में जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि आज फलां मंत्री आये हैं उनकी तैयारी करने में डिप्टी साहब चले गये हैं। मुख्य मंत्री को इस पर पाबन्दी लगानी चाहिए। सरकार को ऐसा हुक्म देना चाहिए कि जब मंत्री लोग दौरे पर जायं तो डिप्टी कलेक्टर उनके पीछे न घूमें, तहसीलदार उनके पीछे न घूमें। डिप्टी कलेक्टर घूम लेता है तो तहसीलदार क्यों घूमता है ? तहसीलदार घूमता है तो डिप्टी कलेक्टर क्यों घूमता है। लेकिन सारी मशीनरी डिप्टी कलेक्टर, प्लानिंग आफिसर घूमते हैं। सारे के सारे आदमी, जैसे कि बारात चलती है दूल्हे के पीछे, उसी तरह से मंत्रियों के पीछे चलते हैं। हजारों रुपया मंत्रियों के दौरों पर उनके खर्च के अलावा खर्च होता है। उससे जनता का बहुत नुकसान होता है। इस पर पाबन्दी होनी चाहिए।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि परदे की तब्दीली में २२ हजार रुपया खर्च होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक तरफ लोग भूखों मरते हैं। एक तरफ चार आने में दिन भर मजदूरी करते हैं। दूसरी तरफ यहां के सब से बड़े उच्च अधिकारी को परदों के लिये २२ हजार रुपया दिया जाय यह लज्जास्पद है और समाजवादी ढांचे का राज्य बनाने का जो लक्ष्य है उसके विपरीत है। अगर सरकार समाजवाद की रचना करना चाहती है तो सही मानों में उसकी ओर कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो कर रही है वह विपरीत है। इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार को इस प्रशासन में एक आमूल परिवर्तन करना चाहिए। आमदनी में आमूल परिवर्तन करना चाहिए। अधिकारियों की ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि समाजवादी समाज की रचना करने में वह जनता की बात का आदर करें। आज जनता से और सरकारी अधिकारियों के बीच में जनतंत्र की रक्षा हेतु एक संघर्ष है। सरकार इस संघर्ष में जनता की मदद करती है तो जनतन्त्र और लोकतन्त्र की विजय होगी और यदि जनता की मदद नहीं की जाती है तो लोकतन्त्र नहीं पनपेगा। हम देखते हैं कि सरकार जनता की मदद नहीं करती वरन् सरकारी अधिकारियों की मदद करती है। लालफीता शाही बढ़ रही है और तानाशाही का बोलबाला है। इन शब्दों के साथ मैं अपने साथी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरिदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)---उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार बजट के जनरल डिबेट के समय माननीय विरोधी दल के नेता ने एक बात फरमायी थी और स्कूल कांडों और गोली कांडों का हवाला भी दिया था। मैंने भी अपने कटौती के प्रस्ताव में एक अपने यहां के गोलीकांड का हवाला दिया है जिसकी कि मैं आलोचना करना चाहता हूं। वैसे सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में तो यहां काफी अच्छे ढंग से, एक स्टैन्डर्ड से बातें हो रही हैं। हमारे यहां वह एक ऐसी अनूठी घटना हुई है जिस पर यकायक किसी को विश्वास नहीं हो सकता, इसलिये मैं यहां उसकी चर्चा करना उचित समझता हूं। मैं जिस जिले से आता हूं वहां पर शान्ति और व्यवस्था के काम के लिये रेगुलर पुलिस नहीं होती, वहां पर पटवारी ही अपने माल विभाग के काम के अलावा पुलिस का भी काम करता है जिसको यहां लेखपाल कहा जाता है। वह ऐसा जिला है कि जहां पर पुलिस के न होते हुये भी जरायम की संख्या बहुत कम है। इस जिले की रानीखेत तहसील के इनटीरियर में एक गांव रामपुर-वल्लागवाढ़ है जो मोटर की सड़क से १५ मील दूर ठेठ जंगल में बसा है और इस गांव में भी वह घर जहां गोलीकांड हुआ अकेला घर है, पहाड़ की चोटी पर वह है, तीनों तरफ जंगल हैं और एक तरफ बंजर है, उस घर के अन्दर मकान में वे गोलियां चलीं और उस गोली चलाने में जिलाधीश शरीक थे, उनके हुक्म से गोलियां चलाई गईं। आप को यह जानकर ताज्जुब होगा कि अकारण ही गोलियां कैसे चलाई गईं। उसका कारण मैं आपके सामने पेश कर दूं और उसका औचित्य और अनौचित्य आदरणीय सदन स्वयं निश्चित कर ले। एक रिटायर्ड मिलिटरी का हवलदार थोड़े दिन पहले लोक सहायक सेना से डिसमिस हुआ, उनको एक बन्दूक मिलिटरी से मिली हुई थी वह उसके पास थी, उसे नौकरी खत्म होने के साथ ही उस बन्दूक को वापस करने का हुक्म हुआ, वह हुक्म उसे मिला या नहीं मिला, लेकिन उसके पहले ही कि बन्दूक उसको वापस करने का हुक्म मिले वह अपनी तहसील के एस० डी० एम० के पास बन्दूक जमा करने जाता है। वह उसे जमा करने से इन्कार करते हैं कि तुम तारीख पर नहीं आये लिहाजा तुम्हारी बन्दूक जमा नहीं होगी। आखिर वह आदमी फिर एस० डी० एम० से प्रार्थना करता है कि आप इस बन्दूक को जमा कर लीजिये और यदि कोई मुकदमा चलाने की या जेल भेजने की मुझे जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं मुझे गिरफ्तार कर लिया जाय। लेकिन मेरा जुलूस बनाकर इतनी दूर तीस, पैंतीस मील से मुझे न लाया जाय। इस पर भी एस० डी० एम० नहीं मानते और कहते हैं कि चले जाइये लौट कर। इस पर वह चला गया और चारा ही क्या था। २८ जून, सन् १९५८ को यह घटना है और १० जुलाई, सन् १९५८ को पटवारी साहब,

जो पुलिस का भी काम करते हैं वे वारेंट लेकर जाते हैं और उसको वारेंट दिखलाते हैं ।

श्रीमन्, विचार कर लीजिये कि जब कोई किसी की इज्जत लेने पर अकारण उतारू हो जाय तो जिन्दा आदमी के लिये तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपनी इज्जत बचाने के लिये कोई कोशिश न करेगा और आखिर दम तक रेजिस्ट नहीं करेगा। मुमकिन है, उसने कुछ रेजिस्टेंस किया हो, हालांकि पटवारी की कोई रिपोर्ट नहीं है कि उसको चोट आयी । लेकिन उसने रिपोर्ट कर दी कि मेरी पकड़ में नहीं आता। एक बात यह भी थी कि आर्म्स ऐक्ट के अनुसार अगर कोई वारेंट हो तो वह बेलेबिल होता है, लेकिन उसकी बेल भी नहीं ली जाती । उसका कारण क्या हो सकता था जिसको कि इस सदन के आदरणीय सदस्य अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पटवारी का क्या मंशा हो सकता था । तो पटवारी जो रिपोर्ट कर देते हैं एस० डी० एम० के पास कि उसके पास बड़े-बड़े आटोमैटिक वैपन्स हैं । तब तहसीलदार साहब वहां पहुंचते हैं तारीख १२ अप्रैल को १०–१२ सिपाही लेकर और मौके पर पहुंचते भी नहीं हैं । क्योंकि विकट रास्ता था और वह ऊंची पहाड़ी पर अकेला रहता था और वहां जाने के लिये पतला सा रास्ता था जिसमें अच्छी तरह से चला भी नहीं जा सकता था। तहसीलदार साहब लौट आये, वहां पहुंचे भी नहीं और कह दिया कि उसके पास तो खतरनाक हथियार हैं, यह पकड़ में नहीं आ सकता । तब डिप्टी कमिश्नर पहुंचते हैं ५० के आस–पास पी० ए० सी० के सिपाहियों को लेकर और रात के ३ बजे जहां वे टिके हुये थे डाकबंगले में, वहां से धावा बोलते हैं और रास्ते में एक जमींदार के यहां रुकते हैं । आप जानते हैं, श्रीमन्, कि जमींदारों और उनके आसामियों के ताल्लुकात कैसे होते हैं और अभी तक हमारे यहां जमींदारी एबालीशन पूरी तरह हुआ भी नहीं है । जो कि थोड़े बहुत जमींदार हैं उनमें से एक जमींदार साहब वहां थे उन्होंने उनकी दावत की और उसमें डिप्टी कमिश्नर की पार्टी को कुछ देर हो गयी और वे १२ बजे दिन को घटना-स्थल पर पहुंचे। उस समय वह व्यक्ति जिसकी बन्दूक जब्त की गयी थी वह और उसके खानदान के लोग वहां अपना नया मकान बना रहे थे । पुलिस को देखकर वे हड़बड़ाकर अपने मकानों में छिप गये । दो मकान थे, जिसके सामने जो मकान पड़ गया वह उसमें घुस गया । एक मकान में तो वह और उसकी बीबी जो अपनी दुधमुंही बच्ची को गोद में लिये हुये थे और उसके दो भाई छिप गये और दूसरे मकान में दो, तीन बच्चे और उसके बूढ़े मां बाप छिप गये और उसकी दो-तीन भाइयों की बहुयें जंगल में घास लेने गयी थीं और एक छोटा भाई जंगल में गऊ चराने के लिये गया था । तो वे अन्दर छिप गये और किवाड़ अन्दर से भेड़ कर ताला दे दिया। खिड़कियों पर किवाड़ नहीं थे । अब पुलिस चारों तरफ से घेरती है और गोलियां लगनी शुरू हुईं तो उस आदमी ने वह बन्दूक और उसके लाइसेंस का पट्टा खिड़की के रास्ते बाहर फेंक दिया, लेकिन साहब बहादुर को यह धुन सवार हुई कि नहीं, तुम्हारे पास और आटेमैटिक वैपन्स हैं, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं । तो आपको आश्चर्य होगा कि उसके बाद जैसा कि कहा जाता है कि पुलिस ला एंड आर्डर के लिये है, तो उसकी वास्तविकता का अन्दाज यह आदरणीय सदन लगा ले कि वहां पर छतें पत्थरों से बनायी जाती हैं तो छत खोली गयी और छत से भी फायरिंग शुरू हुई और फलस्वरूप जिसकी बन्दूक थी उसका भाई वहीं पर, आन दि स्पाट, मरा और वह भी स्वयं, (कमलसिंह) और उसकी स्त्री घायल हुये और दूसरा भाई घायल हुआ । जब एक मर गया और बाकी अन्य व्यक्तियों के घावों से खून बह बह कर दरवाजे से बाहर निकला तो उनको इत्मिनान हुआ कि अब ठीक है और किवाड़ खोले गये । उसके बाद उसका जो भाई जंगल गया हुआ था उसको पकड़ लिया । और उसके हाथ में हथकड़ी डालकर कन्धे पर मरे भाई की लाश रख कर उसको रवाना किया गया । बाकी जो घायल थे वे सारे दिन और रात पड़े रहे बिना किसी मदद के और बिना किसी मरहम पट्टी के दूसरे दिन उनको ले जाया गया। रानीखेत का अस्पताल दूर था । नजदीक में ५ मील दूरी पर एक और अस्पताल भी है १४ तारीख को यह घटना होती है, १५ को उनका कोई इलाज नहीं होता है और १६ को उनको मरणांत हालत में अस्पताल में दाखिल कराया जाता है । इस निर्दयता का आप अन्दाजा लगा लें ।

[श्री हरिदत्त कांडपाल]

उसके बाद सारा का सारा खान्दान पकड़ लिया गया । उसकी बहू, उसका बाप और उसके दूसरे भाई की बीबी सब पकड़ लिये गये। बहुत अर्ज मारूज किया गया, कई अर्जियां दी गयीं। और आखिर में, मैं माननीय गृह मंत्री जी को अवश्य धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने उनके ऊपर से मुकदमा उठवा लिया । आज उनके ऊपर मुकदमा नहीं है । हालांकि होना यह चाहिये था कि उनके लिये दूसरा बर्ताव होता। हमारी समझ में नहीं आता कि जनतंत्र और जनतंत्र ही नहीं कोई भी सरकार होती, किसी भी तंत्र की सरकार होती अगर उसके राज्य में इस प्रकार की घटना हुई होती और उसमें जो अधिकारी इन्वाल्व थे वे अभी जेल में बन्द होते न कि यह उन्हीं बेचारों को जेल में बन्द कर दिया गया । कितनी ही अर्जियां देनी पड़ीं और तब बड़ी मेहरबानी की माननीय गृह मंत्री जी ने कि उनके ऊपर से मुकदमा उठा लिया गया ।

अब इस दृश्य पर गौर कीजिये । एक और घर में तीन आदमी घायल पड़े हुये थे और उनके बदन से खून बहता रहा हो और एक गोली से मारा गया हो, ऐसी हालत में घर की तलाशी की गई और उनका कहना यह है कि ६ सौ रुपये नकदी और जितना सोना और चांदी का जेवर था सब पुलिस वाले ले गये । यह घटना है जिसकी आज तक जांच नहीं हुई । अब सुनने में यह आता है कि कमिश्नर साहब जांच करने गये हैं । जुलाई से लेकर मार्च के महीने तक इतनी देर तक कुछ नहीं हुआ । जनतंत्र की बात छोड़ दीजिये, कल्याणकारी राज्य की बात छोड़ दीजिये लेकिन अगर मामूली किसी प्रकार का भी शासन होता तो क्या कोई कल्पना कर सकता कि उसमें इस प्रकार की चीज हो सकती थी ? लेकिन दुख की बात है कि बावजूद कहने के, बावजूद रिप्रेजेंटेशन के और बावजूद मिलने के जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो बड़ा आश्चर्य होता है, दुख होता है और हम सोचने को विवश हो जाते हैं कि क्या कारण है ? क्या यही जनतंत्र है ?

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त ।

***श्री अवधेशप्रताप सिंह** (जिला फैजाबाद)---मान्यवर, समय के अभाव में कुछ अधिक बातों की ओर उस मांग,जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश की है, के सम्बन्ध में नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी अनुपस्थित हैं इस समय और जो मंत्री जी उनके स्थान पर हैं उनसे कहूंगा कि जरा फाइलों से निगाह ऊपर उठाकर हमारी भी बात सुन लें ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---कान आपके ही पास हैं ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, अगर मैं कोई बात ऐसी कहूं जो इस अनुदान से सम्बन्ध नहीं रखती लेकिन वास्तविकता है तो आप मुझे माफ करेंगे । बावजूद इसके कि इस अनुदान के पेश करने से पूर्व बहुत कोशिश की गयी उनकी तरफ से कि वह अधूरा न रहे बल्कि और सख्ती के साथ और पूरे जोर के साथ आवें किन्तु यह निर्विवाद है कि बहुमत उनके पक्ष में है लेकिन जो न्यूनतायें हैं उनकी पूर्ति तो नहीं हो सकती । मैं यह नहीं समझ सका कि जब कैबिनेट की ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है तब किस सिद्धांत के अनुसार आज यह बजट यहां आ सकता है । माननीय मुख्य मंत्री जी समय-समय पर बहुत से उपदेश लोगों को दिया करते हैं और पिछली बार लीडर आफ आपोजीशन को यह उपदेश दिया था कि महज मर्ज बताना ही उनका फर्ज नहीं है बल्कि उसका निदान करना भी उनका धर्म है । औषधि भी देना काम है क्योंकि किसी भी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में उनका यह कहना था कि आपोजीशन का यह काम है कि जब जरूरत पड़े तो आल्टर-नेटिव सरकार बन सके । उसी आधार पर क्या मैं उनसे यह पूछ सकता हूं कि जब कैबिनेट की ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है, जिसके मौलिक सिद्धान्त के बारे में आज इस सदन में दो रायें नहीं हो सकतीं, तो एक मंत्री महोदय के लिए अब कौन सा चारा बाकी बचा है यह एक ऐसा विषय है जिसमें मैं आपकी आज्ञा से नाम भी ले रहा हूं कि माननीय चरण सिंह. . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य को इस सब विवाद में पड़ने की आज्ञा नहीं दे सकता, आप बजट पर बोलें ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो यह बजट आया है इसमें ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी नहीं है लिहाजा इस बजट की मांग अवैधानिक है और जब तक पूरी कैबिनेट में एक मत होकर यह बजट नहीं आता है, मैं आपोजीशन की तरफ से यह चैलेन्ज करता हूं जिससे भयभीत हो कर माननीय मुख्य मंत्री ने अपने प्रति विश्वास का वोट लिया है और मुझे हर्ष है कि वे विजयी हुये, लेकिन साथ ही साथ मुझे दुख है कि वह आधार आज है ही नहीं जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं । यह हो सकता है कि आज इधर बैठे हुए लोग कल उधर चले जायं और उधर बैठे हुए लोग इधर चले आयें, लेकिन डेमोक्रेसी की एक स्वस्थ परम्परा के लिये ऐसे लोग जिनको पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में, ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी में विश्वास न हो या तो त्यागपत्र दें या फिर मुख्य मंत्री के लिये एक ही मार्ग है कि ऐसे मंत्रियों से वे छुटकारा लें नहीं तो आज जिसके लिये यह सब वितंडावाद हुआ, जिसके लिये आज प्रेस में हलचल मची हुई थी वह मैं कहना चाहता हूं कि आज इस उत्तर प्रदेश में महाप्रभुओं की अनुकम्पा से जिसका आधार लापता है उस पर हम आगे पदारोपण कर रहे हैं ।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय गोविन्द सहाय जी यहां विराजमान नहीं हैं, इसके पहले जब एक दिन कहा गया था कि भ्रष्टाचार है तो उस तरफ से यह दलील आयी थी कि अंग्रेजों ने हमारे लिये यह चीज छोड़ रखी है। मैंने स्वीकार किया कि उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वह अंग्रेजों से मिली, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि इतने साल की हुकूमत के बाद सरकारी कर्मचारियों के दृष्टिकोण के परिवर्तन में वे कहां तक सफल हो सके हैं ? मैं यह मानता हूं कि इसके लिये अपोजीशन या उत्तर प्रदेश के एक साधारण नागरिक को भी प्रयत्न करना चाहिये लेकिन सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकती । हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत से लोग ऐसे हों जो हमसे अधिक पढ़े लिखे हों, अधिक योग्य हों, लेकिन दृष्टिकोण बदलने की जिम्मेदारी किसकी है ? आज करप्शन का मजाक उड़ाया जाता है । जिलों में जो ऐंटी करप्शन कमेंटीज बनायी गयीं उनके चेयरमैन भी निर्बल हैं और उनके सदस्य, जिनमें मैं भी हूं, आप भी हैं और इस सम्मानित सदन के और भी सदस्य हैं, वे अपने को केवल एक पोस्टआफिस की हैसियत में पाते हैं और यह समझ नहीं पाते कि उनके क्या अधिकार हैं और वे करप्शन को किस तरह से रोक सकते हैं और इस प्रदेश में, मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां पर भ्रष्टाचार है और, श्रीमन्, इसके साथ ही साथ उनके दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं पड़ा है, जिलों में एक भयंकर परिस्थिति उत्पन्न होती चली जा रही है । १९४७ में हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप बहुत था, वह हम लोग ही करने वाले हैं । हममें वह बल और वह शक्ति नहीं कि हम इसके विरुद्ध कुछ कर सकें । आज जिलों में बड़ा गड़बड़ हो रहा है, आज ब्लेकमेल किया जाता है, अगर हम उनको हटा देते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि वे हम से कितने अधिक बलशाली हैं । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश में क्या तमाशा है कि आज इंटरफियरेंस ऐडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा है । उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन टाप हैवी है और उसमें काफी इकोनामी हो सकती है और टैक्सपेयर को सहूलियत हो सकती है । बावजूद इसके कि हम इस ओर कदम उठायें हम यह देखते हैं कि वे इतने बलशाली हैं कि हमारे मंत्रियों का उनके चंगुल से निकलना असम्भव है । अनुभव के आधार पर भी, शिक्षा के आधार पर भी और हर चीज के आधार पर वे इस चंगुल से अपने को छुड़ा नहीं पायेंगे ।

श्रीमन्, यह तमाशा दूसरा है और जब कांग्रेस मिनिस्टरी आई तो सूरत यह रही कि डिवीजनों के जो कमिश्नर थे उनकी जगह एक प्रातःकाल एक दम से खत्म कर दी गई और उसके

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

थोड़े दिनों बाद ही इस आधार पर कि योजना का काम अधिक है इसको देखते हुये डिवीजन में कमिश्नर का रहना जरूरी है जिसमें प्लानिंग के काम को वह अपने डिवीजन में सुपरवाइज कर सके। लेकिन श्रीमन्, दूसरा अंधेर यह है कि इसी डिवीजनल हेड क्वार्टर पर एक असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर भी विराजमान हैं जिनके दौरे का टी० ए० बिल भी साधारण नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे डिवीजन फैजाबाद में डेवलपमेंट कमिश्नर जब हैं तो असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर की क्या जरूरत है? उनका पाना उतना ही असम्भव हो जाता है और वैसी ही कठिनाई है जैसे हिन्दू माइथोलोजी में स्वर्ग में पहुंचना और धक्का देकर आदमी को नीचे पहुंचा दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या कर रहे हैं? या तो कमिश्नर की जरूरत है या फिर असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर की जरूरत है। इनमें से एक आदमी रहना चाहिये।

श्रीमन्, इसके अलावा जो मैं आज आपके द्वारा मंत्री महोदय तथा इस सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह अनुदान जो है विशेष महत्व का है और जिले के प्रशासन में यह भी देखा जाता है कि जहां पर हमारे लेजिस्लेचर की तरह इस जगह भी उन्होंने बना दिया इंक्वायरी को जहां पर आप जा कर कुछ पता लगा सकते हैं। रिआर्गेनाइजेशन भी हुआ। बहुत-सी किफायत भी की गयी, लेकिन किफायत किसके सर पर की गयी? वह बेचारे मुखमरे चपरासी जो हैं उन पर की गयी। जो चपरासी अन्न, वस्त्र और गृह से परेशान हैं इस सरकार के अन्तर्गत उनके लिये स्थान नहीं हैं, लेकिन जो बड़ी तनख्वाहें पाते हैं उनमें किसी तरह की न्यूनता नहीं हो सकती। मैं अन्त में एक सुझाव देना चाहता हूं। हमारी कैबिनेट में भी एक बाढ़ आ गयी थी और यह मुश्किल हो गया था विधान सभा के सदस्यों को जानना कि कितने लोग हैं। आज सौभाग्य या दुर्भाग्य से ९ आदमियों के निकल जाने के बाद टैक्स पेयर को काफी सहूलियत हुई। कम से कम लाखों की किफायत हुई। मैं माननीय मुख्य मंत्री को बताना चाहूंगा कि यू० पी० का काम आज जितने लोग हैं उतने ही कर सकते हैं क्योंकि मुर्दे के ऊपर और बोझ लादना उचित नहीं है और यह परवरिश की जगह नहीं है। परवरिश की कैटेगेरी दूसरी होती है कि किन को परवरिश दी जाय और कब परवरिश दी जाय, कब अंकुश लगाया जाय और कब निरंकुश किये जांय। इसके लिये यह मैदान नहीं है, जब कि उत्तर प्रदेश में उत्पादन घटता हो, पर कैपिटा इनकम घटती हो। इन सब चीजों को देखते हुए मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जितने आदमियों की टीम है उसको ले कर चलें। भगवान के लिये मुर्दों पर और बोझ न लादें। बजाय इसके जहां अस्पताल और स्कूल न हों वहां शिक्षा दें, अस्पताल दे दें या और दूसरी सुविधाएं दे दें। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी राज्य के शासन का एक मापदंड यह भी होता है कि उस प्रशासन में जनता की आये दिन की तकलीफों का समाधान कितनी जल्दी होता है, जनता को जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सरकारी मशीनरी के द्वारा वह कितनी जल्दी दूर हो सकती है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जो शासन हमारे प्रदेश को मिला उसमें एक ऐसी विरासत मिली थी जिसमें लाल फीताशाही का प्रमुख स्थान था। उसका कारण यह था कि उस समय के शासन का ढांचा कुछ आवश्यकताओं पर बना था जब कि जनता के प्रतिनिधियों का शासन में कोई स्थान नहीं होता था। उस समय के शासकों को नीचे से नीचे स्तर के राजकर्मचारी की रिपोर्ट पर ही अपना निर्णय करना पड़ता था। वह ऐसा समय था जब कि पटवारी की रिपोर्ट ऊपर से ऊपर तक के स्तर तक सर्वमान्य मानी जाती थी। एक तरह से रेड टेपिज्म का जोर था। आज ज्यों-ज्यों हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, आज आवश्यकता है कि हम उस रेड टेपिज्म पर वार डिक्लेयर करें और ऐसी स्थिति पैदा करें जिसके द्वारा जो जनता की दिक्कतें हैं उन पर जल्दी से जल्दी निर्णय लेना संभव हो सके। इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि बड़े ड्रैस्टिक

मेजर्स की ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। यदि पुराने तरीके से रोजाना की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करेंगे तो कदाचित् कभी हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं सकेंगे। मैं केवल संकेत मात्र समय का ध्यान रखते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अब समय आ गया है जब कि इस लाल फीतेशाही का जोरों से मुकाबला करें और इससे अपने शासन को मुक्त करने का प्रयत्न करें।

दूसरी बात मैं संकेत में ही कहना चाहता हूं। जब सामान्य प्रशासन पर बहस हो रही थी तो मेरे एक बड़े मान्य मित्र ने जुडीशियरी के सैपरेशन की मांग का विरोध करते हुये यह कहा कि आज जुडीशियरी आउट आफ ट्यून हो गयी है, समय की प्रगति के अनुकूल नहीं चलती। मैं इस बात का प्रबल समर्थक हूं कि समय की आवश्यकता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडीशियरी का पृथक्करण किया जाय। मेरा तो ऐसा अनुभव है कि वे व्यक्ति जिन्होंने जीवन भर यह विचार रखा है कि जुडीशियरी का एग्जीक्यूटिव से सैपरेशन होना चाहिए। वे भी कदाचित् जब स्वयं एग्जीक्यूटिव कार्य का सम्पादन करते हैं तो कभी-कभी जब जुडीशियरी उसके बीच में आती-सी दिखलायी देती है तब कुछ उन्हें बुरा लगता है। उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि जुडीशियरी आउट आफ ट्यून है। ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। लेकिन मेरी तो यह निश्चित धारणा है कि आज प्रजातंत्र में यदि हम जुडीशियरी का सम्मान और आदर न करें तो हमारी निरंकुशता उस चरम सीमा पर पहुंच जायगी। क्या करना उचित है अथवा अनुचित है इसका ध्यान न करके हम गलत रास्ते पर चलेंगे। इसलिए मेरी यह मांग है कि जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव का सैपरेशन हो, यह मांग हर वर्ष दोहरायी जाती है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, ध्यान देना आवश्यक है।

तीसरी बात यह है कि हमने अपने संविधान में यह स्वीकार किया है कि काटज इंडस्ट्री को मुख्य स्थान देंगे। हमारे देश और प्रदेश की सरकारों ने इस बात की घोषणा की कि हम काटेज इंडस्ट्रीज का संरक्षण करेंगे, लेकिन काटेज इंडस्ट्रीज की तरफ जो सरकार की नीति है वह वैसी नहीं जैसी कि हम आशा करते थे। आज आवश्यकता है, जिसके द्वारा बेकारी दूर हो सकती है, मैं केवल एक इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दिलाऊंगा क्योंकि समय की परिधि है। वह है उत्तर प्रदेश की गुड़ और खांडसारी इंडस्ट्री। मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में २० लाख व्यक्ति आश्रित हैं इस खांडसारी व्यवसाय के ऊपर और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में दसवां दिन है, सब शहरों में हड़ताल जारी है। यह कहा जा सकता है कि उसका कारण हमारी प्रदेशीय सरकार ही की नीति नहीं है बल्कि केंद्रीय सरकार की ही नीति है, उसकी एक्साइज ड्युटी आदि। लेकिन मैं प्रदेशीय सरकार का ध्यान इसलिये दिलाना चाहता हूं कि आज गुड़ और खांडसारी का व्यवसाय देश भर में केवल उत्तर प्रदेश में है। दूसरे प्रदेशों और सारे देश को इस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि यह इंडस्ट्री मरे या जिन्दा रहे। लेकिन अगर प्रदेशीय सरकार ने ध्यान न दिया तो २० लाख आदमी जिसमें किसान, कर्मचारी और तमाम वर्ग के लोग हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा। मुझे इस बात की शिकायत है कि आखिर हमारी सरकार की नीति क्या है? कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले ८ करोड़ रुपया इस काम के लिये निर्धारित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में गुड़ और खांडसारी का डेवलपमेंट किया जाय, सेमिनार्स किये जाते हैं, कान्फरेंसेज की गयीं ताकि इसका प्रचार हो, प्रसार हो। गवर्नमेंट की तरफ से लोन्स दिये गये, टेक्निकल ऐडवाइस दी गई। उसके आधार पर कुछ प्लांट्स लगवाये गये। मैं उन प्लांट्स का कभी समर्थक नहीं था और न आज हूं क्योंकि वह छोटे गृह उद्योग की परिभाषा में आता नहीं। उसके लिये २-३ लाख रुपये की लागत की जरूरत है। लेकिन मैं उस नीति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी एक या दो साल पहले सरकार ने ही उत्साहित करके उन प्लांट्स को लगवाया। आज ऐसी नीति सरकार की ही ओर से आती है कि उनको खत्म करने की

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता महसूस होती है कि वह बड़ी मिल इंडस्ट्री के बीच में आती है। तो मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस विषय में एक निश्चित नीति निर्धारित होनी चाहिये और आज इस बात को मानने के बाद कि काटेज इंडस्ट्रीज में एम्प्लायमेंट पोटेंशियल है, उसमें बेकारों को रोजगार देने की शक्ति है, क्षमता है, इस ओर विशेष ध्यान होना चाहिये और ऐसी नीति होनी चाहिये जिसमें उनका अहित न हो। मिल वाले बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट जिनमें आवाज उठाने की शक्ति होती है, क्षमता होती है दिन-रात उनके द्वारा ऐसा प्रोपेगेंडा हुआ कि काश्तकारों को एक रुपया सात आने मन मिलता था। वह गुड़ और खंडसारी बनाने वालों में उतना दाम देने की क्षमता नहीं चाहते थे। इससे उनको परेशानी थी। इसलिये उनके कहने से यह नीति बनी। सरकार को तो ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिये जिसमें को–एग्जिस्टेंस हो, जिसमें बड़े और छोटे दोनों उद्योग पनप सकें। यदि उत्तर प्रदेश की शुगर मिल इंडस्ट्री के फायदे के लिये यहां की छोटी इंडस्ट्रीज, गृह उद्योगों को समाप्त कर दिया गया तो यह हमारे प्रदेश के लिये बड़े दुख की बात होगी। इसलिये मैं पुनः यह निवेदन करूंगा कि आज उत्तर प्रदेश के उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में १० रोज से हड़ताल चल रही है। लोगों ने अपने सारे कार्य बन्द कर रखे हैं। यह वह समय था जबकि यह उद्योग अपनी चरम सीमा पर होता था। शहरों और गांवों की गली-गली में खांडसारी की बैलगाड़ियां दिखाई देती थीं। लेकिन आज वहां सब सुनसान दिखाई पड़ता है। तो इस ओर सरकार को निश्चित कदम उठाना चाहिये अपनी नीति के द्वारा भी और केंद्रीय सरकार से जहां प्रार्थना कर सकते हैं, वह करके भी।

श्रीमन्, इसके बाद मैं एक और दिशा में माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अभी बात हो रही थी सूचना विभाग पर। श्रीमन्, मेरा भी ऐसा अनुमान है कि सूचना विभाग एक ह्वाइट एलीफेंट सा होकर रह गया है। आज उससे हम कोई फायदा नहीं उठा पा रहे हैं जैसी कि उससे आशा थी। वास्तविकता यह है कि जो उसका कार्यक्षेत्र है वह इतना सीमित है कि हम जानते नहीं कि उसका क्या कर्त्तव्य है। सारे कर्त्तव्य उसके हैं और उसका कोई कर्त्तव्य नहीं है। इसलिये आज हमें सूचना विभाग की ओर पूरा ध्यान देना है। आज श्रीमन्, जो करप्शन की बात आती है भिन्न-भिन्न विभागों में उसको दूर करने का एक सक्रिय सुझाव यह है कि हम सूचना विभाग का पूरा प्रयोग करें और जो हमारी तमाम स्कीम्स होती हैं जिनमें कि हम लोन्स देते हैं, एड्स देते हैं, उसके बारे में जनता को जानकारी करायें। उनकी जानकारी न होने की वजह से वह करप्शन के रास्ते को अपनाते हैं। जनता उन अधिकारियों के डिस्क्रीशन को खरीदती है जो उनको रास्ता बताता है। सूचना विभाग उनको इस अन्धेरे से प्रकाश में लाये और उनको उसकी जानकारी कराये। केवल दौरों का इन्तजाम करना उनका काम न हो बल्कि उनका काम यह हो कि वह सारे अहकामात जिनसे जनता को फायदा हो सकता है वह जनता को पहुंचाने का प्रयास करें। सूचना विभाग के अन्दर जनसम्पर्क की भावना हम बढ़ायें। इस सूचना विभाग को यदि इस लक्ष्य में परिणत किया गया तो यह वास्तव में बहुत ठोस सेवा कर सकेगा और यह जो करप्शन की बात बार-बार हम सुनते हैं उसको दूर करने का एक ठोस तरीका यह होगा। उसके जरिये से हम वास्तव में करप्शन की जड़ पर पहुंच सकेंगे। आज करप्शन की बात होती है। हमने कोआपरेशन को अपना लक्ष्य माना है, लेकिन लज्जा से हमारा सिर झुक जाता है जिस वक्त हम देखते हैं कि एक भी कोआपरेटिव सोसाइटी बिना करप्शन को अपनाये हुए रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। मैं चैलेन्ज दे कर कहता हूं, यदि छिप कर इन्क्वायरी कराई जाय और यदि माननीय मंत्री जी स्वयं किसी कोआपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो बिला इल्लीगल ग्रेटीफिकेशन दिये वह सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती।

बड़े दुःख की बात है आचार्य कृपलानी को यह ऐडमिट करना पड़ा। अखिल भारतीय चरखा संघ जहां पर खादी का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह होता है उस ट्रांसपोर्ट को करने

में चरखा संघ और गांधी आश्रम फेल हो गये इसलिये कि वह इल्लीगल ग्रेटीफिकेशन नहीं दे सकते थे। तो इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये आचार्य कृपलानी जी को बाध्य होना पड़ा इस बात के लिये, आदेश देने के लिये कि अखिल भारतीय चरखा संघ भी इल्लीगल ग्रेटीफिकेशन दे। यह हमारे दुःख की चरम सीमा है। पार्लियामेंट में उनके दिये हुए भाषण के आधार पर मैं यह निवेदन कर रहा हूं। जब यह स्थिति है तो हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी और ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो अगर हम कुछ और न कर सकें तो इन सूचना केन्द्रों को जनता की सेवा करने के रूप में बिलकुल परिणत कर दें। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय उग्रसेन, आपका कामरोको प्रस्ताव भी था। इसीलिये आपको समय दिया गया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मैं माननीय पालीवाल जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में कुछ निवेदन करने के लिये खडा हुआ हूं। श्रीमन्, यदि उत्तर प्रदेश सरकार के ढांचे, जो प्रशासन का ढांचा है उसे देखा जाय तो मुख्य मंत्री और गवर्नर से लेकर नीचे लेखपाल तक यह कहने को तो कहा जाता है कि प्रजातंत्र है और यह ढांचा प्रजातंत्र लागू करने के लिये है मगर श्रीमन्, एक तरह से यह बिलकुल एकतन्त्र है। इस एकतंत्र में जो विभिन्न पद हैं वे कड़ियों और ऐसी लड़ियों के रूप में जड़े हुए हैं कि अगर ऊपर से स्विच दबाया गया तो नीचे तक रोशनी हो गई और ऊपर से स्विच आफ कर दिया गया तो नीचे तक रोशनी बुझ गई। श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी बार-बार यह मांग करती रही है कि अगर प्रजातन्त्र सही माने में चलाना है तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा। बड़े अफसोस की बात है श्रीमन्, मैं बताऊं हमारे बगल में बर्मा है। मैं वहां गया और देखा कि वहां पर सत्ता के विकेन्द्रो करण की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री फार पोलिटिकल डिसेन्ट्रलाइजेशन। वहां खाद्य मंत्रालय नहीं है मगर वहां सत्ता को विकेन्द्रीकरण करने की मिनिस्ट्री जरूर है।

हमारे यहां का लेखपाल खसरा खतौनी बनाता है और कानूनगो उस पर दस्तखत करते हैं और उसी को चेक करते हैं। फिर उसी पर नायब तहसीलदार और तहसीलदार साहब जब जाते हैं तो दस्तखत कर देते हैं और डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर साहब भी जब दौरे पर बसते हैं तो दस्तखत कर देते हैं। कलेक्टर साहब का काम है सिर्फ लिखना "जांच कीजिये, रिपोर्ट दीजिये और आवश्यक कार्यवाही कीजिये"। और एक काम और जिलाधीश महोदय करते हैं। हम लोग श्री गेंदासिंह और देवरिया के और लोग इसके भुक्तभोगी हैं। कलेक्टर साहब यह राय जरूर देते हैं, यह ५५ की रिपोर्ट है। फिर इसमें है पार्टियों की गतिविधि पर रिपोर्ट। वह यह भी बताते हैं कि समाचार-पत्रों ने क्या समीक्षा दी। कलेक्टर साहब रिपोर्ट देते हैं कि कौन पार्टी बढ़ रही है और कौन घट रही है। ये जिलाधीश मुख्य मंत्री जी के सी०आई०डी० का काम करते हैं। अगर यही काम उनसे लेना है तो सी० आई० डी० में कुछ अफसर बढ़ा दिए जायं और यह कलेक्टरों के पद समाप्त कर दिये जायं। श्रीमन्, यह सोशलिस्ट पार्टी की पुरानी मांग है कि कलेक्टरों की पोस्टें खत्म कर दी जायं और कलेक्टरों की कोई जरूरत नहीं है। जिला परिषदों का निर्माण जो हो रहा है उन्हें बहुत अधिकार देने जा रहे हैं तो यह जिले का काम कर लेंगी और कलेक्टर साहब वहां पर क्या करेंगे? ५१ जिलों में ५१ कलेक्टरों पर ७ लाख रुपया जो खर्च होता है वह एकदम से समाप्त कर दिया जाय और उनका काम जो जिला परिषद् बनी है उनके जिम्मे दे दिया जाय। होता क्या है श्रीमन्, वे डिग्री वाले जरूर होते हैं, लेकिन बहुत से कलेक्टर ऐसे हैं कि जो हम लोग चिट्ठी लिखते हैं उसका जवाब वे अंग्रेजी में देते हैं चाहे उसकी अंग्रेजी गलत ही क्यों न हो। वे यह समझते हैं कि हम लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं इसी वजह से वह अंग्रेजी में लिखते हैं। उनका काम क्या रह गया है? उनका काम दावतों में जाना, रोटरी क्लब में जाकर गाने सुनना, नाच देखना ही रह गया है।

[श्री उग्रसेन]

कलेक्टर साहब उसके चेयरमैन हैं। अब इसके अलावा और कोई काम उनके पास नहीं रह गया है। उनसे मिलने के लिये जब कोई कार्यकर्ता जाता है तो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। यह क्या विडम्बना है ? उधर बहुत से लोग हरिजन बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि यह सरकार उनकी रक्षा करती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले ५ साल के अन्दर कितने हरिजन कलेक्टर थे और आज कितने हरिजन कलेक्टर हैं। मैं माननीय समस्यों को बतलाना चाहता हूं कि एक-एक जाति के २२, २२ कलेक्टर भरे हुए हैं। १०, १५ तो ठाकुर जाति के कलेक्टर पड़े हुए हैं। बड़े-बड़े घरों के लोग कालेज और ला मार्टिनियर में पढ़कर बड़ी-बड़ी डिग्री पाते हैं और बड़ी जगहों पर चले जाते हैं और अब तो माननीय मंत्री जी ने उन अफसरों के लिये भी ५५ के बजाय रिटायरमेंट एज ५८ कर दिया है। अगर कोई रिटायर होगा तो लोक सेवा आयोग का मेम्बर बना दिया जायगा। जब कलेक्टर को पेन्शन का समय आता है तो उसको वहीं पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजकर मेम्बर बना दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक यह कलेक्टर पद समाप्त नहीं किया जायगा तब तक जातिवाद समाप्त नहीं होगा। भाई भतीजेवाद भी नहीं मिटेगा और यह रोटरी क्लब के नाच गाने भी बन्द नहीं होंगे और जनता का भी कोई लाभ नहीं होगा। दूसरे देशों में आप देखिये कि कलेक्टर वहां पर नहीं होता है। इंगलैंड की सिविल सर्विस की बात कही जाती है वहां पर तो राजनीति के भी वह लोग बहुत जानकार होते हैं। यहां पर राजनीति ये लोग बहुत कम जानते हैं। इस वजह से मेरा निवेदन है कि इनके इस पद को समाप्त किया जाय।

एक बात यह भी मुझे निवेदन करनी है कि कलेक्टर जिले में २०, २२ लाख आदमियों का मालिक होता है। वह जनता से इतनी दूर रहता है कि उसके अन्दर जनतंत्र की भावना जरा भी नहीं रहती है। तो फिर जनता का उससे क्या लाभ हो सकता है।

सन् १९५४ में शासन की तरफ से एक इकोनामी कमेटी बनाई गई थी। उसमें बहुत से इस माननीय सदन के भी सदस्य थे। उन्होंने बहुत सी सिफारिशें की थीं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसने उन सिफारिशों को कहां तक लागू किया है ? श्रीमन्, मैं एक दो उदाहरण दूं कि उस इकोनामी कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि ६६ फीसदी अस्थायी विधान सभा सचिवालय के लोगों को स्थायी कर दिया जाय, लेकिन मुझे खयाल है कि इनमें से बहुत से बीमार थे, लेकिन जब लोक-सेवा आयोग ने बुलाया तो उनके सामने ऐसी दशा में भी उनको जाना पड़ा था। लेकिन फिर भी उन ६६ फीसदी में से कितने को स्थायी किया गया ? रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि नैनीताल में अगर चपरासी अफसरों के साथ जायेंगे तो उनको १२ आने के बजाय १ रुपया दिया जायगा। इतनी बात को सुन कर कौन खुश हो सकता है ? इस ४ आने के बढ़ाने से क्या किसी का पेट भर जायगा ? यहां पर दैनिक भत्ता ६ आना प्रतिदिन है। अगर किसी थाने में पुलिस का सिपाही पहुंचता है तो वह ६ आने से क्या अपना पेट भर सकता है ? अगर कलेक्टर के कुत्ते पर ५० रुपया महीना खर्च होता है तो फिर चपरासी का ६ आना रोज से कैसे पेट भर सकता है ? माननीय सदस्य जानते हैं कि नैनीताल में अगर ४ आना बढ़ा दिया जायगा तो उससे चपरासी का कितना लाभ होगा।

फिर इकोनामी कमेटी की सिफारिश थी कि सूचना विभाग को अलग कर दिया जाय। वह अलग नहीं हुआ है। अगर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट सूचना संचालक मंडल से पुलिस, शिक्षा, आबकारी, ट्रान्सपोर्ट और माल के साथ-साथ जोड़ दिया जाय तो उससे ४,०९,८०० रुपये की बचत हो सकती है। यह इकोनामी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। लेकिन यह विभाग तो माननीय मंत्री का एक अड्डा बना हुआ है कि जिसको चाहें रखें और जिसको न चाहें न रखें। जिलों में जो सूचना अफसर हैं उनको विकास मंडल के अन्तर्गत कर दिया जाय, डेवलपमेंट अफसर के अन्तर्गत कर दिया जाय तो इससे उनमें कोआर्डिनेशन पैदा होगा। लेकिन सूचना अफसर अलग चलते हैं, डेवलपमेंट अफसर अलग चलते हैं। इन दोनों विभागों का कोई सम्बन्ध

नहीं है । आपस में कोई किसी तरह का कोआर्डिनेशन नहीं है जिससे काफी कठिनाई होती है । क्यों नहीं किया जाता है ? उनका काम है केवल पंचवर्षीय योजना का प्रचार करना । इन सब एकोनामी कमेटी की सिफारिशों पर माननीय मंत्री जी को अमल करना चाहिये । लोक सेवा आयोग बराबर कहता रहा है कि डिपार्टमटल भर्ती न कीजिये, लेकिन यहां तो अपने लोगों को भर्ती कर लिया जाता है ।

शासन की तरफ से कहा गया कि जिला परिषदों का चुनाव होगा । भेड़िया आया, भेड़िया आया, लेकिन भेड़िया कभी नहीं आया । महानगरपालिकाओं के चुनाव के सम्बन्ध में आखिर क्यों टाला जा रहा है ? गर्मी की बात तो आप करते हैं जो नैनीताल की ठंडक में निवास करते हैं । सोशलिस्ट पार्टी का तो साफ तौर से यह कहना है कि उसके चुनाव अविलम्ब कराये जायं ।

जितने भी गोलीकांड होते हैं वे सब कलेक्टर्स के द्वारा ही कराये जाते हैं । जिला गोरखपुर और देवरिया के गोलीकांड उसके नमूने हैं । गोरखपुर में मैजिस्ट्रेट मौजूद नहीं था, लेकिन वहां के कलेक्टर ने लिख दिया कि छबेला की गोली चलाने के आर्डर्स मैजिस्ट्रेट ने दिये । जिला मैजिस्ट्रेट ही गोली चलाता है, जिला मैजिस्ट्रेट ही उसकी जांच करता है । लाठी चार्जों को देखिये कि कितने हुए । उपाध्यक्ष महोदय, आपको तथा इस सदन को अच्छी प्रकार से मालूम है कि सोशलिस्ट पार्टी ने घेरा डालो आन्दोलन देवरिया में चलाया, वहां से ५०-६० औरतों को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन कलेक्टर ने रिपोर्ट दी कि कोई औरत नहीं छोड़ी गयी । अब इस चीज को इस सदन में कैसे साबित करें ? श्रीमन्, माननीय सम्पूर्णानन्द जी कहते हैं कि वह सरकार के स्विच बोर्ड की तरह से काम करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है । बात तो यह है कि अगर वह न हों और पुलिस न हो तो उनकी मीटिंग्स में १० आदमी भी न पहुंचें ।

एक बात यह कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव का अलगाव होना चाहिये । पश्चिमी जिलों में इसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन पूर्वी जिले अभी अछूते ही हैं । देवरिया जिले में एक मैजिस्ट्रेट ने एक पार्टी से ५०० रुपया ले लिये और फैसला उसके फेवर में लिखा गया, लेकिन दूसरी पार्टी से ७०० रुपया मिल गये और पहला फैसला फाड़ डाला गया और दूसरा फैसला हो गया । घर में घुस कर तो ३०० रुपया वसूल हो गये, लेकिन २०० रुपया फिर भी रह गये । १२-१४ आने में , एक झौआ आम में, फैसले होते हैं । अतः हमारी प्रार्थना है कि पूर्वी जिलों में भी न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग-अलग की जायं । कलेक्टर साहब का जो पेशकार है और उनका जो अर्दली है, वह घूस लेते हैं और जो पैसा उनको मिलता है उसमें से मेम साहब की फरमाइशें पूरी की जाती हैं, उनके बच्चों के खिलौने और किताबें लाई जाती हैं और आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार बन्द हो ? अगर आपको यह भ्रष्टाचार बन्द करना है तो इस कलेक्टर के ओहदे को समाप्त कीजिये, ये कार्यपालिकाएं और न्यायपालिकाएं अलग-अलग की जायं । इन शब्दों के साथ माननीय पालीवाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---आपका एक कामरोको प्रस्ताव था । यद्यपि आपको काफी समय भी दिया गया, लेकिन उसके बारे में आपने एक शब्द भी नहीं कहा ।

श्री उग्रसेन---उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये मुझे एक मिनट दे दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---अब और समय आपको नहीं मिल सकता ।

श्री हरि चन्द्र अठाना---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन पर इस सदन में जो वादविवाद हो रहा है, उसमें कुछ बातों पर जो बहस की गई, मैं वास्तव में नहीं समझ सका कि सामान्य प्रशासन से उसका कहां तक सम्बन्ध था । माननीय अवधेशप्रतापसिंह जी

[श्री हरिश्चन्द्र श्रष्ठाना]

इस सदन में इस समय उपस्थित नहीं हैं मगर उन्होंने कुछ कैबिनेट की ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी की बातें कीं और यह कहा कि चूंकि आज इस स्टेट में कैबिनेट की ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी नहीं है इसलिये यह बजट जो आज पेश है वह अवैधानिक है। वैसे तो मैं समझता हूं कि इस तर्क का उत्तर देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं मालूम होती मगर मुश्किल यह है कि उनके तर्क को मैं समझ नहीं सका या तो समझने की मुझ में बुद्धि ही कम है। लेकिन उन्होंने कोई तर्क ही नहीं दिया, यह मेरा निवेदन है किस चीज के सिलसिले में उन्होंने कहा कि कैबिनेट की आज ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी नहीं है जबकि गवर्नमेंट की तरफ से ही सारा बजट इस सदन के सामने पेश हुआ और गवर्नमेंट के किसी मेम्बर ने किसी दूसरी आवाज में कोई बात नहीं कही। फिर मेरी समझ में नहीं आया कि कहां ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी की बात सामने आयी और कैसे बजट की अवैधानिकता का प्रश्न इस समय उठता है।

एक बात मुझे बहुत नम्रता के साथ निवेदन करनी है विरोधी दल के माननीय साथी उग्रसेन जी से। यह बहुत सम्भव है कि उनके जिले के कलेक्टर को नाच गाने का खास शौक हो, मैं नहीं जानता, लेकिन उनके साथ ऐसी संस्थाओं का भी नाम जोड़ देना जिनका अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान हो, यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं लगती। मसलन रोटरी क्लब की बात है, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है जो उनके जिले में भी है और दूसरे बहुत से जिलों में भी है। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर वह संस्था कार्य कर रही है। यह सम्भव है कि उनके जिले में उस संस्था का दुरुपयोग किया गया हो, किसी तरह का गलत काम किया हो, मगर अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपनी किसी स्थिति का दुरुपयोग करे तो उसक आधार पर सारी की सारी संस्थाओं को विशेषकर ऐसी संस्थाओं को जिसका अन्तर्राष्ट्रीय स्थान हो, उसके लिये इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिये थीं। यह मेरा उनसे बहुत ही नम्र निवेदन है।

अब मैं इस बजट के सिलसिले में एक दो चीजों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने कुछ यह बात कही कि यह समाजवादी राज्य का पूंजीवादी बजट है। मैं नहीं जानता कि सामान्य प्रशासन के कारण यदि अधिक प्रशासकीय अधिकारी हैं तो उस आधार पर यह बजट पूंजीवादी बजट कैसे हो जाता है। मैं समझता हूं कि किसी समाजवादी सरकार में यह आवश्यक है कि ला ऐंड आर्डर के साथ-साथ उसकी परिधि में ऐसे भी कार्य करने होते हैं जो किसी कल्याणकारी राज्य के बजट के अन्तर्गत आने चाहिये और जहां हम किसी वेलफेयर स्टेट का बजट बनाने की बात करते हैं तो कुछ ऐसे और आइटम्स हैं, कुछ ऐसी और भी सीमा बढ़ती जाती है जिनके अन्दर हमको प्रशासकीय तरीके से उसका इन्तजाम करना पड़ता है। इसलिये किसी समाजवादी सरकार में यदि प्रशासकीय अधिकारियों की कुछ संख्या बढ़ती है तो उससे बजट पूंजीवादी नहीं हो जाता है बल्कि उससे और अधिक वह समाजवादी बजट होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सरकार द्वारा ऐडमिनिस्ट्रेशन में संख्या बढ़ाने के पक्ष में हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि आज ऐडमिनिस्ट्रेशन टाप हैवी है और जो इकोनामी (Economy) कमेटी आपने नियुक्त की थी उसने इस बात की सिफारिश की है कि कई चीजें ऐसी हैं ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की जिनको हम समझ कर चेंज करें। ऐसी कई सिफारिशें इकोनामी कमेटी की इस सदन के सम्मुख और गवर्नमेंट के सम्मुख भी हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यह शिकायत मेरी भी है और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को उस पर विचार करना चाहिये। इकोनामी कमेटी ने अपनी सिफारिशों में जो बातें बतलायी हैं उन पर अभी तक कोई गौर नहीं किया गया है, शायद गौर-तलब हैं, मैं समझता हूं कि उन सिफारिशों को कार्यरूप में परिणत किया जाना चाहिये। मगर ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में जो अधिकारियों की बढ़ोत्तरी हुई है वह ऐसी नहीं है जिससे इस बजट को पूंजीवादी बजट कहा जा सके, मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है।

माननीय अवधेशप्रतापसिंह जी ने यह बात भी कही और मैं समझता हूं वह बहुत मुनासिब थी कि कमिश्नर्स का पद कुछ साल पहले बजट के दौरान में जब उसके ऊपर वाद विवाद हुआ तो उस वक्त इस सदन की भी मांग थी और सरकार ने भी मुनासिब समझा और कमिश्नर्स के पदों को खत्म कर दिया गया था। परन्तु कुछ सालों के बाद वह फिर से पुनर्जीवित हो गये और कहा गया कि कमिश्नर एक सीनियर सिविल सर्वेन्ट होता है और वह जिला प्रशासन के लिये फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड की तरह काम करता है। तो मेरा निवेदन है कि केवल इसलिये कि जिले के कलेक्टरों को एक फ्रेंड, फ़िलोसफर और गाइड मिल जाय इसलिये कमिश्नरी के पद जैसी हैवी मशीनरी को रखा जाय मैं समझता हूं कुछ उचित नहीं मालूम होता और बजट के ऊपर भी उसका बहुत भारी वजन पड़ता है। इसलिये कमिश्नर के पदों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। ऐसा मेरा मत है।

मैं एक बात और माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूं कि कलेक्टर की पोस्ट हटा दी जाय क्योंकि मैं समझता हूं कि जिले के स्तर पर एक ऐसा अधिकारी होना चाहिये जिससे राज्य का सीधा सम्बन्ध हो। मगर उसके साथ ही साथ यदि उसके बीच में इतनी कड़ियां पैदा कर दी जायं कि हर एक विभाग के सम्बन्ध में गांव के स्तर से लेकर राज्य के स्तर तक कई एक कड़ी हों बजाय इसके कि राज्य के स्तर से जिले के स्तर तक एक ही कड़ी हो और सारे के सारे डिपार्टमेंट उसके अन्दर गुथे हों तभी मैं समझता हूं प्रशासन ठीक चल सकता है। मगर प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिये जिले पर और स्टेट पर हेड आफ दी डिपार्टमेंट भी जरूर हो तो इससे कार्य का मल्टीप्लीकेशन होता है। इस इंटर डिपार्टमेंटलिज्म से न केवल ऐफीशियेंसी में बाधा आती है बल्कि ऐडमिनिस्ट्रेशन भी टाप हैवी बनता है। इसलिये यह अच्छा है कड़ियां जितनी कम की जायं उतना ठीक है। गांवों में काम करने वाले कई कर्मचारी हो जाते हैं जो गांवों में एक तरह का काम करते हैं, मुसीबत गांव वालों की यह हो जाती है कि वह क्या क्या काम करें। यह बिलकुल सम्भव है कि प्लानिंग विभाग का विलेज लेविल वर्कर सारे कार्य कर सकता है जो कोआपरेटिव का वर्कर करेगा या दूसरे विभाग के कार्य करने वाले कर्मचारी करेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो ग्राम स्तर से लेकर ऊपर तक तमाम कड़ियां हैं इनको कम करने की कोशिश करनी चाहिये वरना शासन में ऐफीशियेंसी नहीं आ सकती।

एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह कि बार-बार इस सदन में यह मांग की गई कि जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव का सैपरेशन हो। यह सही है कि जुडिशियरी का सैपरेशन होना चाहिये और वह हमारा अन्तिम लक्ष्य भी है। मगर जो आज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को डिप्टी कलेक्टर से पृथक करके उसका पृथक्करण हुआ है वह मुनासिब कदम है। यह सही है कि वे जिला मैजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं, मगर उससे कोई फर्क नहीं हुआ, उससे आगे कोई कदम नहीं बढ़ाया गया, यह मैं नहीं मानता हूं। मैं उनकी बात नहीं करता कि आप कुछ चन्द आदमियों का नाम ले दें जो करप्ट हैं, जिन्होंने रिश्वत ली है, वे तो सभी जगह मौजूद हो सकते हैं और उसको दूर भी करना चाहिये, मगर जुडिशियरी स्वतंत्र नहीं है। आपने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाये और डिप्टी कलेक्टरों के हाथ से न्याय प्रशासन को ले लिया। यह कोई कदम सैपरेशन के रास्ते में नहीं है, यह मैं नहीं मानता हूं। यह कहना कि आमतौर से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हर एक मुकदमे में जिसमें स्टेट पार्टी होती है दिलचस्पी रखता है और जाहिर है जितने मुकदमे फौजदारी के होते हैं उनमें स्टेट एक पार्टी होती है, तो सारे के सारे मुकदमों में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दबाव डालता हो या उनको अपने इंस्ट्रक्शन्स भेजता है, ऐसी बात नहीं होती है। दफा १०९-११० जाब्ता फौजदारी के मुकदमे जो ला और आर्डर से संबंधित हैं वह मुकदमे आज भी इत्तफाक से डिप्टी कलेक्टर के अधीन होते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं करते। इसलिये इस ओर कदम उठाने की जरूरत है, और यह मुनासिब है कि जुडिशियल

[श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना]

मैजिस्ट्रेट्स को जजों के अन्तर्गत रखना चाहिये और फिर सीधे हाईकोर्ट से उनका सम्बन्ध होना चाहिये। फिर भी, डिप्टी कलेक्टर और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का पृथक्करण करके कोई कदम नहीं उठाया मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं समझता हूं कि आगे वाला कदम भी उठाया जाने वाला है और वह उठाया जाना चाहिये।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा और वह यह कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर जो अधिकारी रहते हैं उनके सारे के सारे नजरिये में परिवर्तन होना चाहिये, प्रजातांत्रिक शासन में जिस तरह से कार्य करना चाहिये वह फर्क उनके नजरिये में अभी तक नहीं आया है, सरकार को सख्ती से इस तरफ देखना चाहिये। यह बात इस सदन के अन्दर कही गई कि सारे के सारे ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का ओवरहालिंग आवश्यक है। मगर वह किस तरह से हो? राज्य के स्तर पर जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है, जिले के स्तर पर जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसको बिलकुल खत्म कर दिया जाय? मैं समझता हूं कि ऐसी मांग हाउस के किसी सेक्शन से नहीं आई। मैं ऐसा समझता हूं कि इसके अन्दर सुधार करने की आवश्यकता है और खासतौर से उनको अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है जो अधिकारी जनता से मिलते हैं। लेकिन आज जिले के स्तर पर अधिकारी ऐसी कोशिश करते हैं कि वह किसी न किसी पार्टी के साथ मिल करके इस तरह से कार्य करें कि जिले की गुटबन्दी में नुमायां हिस्सा ले सकें। मैं किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कहता, उनकी मनोवृत्ति की बात कहता हूं। उनके ध्यान में यह बात तो आई कि प्रजातंत्रीय शासन स्थापित होने के बाद कुछ प्रजा के प्रतिनिधियों को अपने साथ रखना चाहिये। इसलिये वह एक या दूसरी पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं, और मैं समझता हूं कि यह गलत है। यह खत्म तभी हो सकता है जबकि हमारे मिनिस्टर, हमारे मुख्य मंत्री मजबूती के साथ कहेंगे कि जिला अधिकारियों को इम्पारशल होना चाहिये और यदि उन्हें मालूम होगा कि प्रशासकीय अधिकारियों ने जिला स्तर पर किसी गुट से सम्बन्ध रखा है तो उस पर सख्ती का रुख लेंगे। इस तरह से ऐडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हो सकता है।

श्री गयाबख्शसिंह (जिला सुल्तानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस मसले पर बोलने का मुझे अवसर दिया। यह गुनहगार सदस्य सुल्तानपुर जिले से आता है। सुल्तानपुर जिला भी इसी प्रान्त का एक जिला है। मगर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसके साथ जो बर्ताव है वह उपेक्षित बर्ताव अगर कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी। माननीय निर्माण मंत्री जो यहां मौजूद हैं, मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने सुल्तानपुर में आम घाट के पुल को बनवाने का आदेश दिया है और वह बन भी रहा है। एक चीज से तो बहुत बड़ा काम हो जायगा और भी उस जिले में कई बड़े काम हैं जिनका समय-समय पर उल्लेख किया जाता है। मैं मंत्री जी का आभारी हूंगा, सुल्तानपुर की जनता आभारी होगी अगर वहां निर्माण-कार्य किये जाते हैं। क्योंकि अगर सड़कें और पुल वहां बनेंगे तो उद्घाटन के सिलसिले में भले ही उस पर टीका-टिप्पणी की जाती है--अधिकारी और मंत्रिगण वहां पहुंचेंगे और जिले का काम होगा।

श्रीमान् जी, सुल्तानपुर ऐसा नाम है। पहले सुल्तानपुर, सब्जी हरी-भरी होने के कारण इसका नाम था। अंग्रेजी शासन में सुल्तानपुर, बादशाहों का नगर हो गया। अब स्वराज्य के बाद सुल्तानपुर हुआ यानी अब वह बड़ी चीज निकल गई केवल यह रह गया। कहा जा सकता है कि यह क्यों कहा जा रहा है, मैं आपके द्वारा सदन के सदस्यों को और खास तौर से माननीय मुख्य मंत्री जी भी मौजूद हैं उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। सरकार की जितनी योजनाओं का प्रदेश में प्रादुर्भाव होता है उसका उद्घाटन या आरम्भ हमारे जिले से ही होता है। चकबंदी की शुरूआत हुई तो वह भी हमारे जिले के परगना इसौली से हुई जहां का यह बदकिस्मत रहने वाला है जो आप के सामने खड़ा है। नाकेबंदी भी हमारे यहां से ही शुरू हुई, शराबबंदी भी हमारे यहां से ही शुरू की गई, अफीमबन्दी भी हुई यानी पोस्ते की कैशक्राप का बोना बन्द किया गया, लेकिन मुझे यह कहते हुये दुख होता है कि विकास

के कामों के लिये हमारे यहां कोई स्थान नहीं चुना गया। मैं आप के द्वारा यह निवेदन करता हूं कि कहीं पर यह नोट कर लिया जाय कि इस जिले की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जब देखो यहां पूर्वी, पच्छिमी और पहाड़ी जिलों का तजकिरा होता है और हम बैठे सुना करते हैं, लेकिन हमें कभी-कभी वहम होता है कि हमारा जिला किन में है, वह न पूर्व में है, न पश्चिम में है और न पहाड़ी में है और इनके अलावा कोई चौथा शब्द नहीं आता कि जिसमें सुल्तानपुर को रख सकूं।

सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हमारे जिले के बीचों-बीच से गोमती नदी काटती हुई जाती है। अभी पिछली बरसात में हमारे यहां उसमें ३ बार बाढ़ आई और उससे २४ या २८ गांवों की हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी वहां पर सरकार के अमीन और तहसीलदार ४-४ मिसलें लेकर जाते हैं और कुर्की की नौबत लाते हैं। मालगुजारी से बचोगे तो चकबंदी का खर्चा पड़ेगा और पुरानी तकावी के लिये तुम्हारे बैल कुर्क हो जायेंगे। यह हालत है। १६ अप्रैल, सन् १९५४ को हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया कि जहां पर वैधानिक रूप से पंचायत टैक्स नहीं लगाया गया है वह गलत है और वसूल नहीं किया जा सकता, जिसने रिट किया उसके मत्थे गई, लेकिन हमारी सरकार ने कोई ध्यान इस तरफ नहीं दिया। कम से कम जो पिछला पंचायत टैक्स बकाया था वह तो माफ हो ही जाना चाहिये था। वैसे न भी माफ होता, लेकिन इस परेशानी के आलम में तो वह माफ होना ही चाहिये था। मुझे एक शेर याद आता है--

"पहले आती थी हाले दिल पर हंसी,
अब किसी बात पर नहीं आती।"

मैं यह तो नहीं कह सकता कि अंग्रेजीराज इससे अच्छा था लेकिन उस समय केवल एक ही चीज का रोना था कि हमारी परेशानी अंग्रेजों द्वारा है, वह चले गये ठीक हुआ, धन्यवाद है उनको निकाल देने वालों को और अपने भाग्य की भी सराहना है कि हमने एक सामूहिक 'मूवमेन्ट' से उनको निकाल बाहर किया, लेकिन जैसा कि सदन में बार-बार कहा जाता है कि बहुत सी चीजें तरक्की की तरफ गईं तो उनके साथ-साथ भ्रष्टाचार भी तरक्की की तरफ चला गया। मेरा आप के द्वारा मंत्रिमण्डल से निवेदन है कि यह चीज नहीं होनी चाहिये। मैं समयाभाव के कारण केवल इशारे के रूप में मंत्रिगण से कहूंगा। कहा गया कि कमिश्नरों का पद अनावश्यक है, ठीक है इधर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। एक भाई से मालूम हुआ कि मंत्रिगण जब दौरा करते हैं तो टी० ए० के अलावा पेट्रोल भी लेते हैं, अगर यह सत्य है तो एक ही चीज ली जाय और अगर असत्य है तो मैं कुछ नहीं कहता। आवाज आ रही है वह गलत है, तो ठीक है मेरी यह सूचना गलत थी। फिर भी जैसा कि सुझाव दिया गया कि दौरे कम किये जायं तो अच्छा है, उद्घाटन और शिलान्यास के दौरे कम हों, खर्च न लिया जाय तो दौरे अधिक भी किये जायं तो हमें आपत्ति नहीं है।

जनतंत्र की दुहाई अक्सर दी जाती है। मैं इस सदन के सामने एक उदाहरण रखता हूं। जिला अन्तरिम परिषद् का जो सिलसिला चालू किया गया है, उसमें जो यह नियम रख दिया गया है कि जिले का अध्यक्ष जो पहले था वह उपाध्यक्ष के तौर पर सदैव काम किया करेगा, इसके तहत में एक भ्रष्टाचार अधिक बढ़ गया है। भ्रष्टाचार का मतलब रिश्वत लेने से नहीं है, मगर पिछले जिला बोर्ड के १०-१२ सालों के जीवन में जो खराबियां और परेशानियां जनता के सामने आयीं वह आज भी किसी न किसी रूप में आ रही हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर कांग्रेसी अध्यक्ष हैं उनको तो जिलाधीश ने पावर दे रखी है जिला अंतरिम परिषद् में कि ज्यों की त्यों रहें, लेकिन जहां पर कांग्रेसी अध्यक्ष नहीं हैं वहां पर उन्होंने कोई पावर नहीं दे रखी। इस तरह से जनता जैसे ११ साल से पिसती रही उसी तरह से अंतरिम परिषद् में है।

चकबंदी मेरे जिले में हुई मगर उसको अगर 'चक-शिकनी' कहा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। यानी ३ जगह जिसके खेत थे वह ४ जगह हो गये, तो उससे कोई लाभ नहीं हुआ।

[श्री गयाबख्शसिंह]

तकावी के सम्बन्ध म एक ही उदाहरण देना काफी होगा। मेरे जिले में अगस्त के महीने में बैल की तकावी की दरख्वास्तें दी गयीं। ३ महीने तक किसी ने कुछ नहीं कहा। जब पूछ-ताछ हुई तो कहा कि गाय या भैंस की तकावी ले लो। जरूरत बैल की है कि हल जोते और अनाज पैदा करे और उसको कहा कि दूध का रोजगार कर लो, गाय-भैंस की तकावी ले लो, रुपया तो मिलेगा ही। तो मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिये। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि एम० एल० ए० चीजों को अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होती। मैंने स्वयं कहा कि इस वक्त बैल की तकावी की जरूरत है, अगर नहीं है तो ऊपर को लिखा जाय। तकावी के रूप में हमारी सरकार लाखों, करोड़ों रुपया दे रही है मगर मुझे आज तक पता नहीं चला कि क्या कारण है और कैसे ये चीजें होती हैं।

सप्लाई के मुहकमें को अगर घपलाई का मुहकमा कहा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। वहां सुविधा की बजाय असुविधा पैदा करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि चावल नहीं है तो नहीं है। कह दिया कि गेहूं है तो गेहूं है। जहां वह चाहेंगे वहीं दूकान खुलेगी अरबी में एक आयत है, "कुम ब अज्नी" कि खुदा के नाम से उठ जाओ और वह उठ गये। यही हालत है। जो उन्होंने कहा, वह हो गया और जो नहीं कहा वह नहीं हुआ।

मैं आपको बताऊं कि आमघाट के पास हंडियापुर का मौजा है, वहां सहकारी ईंट का भट्टा लगा है। वहां नजदीक जो आमघाट का पुल है उसके लिए ३० लाख ईंट की जरूरत थी, लेकिन उस भट्टे से ठेकेदार ने ईंट नहीं ली। मैं तो दंग रह जाता हूं कि सहकारिता चलेगी कैसे? गरीबों के पैसे से, उधार ले लेकर वह भट्टा चला और उससे भी ईंट ऐसे कामों में नहीं ली जायगी तो कैसे होगा। यही सूचना मैं देता हूं। धन्यवाद,

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने के लिये समय दिया। साथ ही साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं इस अनुदान को प्रस्तुत करने के लिये और इस अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान उन समस्याओं की तरफ ले जाना चाहूंगा जो कि इस समय इस मुल्क के पिछड़े और गरीब लोगों की समस्यायें हैं।

हमारे प्रदेश में हरिजनों की काफी संख्या है और वैसे तो उनके उत्थान के लिये बहुत से कार्य किये गये हैं लेकिन फिर भी उनके पिछड़ेपन को, उनकी सामाजिक व्यवस्था को, उनके शैक्षिक पिछड़ेपन को देखते हुये काफी काम की आवश्यकता है और जो विद्यार्थी पढ़ लिखकर निकले हैं अगर उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है और बेरोजगारी उनकी बढ़ती है तो वे निरुत्साहित होंगे और जो हमारा एक आन्दोलन चल रहा है उसको भी धक्का लगेगा। इसलिये जरूरत इस बात की है कि यह देखा जाय कि नौकरियों में संरक्षण के मुताबिक उनको जगहें मिल रही हैं या नहीं। यद्यपि समय पर इस तरह के आदेश निकले हैं, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि प्रत्येक वर्ष हर विभाग से रिपोर्ट ली जाया करे कि कितनी जगहें भरी गयीं, कितने सुरक्षित स्थान थे और कितने उनमें से भरे गये और कितने नहीं भरे गये और कितनी दरख्वास्तें आयी थीं इस तरह से हर साल प्रगति रिपोर्ट अगर ली जाय तो उससे काफी लाभ होगा।

इसके अतिरिक्त जो लोग नौकरियों में जाते हैं तो विभागीय अधिकारियों की अवहेलना या कुछ ऐसा बर्ताव उनके साथ कभी कभी हो जाया करता है जिसकी वजह से बहुत से लोग सर्विसेज से अलग हो जाते हैं या किसी न किसी बहाने से हटा दिये जाते हैं। तो इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

जहां तक रोजगार की बात है, हरिजन विभाग में बहुत कम रुपया रोजगार धंधों के लिये होता है। कुटीर उद्योग विभाग में अनुदान और ऋण में दोनों में काफी रुपया होता है। अगर उसमें से हरिजनों के प्रार्थना-पत्रों पर भी विचार किया जाय तो उचित होगा। मैंने अभी

पिछले दिनों देखा था कि इंडस्ट्रीज़ विभाग में जो दरख्वास्तें जाती हैं वह वहां से फार्वर्ड होकर डिपार्टमेन्ट तक नहीं पहुंच पाती हैं और अक्सर उन पर यह रिमार्क्स लिखकर छोड़ दिया जाता है कि इसको हरिजन सहायक विभाग से मिलेगा और वहां पर इसको इतनी थोड़ी रकम दी जाती है जिससे उनका काम चलता नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि उनको रोजगार में बढ़ावा देने के लिये, प्रशिक्षण में बढ़ावा देने के लिये, इंडस्ट्रीज़ विभाग की तरफ से भी उनके लिये कुछ ध्यान होना चाहिये।

साथ ही साथ दुकानें करने के लिये लाइसेंस बहुत सी चीजों में दिये जाते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों सस्ते गल्ले की दुकानें हुईं। हम समझते हैं कि शायद किसी को हरिजनों में दूकान मिली हो। अन्यथा उनकी दरख्वास्तों पर विचार नहीं किया जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सी दुकानों का काम है जिनमें लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है उनकी तरफ गौर नहीं किया जाता है और समझा यह जाता है कि नौकरियों में संरक्षण देने के बाद वह सारी बात खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब तक हर दिशा में उनके उत्थान के सम्बन्ध में नहीं देखा जायगा उस समय तक हर तरफ से उन्नति होना बहुत मुश्किल है।

गांवों में आजकल अब तक अक्सर झगड़े हो जाया करते हैं जिनमें हरिजनों को परेशान किया जाता है या अक्सर मारपीट की बातें हो जाया करती हैं, उनमें पुलिस अधिकारियों द्वारा उनकी रिपोर्टों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिये।

जहां तक छुआछूत का मामला है कुओं पर पानी भरने, चारपाई पर बैठने या ऐसे जितने और मामले हैं उनमें इस तरह से तोड़ मरोड़ कर रिपोर्टें लिखी जाती हैं सिवाय ३२३ के दूसरी धारायें जो अस्पृश्यता कानून के अन्तर्गत लागू होनी चाहिये नहीं होतीं जिसकी वजह से उन पर विभाग या पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। जिससे उनको कुछ विशेष सहायता मिल सके। अपने आप मुकदमा लड़ सकें तो लड़ें अन्यथा वे रह जाते हैं। तो इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जहां इस तरह के मामलों में जो अस्पृश्यता ऐक्ट के मुताबिक आते हों क्योंकि उसमें सरकार ने कर दिया है कि पुलिस स्वयं उन मुकदमों को चलायेगी तो उनको चलाने से बचने के लिये वह तोड़ मरोड़ दिये जाते हैं। अगर वह सही सही लिखे जायें तो उत्तम होगा।

अभी मालूम यह हुआ कि ज़िला हरिजन समितियां तोड़ दी गई हैं, कुछ ऐसे आदेश हुये हैं। मैं समझता हूं ज़िला हरिजन समितियां काफी काम कर रही थीं और अगर उन्हें तोड़ा गया है तो फिर से पुनर्गठित किया जाना चाहिये। उन्हें शायद इसलिये तोड़ा गया कि पहले नियोजन कमेटियां थीं जिनके मातहत ये हरिजन समितियां मानी जाती थीं। अब नियोजन कमेटियां तोड़ कर अन्तरिम ज़िला परिषद् के आधार पर वे कमेटियां बनेंगी। तो जब और समितियां बनें तो ज़िला हरिजन समितियों का भी उनके अन्तर्गत जितनी जल्दी निर्माण हो सके किया जाना चाहिये जिससे वहां के कामों में रुकावट न आये।

इसके अलावा जो सर्विसेज़ हैं, चाहे वे ज़िला स्तर की हों या प्रान्तीय स्तर की, काफी दिनों से यह मांग है कि लोक सेवा आयोग में हरिजन सदस्य भी रखा जाना चाहिये। दूसरी मांग यह है कि ज़िलों के अन्दर जो नियुक्तियां होती हैं उनके लिये भी ज़िला स्तर पर एक सेवा आयोग होना चाहिये और उसमें भी हरिजनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये क्योंकि देखा यह जाता है कि ज़िले के दफ्तरों में अक्सर सीधे नियुक्तियां हो जाया करती हैं और बहुत से लोग जिनको उनमें पहुंचना चाहिये वे नहीं पहुंच पाते हैं। अगर ऐसे आयोग बनाये जायं तो यह उम्मीद हो सकती है कि हरिजन भी वहां पहुंच सकते हैं।

दूसरी चीज़ यह है कि जो कारपोरेशन का चुनाव होने वाला है उसमें जो हरिजन सीटों का निर्धारण हुआ है वह हरिजनों की आबादी के अनुपात के हिसाब से नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि पुरानी म्युनिसिपैलिटीज़ में हरिजनों की सीटों की संख्या अधिक थी। हरिजनों की सीटें कम

[श्री मुरलीधर कुरील]

निर्धारित करने की वजह यह है कि सन् १९५२ की जनसंख्या क मुताबिक यह निर्धारण किया गया है, लेकिन जो कार्पोरेशन की सीमायें निर्धारित हुई हैं वे कुछ और बढ़ा दी गयी हैं जिसके कारण जो हरिजन उस बढ़ाये हुये क्षेत्र में बसते थे वे भी कारपोरेशन में आ गये हैं, लेकिन उनका कोई हिसाब नहीं रखा गया है। इसके अलावा सन् १९५१ की जनगणना में कोली, खटिक, धारू और अहेलिया हरिजनों में से निकाल दिये गये थे, लेकिन सन् १९५६ में ये फिर हरिजनों में जोड़ दिये गये। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि सन् ५१ की जनगणना के मुकाबिले में अब आबादी में २५ फीसदी या कुछ इसी प्रकार बढ़ोत्तरी हो गयी है। तो इन सब चीजों को दृष्टि में रख कर हरिजनों की सीटों का निर्धारण किया जाना चाहिये।

इसके बाद अब मैं अपने जिले की ओर सरकार का ध्यान ल जाना चाहता हूं। हमारे यहां कानपुर तहसील में सिंहपुर और ईश्वरीगंज में बिठूर के आसपास कोई ३० गांव ऐसे हैं जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। हर साल गंगा के किनारे के गांव पानी में डूब जाया करते हैं। इस साल जब बाढ़ आयी थी तो म स्वयं वहां गया था और देखा कि एक हफ्ते तक वहां के लोगों को बड़ी परेशानी रही। यद्यपि वहां पर ब्लाक खुला हुआ है, लेकिन उन गांवों को ऊंचा करने के लिये उस ब्लाक में कोई धनराशि नहीं है और न ही सरकार की ओर से कोई धनराशि इस कार्य के लिये दी गयी है जिससे वहां के रास्ते और गांवों को ऊंचा किया जा सकता या वहां के रास्ते ऊंचे किये जा सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के रास्तों को ऊंचा करने के लिये कुछ धनराशि अवश्य दी जाय जिससे लोगों को निकलने में आसानी हो जाय क्योंकि बाढ़ के दिनों में पानी कमर तक आ जाता है और सामान की वजह से वह निकल नहीं पाते हैं। इसलिये वह गाड़ी पर और छप्पर पर सामान रखते हैं और उन्हें इसी तरह से कई रात बितानी पड़ती है।

श्री उपाध्यक्ष--समय समाप्त।

†**श्री सैयद जरगाम हैदर** (जिला बहराइच)--श्रीमन्, मैं बहुत ही मश्कूर हूं कि आपने मुझे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर अपने ख्यालात को इस ऐवान के सामने पेश करने का मौका अता किया है। इससे ज्यादा मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूं कि यह मौका मुझे ऐसे वक्त दिया गया है जब कि ऐसे वक्त हुस्न इत्तफाक से हमारे मुख्य मंत्री जी रौनक अफरोज हैं। मैं मुंतजिर था जिस वक्त कि यह डिमांड पेश की गई तो हमारे मुख्य मंत्री जी इस सरकार के जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आइन्दा साल के लिये कोई पालिसी तय करेंगे लेकिन उनकी खामोशी से मुझे बड़ी मायूसी हुई और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो ढांचा इतने अर्से से ब्यूरोक्रेसी का चला आ रहा है वही आइन्दा साल भी हमारे सिर पर लदा रहेगा।

जब हम इस ग्रांट के ऊपर नजर डालते हैं तो इब्तदा उत्तर प्रदश के गवर्नर महोदय क इखराजात से मिलती है। इस सिलसिले में मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि ऐसा मेरा खयाल है कि जहां तक आईन के मसायल हैं उस सिलसिले में हम कुछ नहीं कह सकते। मिनिस्टरों के बारे में इतना अर्ज करना है कि चार महीने से ९ मिनिस्टरों की कमी से काम हो रहा है और सरकार का काम ठीक तरह से चल रहा है। यह इस बात का सबूत है कि ९ मिनिस्टर जो इस सरकार के थे वह सुपरफ्यूलस थे और जब आपसी इख्तलाफात कम हो गये हैं और अखबारों में यह खबर शाया हो रही है और मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप समझते हैं कि इन चार महीनों में नये मिनिस्टरों के तकर्रुर न करने से काम में कोई फर्क नहीं पड़ा तो बराह मेहरबानी आयन्दा नये मिनिस्टरों को तकर्रुर करके मजीद खर्चे का बार प्रदेश की गरीब जनता पर न डालें। जहां तक हम देखते हैं कि मिनिस्टरों के खर्चे के ऊपर और दौरे के ऊपर ५ लाख से ज्यादा रुपया हर साल खर्च होता है और ज्यादातर यह दौरे बेकार होते हैं और उनका मकसद बजुज इसके कि मिनिस्टर लोग अपने मकान तर तशरीफ ले जाते हैं

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या उद्घाटन करते हैं और उसमें इखराजात होते हैं इसके अलावा और कुछ मकसद नहीं होता। अभी हाल में जब कांग्रेस पार्टी में इख्तलाफात आये तो दौरों की तादाद बढ़ गई। जिन जिन का जहां स्फीअर आफ इंफ्लुयेंस था वहां वह जाने लगे और इसका खर्चा सारे उत्तर प्रदेश के रहने वाली गरीब जनता के ऊपर पड़ा।

आमतौर पर लोग यह समझते हैं कि जिस जिले का मिनिस्टर होता है वह खुशनसीब हुआ करते हैं। लेकिन मैं उस जिले बहराइच का रहने वाला हूं जहां क मंत्री हमार कबिनट में हैं और मुझे यह कहना पड़ता है कि उस जिले वालों की बदकिस्मती हुआ करती है जहां का मिनिस्टर हो जाय; हम देखते हैं कि हर हफ्ते उनकी मोटर वहां घूमा करती है और हम देखत ह कि होली दीवाली में, लड़के की शादी में, कार्यकर्त्ताओं की शादियों में सरकारी मोटरें इस्तेमाल होती हैं और उसका खर्चा सरकार के जरिये जनता के ऊपर पड़ता है। इसलिये मेरी आपके जरिये मुख्य मंत्री जी से गुजारिश होगी कि बराह मेहरबानी मिनिस्टरों के दौरों के ऊपर पाबन्दी लगायें। जिस वक्त कि कोई सरकारी अहम मसला न हो मिनिस्टरों को हेडक्वार्टर्स छोड़कर के हरगिज दौरा खामखाह के लिये नहीं करना चाहिये।

इसके अलावा मिनिस्टरों और अफसरों का नैनीताल जाना भी बन्द कर देना चाहिये हमें याद है कि १९३७ में जब कि यह कांग्रेस बरसरे इक्तदार आयी तो उसने वादा किया था कि उस समय जो गवर्नमेंट हुई थी वह नैनीताल नहीं जायगी। जब तक देश में आजादी नहीं आयी, और जब तक आपके दिल में यह जजबा था कि हम पब्लिक की खिदमत करें उस वक्त तक आपके नजदीक लखनऊ की गरमी में वह सख्ती नहीं थी, जिसको आप बरदाश्त न कर सकें लेकिन आजादी आ जाने के बाद मैं पूछता चाहता हूं, हमारे मंत्रियों को इतनी जहमत क्यों होने लगी इस लखनऊ की गरमी से, और मई और जून के महीने में नैनीताल की ठंडी हवा की याद क्यों आने लगी? इसी सिलसिले में मैं बड़े बड़े अफसरों के दौरों का भी तजकिरा कर देना चाहता हूं। बड़े अफसरों के दौरे भी बिलकुल सुपरफ्लुअस होते हैं। हमारा जिला बहराइच इत्तफाक से बड़ा अच्छा शिकारगाह है। नवम्बर और अप्रैल के महीने में जितने प्रदेश के बड़े-बड़े अफसर हैं उन सब का दौरा बहराइच में होता है। इनकम टैक्स कमिश्नर, डिवीजनल कमिश्नर, इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स वगैरह जितने बड़े-बड़े अफसर हैं एक साथ एक मौके पर एक ही तारीख में बहराइच का दौरा करते हैं। बहराइच जिले में तीन तहसीलें हैं कैसरगंज, नानपारा और बहराइच सदर। इसमें नानपारा तहसील बड़ा अच्छा शिकारगाह है। जितने बड़े बड़े अफसर जाते हैं सदर और कैसरगंज तहसील में जाना गवारा नहीं करते। नानपारा तहसील में जहां ऊसर बंजर इलाका है वहां भी जाना पसन्द नहीं करते। सारा दौरा उन्हीं मुकामों पर करते हैं जहां पर अच्छा शिकारगाह है। हजारों रुपया खर्च होता है। इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस की वजह से सब-इंस्पेक्टर खर्च करता है कमिश्नर की वजह से पटवारी और कानूनगो खर्च करता है, चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स की वजह से रेंज आफिसर खर्च करता है। एक एक शिकार में पांच पांच सात हजार रुपया खर्च होता है। मैं आपके जरिये सदन से पूछना चाहता हूं कि जब एक सब इंस्पेक्टर एक शिकार में एक हजार रुपया पूल में चन्दा देगा, एक पटवारी और कानूनगो एक हजार रुपया पूल में चन्दा देगा, एक रेंज आफिसर एक हजार रुपया पूल में चन्दा देगा तो उसकी ईमानदारी कहां रहेगी? और इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस के सामने मोतीपुर और मुर्तिहा के थानेदार की जब शिकायत पहुंचेगी तो वह भी सोचेगा कि थानेदार ने एक हजार रुपया खर्च किया था, अगर रिश्वत नहीं लेगा तो पेट कहां से पालेगा? मैं यह मांग करता हूं कि गवर्नमेंट सरवेंट्स कंडक्ट रूल्स में प्राविजन कर दिया जाय कि बड़े–बड़े अफसर शिकार करना बन्द कर दें।

[श्री सैयद जरगाम हैदर]

दूसरी चीज यह है कि इत्तफाक से विरोधी दल की तरफ से इसको इत्तफाक राय से तय कर दिया गया कि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस पर डिबेट न हो इसलिये इस वक्त मैं अपने खयाल जुडीशियरी के मुताल्लिक रख देना जरूरी समझता हूं। सेपेरेशन आफ जुडीशियरी ऐंड इग्जिक्यूटिव की मांग बार-बार की गयी है। अगर विधान के ऊपर नजर डाली जाय तो फंडामेंटल्स आफ स्टेट पालिसी में सैपरेशन आफ जुडीशियरी ऐंड एक्जिक्यूटिव एक फंडामेंटल है। इसलिये सरकार जो इसमें कोताही करती है तो सरकार विधान के बनाये हुए फंडामेंटल्स आफ स्टेट पालिसी की मुखालिफत करती है, जिसकी आये दिन इस गवर्नमेंट के मंत्री कसम खाया करते हैं। आज जुडीशियल मैजिस्ट्रेट से बढ़ कर बदतर क्लास कोई नहीं है। एक मुंसिफ जिस वक्त नौकर होता है वह ख्वाब देखता है कि हम मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट जज हो जायेंगे, एक पटवारी सोचता है कि हम नायब तहसीलदार हो जायेंगे, एक डिप्टी कलेक्टर सोचता है कि हम चीफ सेक्रेटरी हो जायेंगे। लेकिन जूडिशियल मैजिस्ट्रेट का तकर्रुर जूडिशियल मैजिस्ट्रेट के तरीके से होता है और सारे रास्ते तरक्की के उसके बन्द हो जाते हैं। जूरिस्प्रूडेंस में एक मसल आती है कि वन्स ए मार्गेज आलवेज़ ए मार्गेज। एक बार रेहन हो गया हमेशा के लिए रेहन रहेगा। यही लाट है, यही तकदीर है हमारे जूडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की। मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि इस मसले पर खासतौर से तबज्जह की जाय। जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलाहिदा करने के बारे में हम लोगों के अलावा हाईकोर्ट के जजेज ने भी एक से अधिक बार अपनी मुख्तलिफ तजवीजों में इसकी मांग की है। अभी हाल में ला कमीशन की रिपोर्ट जो शीतलवाड जी की सदारत में बना था उसमें भी इस बात की मांग की गई है। इसलिये मेरा कहना सरकार से है कि आप इस पर गौर कीजिये और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को याद दिलाऊं सन् १९३७ में जब पहली बार गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त पंडित पंत ने उन्हीं मुंसिफों को मैजिस्टीरियल पावर्स दिये थे। कम से कम उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाय।

एक आइटम में मैंने देखा कि अन्तरिम जिला परिषद् के चुनाव के बारे में २१ हजार रुपया रखा है। इसके मानी यह है, जाहिर है कि २१ हजार रुपये में ये चुनाव नहीं हो सकते। तो जो यह कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जिला परिषदों के चुनाव कराये जायेंग यह भी हमको धोखे में रखा जा रहा है। सन् ५१ में हमारा कांस्टीट्यूशन बना और उसके ऊपर अमलदरामद हुआ। दो बार एलेक्शन हुए। स्टेट्स रीआर्गेनाइजेशन जैसा अहम और डिस्प्यूटेड लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने किया। स्टेट्स बदली गई। नयी बनी और चुनाव हुआ। तो हम समझ नहीं पाते कि वह कौन सी दुश्वारियां हैं जिनकी वजह से अन्तरिम जिला परिषदों का चुनाव न कराया जा सकता हो। आपकी इजाजत से मैं यह कहने की जुर्रत कर सकता हूं कि मुझे दो ही ऐसी हुकूमत दिखाई देती है जहां चुनाव को इस तरह से टाला गया हो। एक फिरोज खां नून की हुकूमत पाकिस्तान में थी और एक हमारे मुख्य मंत्री की सरकार इस उत्तर प्रदेश में है। एक का हश्र जो हुआ वह हम लोगों ने देख लिया। दूसरे के बारे में मैं कोई पेशीनगोई करना नहीं चाहता।

आखिर में श्रीमन्, मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल है? हमारे जिले बहराइच में कलेक्टोरेट के दफ्तर में आग लग गई। नानपारा का जितना रेकर्ड आफिस था जल गया। अगर आप शहर बहराइच के और नानपारा के रहने वालों की आम राय जानना चाहें तो मालूम होगा कि एक आम इंसान यही सोचता है कि कुछ अहम कागजात थे जिनको सरकारी अफसरान छिपाना चाहते थे और जिसकी खातिर वहां का दफ्तर जला दिया गया। अन्तरिम जिला परिषद् के बारे में सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि वहां पर एक ऐसी सभा में जिसमें असेम्बली के मेम्बर हों, पार्लियामेंट के मेम्बर हों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुने हुए मेम्बर हों वहां पर एक आफिसर प्रेसीडेंट हो, इससे बड़ी जम्हूरियत की जिल्लत हो नहीं सकती। पब्लिक के नुमाइंदों की मीटिंग में की सदारत

आखिर में श्रीमन्, मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल है? हमारे जिले बहराइच में कलेक्टोरेट के दफ्तर में आग लग गई। नानपारा का जितना रेकर्ड आफिस था जल गया। अगर आप शहर बहराइच के और नानपारा के रहने वालों की आम राय जानना चाहें तो मालूम होगा कि एक आम इंसान यही सोचता है कि कुछ अहम कागजात थे जिनको सरकारी अफसरान छिपाना चाहते थे और जिसकी खातिर वहां का दफ्तर जला दिया गया। अन्तरिम जिला परिषद् के बारे में सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि वहां पर एक ऐसी सभा में जिसमें असेम्बली के मेम्बर हों, पार्लियामेंट के मेम्बर हों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुने हुए मेम्बर हों वहां पर एक आफिसर प्रेसीडेंट हो, इससे बड़ी जम्हूरियत की जिल्लत हो नहीं सकती। पब्लिक के नुमाइंदों की मीटिंग में की सदारत

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करे, यह किसी तरह मुनासिब नहीं कहा जा सकता। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बारे में बहुत कहा जा चुका है। इसलिये मैं ज्यादा न कहकर आखीर में जो पालीवाल जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसकी हिमायत करता हूं।

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस सामान्य प्रशासन अनुदान जो मुख्य मंत्री ने पेश किया है उस पर उनको बधाई देते हुए उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। विरोधी दल के बहुत से लोगों को मैंने सुना। यह ठीक है कि खामियां होती हैं और कोई शख्स यह नहीं कह सकता कि वही एक फरिश्ता सूरत आज दुनिया में पैदा हुआ है और दूसरों में वह नुक्ताचीनी पैदा करे। यह कोई नहीं कह सकता। बेशक इंसान हैं। गलती करते हैं। बेशक, इंसान हैं गलती करते हैं। आज १२ वर्ष हुए हमारे देश को आजाद हुए। एकाएक सारे देश का इतना बड़ा इंतजाम संभालना कोई आसान बात नहीं है। आजादी मिलते ही सारे देश में और खासकर इस उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुहकमे खुले, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए और मेरा ख्याल है विरोधीदल के लोग इसको नजरअन्दाज नहीं कर सकते। जब कभी काम बढ़ाया जाता है तो उसके लिये यह जरूर है कि ज्यादा इंतजाम करना पड़ता है, आदमी रखने पड़ते हैं। तो इस तरह से जब ज्यादा काम बढ़ा तो यह ठीक है कि उस काम को पूरा अन्जाम देने के लिए बहुत सारी जगहों में कमियां रही हैं। मुझे अफसोस यह है कि विरोधी दल के लोग कोई इस तरह की कांस्ट्रक्टिव तरीके की बातें करना नहीं जानते। कभी कोई मिनिस्टरों पर आ जाते हैं तो कभी कोई मिनिस्टरों की गाड़ियों पर और कभी पहाड़ पर चले जाते हैं। यह तो छीटा कसने की बातें हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---आप अपनी स्पीच जारी रखें।

श्री एस० जी० दत्त---जब कभी वास्ता पड़ेगा कुरसी में बैठेंगे तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। भूख हड़ताल कर लेना और वहां बैठ कर सरकार को गाली देना आसान है, लेकिन कोई समझ की बात कहना वह दूसरी बात है।

अगर यह कहा जाय कि सब लोग बड़े बेईमान हैं तो यह तो आप कह नहीं सकते क्योंकि अगर आप सबको बेईमान कहें तो आपका कहना गलत होगा। हां, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो अपने काम को ठीक तौर तरीके से न करते हों, लापरवाह हो। इसके लिये हमारा आपका फर्ज है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिये हम अपनी तरफ से अपनी एडवाइज अपना मशविरा दें सरकार को और यह बड़ी खुशी की बात होगी। वक्त कम होने की वजह से मैं मुख्य मंत्री जी की तवज्जह अपने कानपुर शहर की तरफ दिलाना चाहता हूं ज्यादा न कह कर। कानपुर शहर इस सूबे का बड़ा शहर है और कामर्शियल टाउन है। मैं समझता हूं कि इस सूबे के सारे शहरों से ज्यादा आमदनी सरकार को कानपुर से होती है। इस वास्ते मैं नहीं कहता कि सरकार तवज्जह दे.....

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---४६ लाख बिजली का कानपुर में बकाया भी है।

श्री एस० जी० दत्त---बहुत अच्छा। मैं सरकार की तवज्जह वहां की जो मिलें बन्द हैं उनकी ओर दिलाना चाहता हूं कि वह मिलें जल्द से जल्द खुल सकें। यह मैं नहीं जानता कि किसकी गलती है लेकिन उसका वह प्रबन्ध करें जिससे वह जल्दी खुल सकें और मजदूरों को रोजगार मिल सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री एस० जी० दत्त]

दूसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ सप्लाई डिपार्टमेंट का काम सुस्ती से चल रहा है और खास कर इस सप्लाई विभाग का काम गल्ले की दुकान की ओर जो हो रहा है उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

मैं सरकार से एक माइनारटी कम्युनिटी के बारे में भी कहना चाहता हूं जो किसी वक्त में तालीम के लिहाज से अगुआ रही है । और वह है इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी । उन्होंने अपने इनिशियेटिव से इदारे खोले, तालीम दी । लेकिन चन्द सालों के अन्दर उनकी ऐसी हालत हो गई है कि वे अपने बच्चों को पूरे तौर पर तालीम हासिल नहीं करा सकते । इसकी वजह यह है कि इस कम्युनिटी के अन्दर इतनी गुरबत आ गई है कि जिसकी वजह से यह उनको तालीम नहीं दे सकते । तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस तरफ अपनी तवज्जह करें क्योंकि जो तालीम देने वाले थे अगर वे बेतालीम गुरबत की वजह से रह गये तो फिर हमारे देश में ज्यादा तरक्की नहीं हो सकेगी ।

मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार इस इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी को सर्विसेज में ले, जो क्वालिफाइड हैं उनको ले । लेकिन होता यह है कि वह अपनी अरजी देते हैं पर उनकी सुनवाई नहीं होती है । शायद उनका कोई सोर्स नहीं है । जिस तरह से मेरे पास शिकायतें आती हैं उसके आधार पर ही मैं कह रहा हूं । इसलिये सरकार की तवज्जह मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि सरकार ज्यादा से ज्यादा इस गरीब कम्युनिटी की तरफ भी ध्यान दे ताकि इसका जो अनइम्पलायमेंट का सवाल है यों तो और लोगों में भी है लेकिन इसमें ज्यादा है वह सवाल हल हो । पुलिस में इस कम्युनिटी का आज तक शायद कोई सब इंसपेक्टर आफ पुलिस भी नहीं लिया गया है । इसी तरह से और भी खामियां हैं जिनकी तरफ मैं सरकार को तवज्जह दिलाने का अनुरोध करता हूं ।

दूसरी बात यह है कि इस कम्युनिटी के जो अस्पताल वगैरा हैं उनमें दवाई वगैरा बहुत कम हैं । उनसे पब्लिक की खिदमत अच्छी हो रही है लेकिन उनके पास पैसे की कमी है । उनको जो ग्रांट दी जाती है वह भी बहुत थोड़ी है । स्कूल हो या अस्पताल हो, सब की यही हालत है । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह ग्रांट की तरफ तवज्जह देकर उनके लिये ग्रांट बढ़ायें ।

अपने उस तरफ के भाइयों से मुझे यह अर्ज करना है कि भाई देखो, हम और आप सब इस देश के हैं और पब्लिक ने हमको चुनकर भेजा है । हमको बहुत ईमानदारी के साथ और दयानतदारी के साथ पब्लिक की आवाज को यहां पर रखना चाहिये और उसको सही तरीके से पेश करना चाहिये । अगर महज अपोजीशन की वजह से अपोज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इस बात का खयाल नहीं करते कि जो चीज सही तरीके से चलना चाहिये वह उस तरीके से चले । इसका मतलब यह भी है कि आप यह चाहते हैं कि यह सरकार नीचे गिर जाय । अगर आप इस तरह से न सोचें शायद आप नेता न बन पायें और आपकी पार्टी भी आगे न बढ़े । मैं गेंदा सिंह जी से कहना चाहता हूं कि आप भूख हड़ताल करना छोड़िये । आप रचनात्मक कार्य कीजिये । मैं भी मजदूर वर्कर हूं । भूख हड़ताल का नशा अच्छा नहीं है । अगर यह बीमारी फैल गई तो जब आप इस कुरसी पर बैठ जायेंगे तो आपके लिये यह जाने वबाल हो जायगा । इस बात को हटा दीजिये । रचनात्मक तरीके से कार्य करना चाहिये ।

मैं अन्त में फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि हम सब ईमानदारी से काम करें और जो अफसर अच्छी तरह से काम नहीं करता है उसकी शिकायत मुख्य मंत्री के नोटिस में लायें और सही तरीके से लायें तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार उस पर ऐक्शन न ले । बस मुझे इतना ही निवेदन करना था ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कुछ बचत की जा सकती है । मैं उस ओर मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसमें शक नहीं है कि वह बड़े विद्वान और बुजुर्ग हैं और उनसे हमें बहुत बड़ी आशायें हैं । जैसे उन्होंने कई तूफानों (waves) को टाइड ओवर किया, मैं समझता हूं कि हिम्मत से वैसे ही काम लेने से जो खराबियां आ गई हैं वे भी टाइड ओवर हो सकती हैं । अगर उनके कार्यकाल में नहीं हो सकीं तो उनसे कम तजुर्बे वाले या कम हिम्मत वाले से शायद नहीं हो सकेंगी अगर उसी दल का राज्य रहा तो । अगर हम चाहते हैं कि खर्चा कम हो तो नमूना मंत्रिमंडल से शुरू होना चाहिये । मैं इस बात का विरोध नहीं करता हूं कि वह क्यों १,५०० या १,२०० रुपया माहवार लेते हैं क्योंकि उन्हें ठीक तरह से रहना पड़ता है और १० अतिथि भी आते ही हैं । मैं उनसे कहूंगा कि सीधे सीधे २,००० रुपये ले लीजिये मगर ये बंगला, मोटर, टैक्स वगैरह जो हैं जिनकी वजह से जनता को उंगली उठाने का अवसर मिलता है, ये सब बन्द कीजिये । हमसे भी आपके लिये कुछ कहना सुना नहीं जाता ।

पहले तय किया गया था कि अफसरों से स्टाफ कारें ले ली जावेंगी । मुझे पता लगा है कि ८५ लाख से लेकर १ करोड़ तक की इससे बचत होगी । २ साल हुआ चाहते हैं, अक्तूबर ५८ तक की लास्ट डेट थी, मगर अभी तक क्यों नहीं इस पर सरकार ने अमल किया है ? दोनों ओर के लोग इस पर जोर देते हैं, फिर क्यों नहीं यह बचत की जाती ? अभी पता लगा कि ८ लाख की म्यूरल पैंटिंग इन दीवालों पर होगी । चाहे इनमें चित्र नेताओं के हों या सिनेमा स्टारों के हो, भले ही वे हमारी आंखों को ठंडे लगें, मगर, इसमें गरीब जनता का ८ लाख रुपया नहीं फूंकना चाहिये । इससे गरीब जनता के पेट की ज्वाला शान्त नहीं होगी । हमारा वह बूढ़ा बाबा लंगोटी लगाकर चलता था । वह इसलिये बड़ा नहीं हुआ कि लार्ड इरविन ने या बृटिश गवर्नमेंट ने उसे बुलाया, उसके लिये चर्चिल ने कहा था कि नैकेड फकीर आफ इंडिया । उन्होंने कहा था कि अगर बादशाह को भी मिलना है तो हमारे ही लिबास में मिलना होगा । इसलिये अगर उसके सिद्धांत को मानते हैं तो ये लिफ्ट बन्द होने चाहिये । ९०,००० का फर्नीचर पुराना विधायक निवास में पड़ा हुआ है मगर कोई देखने वाला नहीं है । इसके अलावा, हमारा सूचना विभाग एक सफेद हाथी पाला जा रहा है । अभी उधर के एक सदस्य ने कहा था, जो शायद कुछ होने की भी उम्मीद करते हैं, कि सूचना विभाग खत्म कर दिया जाय । तो उन्हीं की बात मंत्री जी मान लें । इसमें लगभग ३२ लाख रुपये की बचत है । एक स्टेज का ४०,००० रुपया है । ये ऐसे खर्चे सरकार को शोभा नहीं देते हैं । फिर, यह हमारा हाउस इतना बड़ा ४३० सदस्यों का न रखकर आधा कर दिया जाय तो इसका खर्चा भी आधा हो सकता है, एक जिले से आधे सदस्य आवें । इसी तरह से अपर हाउस को खत्म कर दिया जाय और इन बातों के लिये सेंटर को मूव किया जाय । मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि मिनिस्टर्स पर डेढ़ लाख रुपया कम रखा गया है क्योंकि वे घटकर २९ से २० रह गये । मगर कहीं सप्लीमेंटरी बजट में फिर उनके लिये रुपया न मांगा जाय । मैं व्यक्तियों की बात न कहकर खर्चे की बात कह रहा हूं ।

इसी तरह से राज्यपाल का पद है, जो बड़ा सुन्दर और शोभा का है । यह अंग्रेजों के जमाने का पद है । जब हमने अंग्रेजों की मुर्दा मूर्तियां उखाड़ कर फेंक दीं तो इस पद को समाप्त करने में कौन सी कठिनाई है ? मुख्य मंत्री जो प्रजातंत्र की कद्र करते हैं और करना भी चाहिये । बहुमत की मांग है कि रिटायरमेंट की आयु ५८ से घटाकर ५५ रखनी चाहिये । कितने ही लड़के हमारे और आपके हैं जो बेकार हैं । यदि ५५ वर्ष में एक बूढ़ा रिटायर हो जाता है तो वह पेंशन पावेगा यद्यपि हम उससे यह नहीं कहते कि तुम नौकरी से रिटायर हो गये तो संसार से भी रिटायर हो जाओ । अभी एक आडिट रिपोर्ट में देखा कि एक ५५ वर्ष की आयु का अफसर मई सन् ४७ में रिटायर हो जाना चाहिये था । सन् ४८ जून तक उनको

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

सर्विस बढ़ा दी गई । उसके बाद उन्हें डैपुटेशन पर भेजा गया और डैपुटेशन एलाउंस २५ प्रतिशत और वेतन में २५ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई । फ्री कार और हाउस दिया गया । उसके बाद वह रिटायर हो जाने वाले थे लेकिन १० महीने की उन्हें छुट्टी दे दी गई । यह बिलकुल अनियमित हुआ । उसके बाद टेहरी गढ़वाल मर्ज हो गई यू० पी० में । उनको फिर मई ३० तक रखा गया । इस बीच में वह पेंशन भी लेते रहे । इतना ही नहीं, उनको लीव सैलरी भी दी गई । इसके बाद आब्जिट आबजेक्शन यह है कि जनवरी २६ सन् ४८ से लेकर अप्रैल, ५० तक उन्होंने डियरनेस एलाउंस जो किसी प्रकार नहीं मिल सकता था वह भी लिया । बाद को गवर्नमेंट ने वह सब वापिस लेने का आर्डर दिया लेकिन फिर कहा कि नहीं यह सब गलत हुआ है और रिफंड हो गया । यह सब क्या बात है ? इसलिय मैं मंत्री जी से कहता हूं कि हम इन बातों में बचत कर सकते हैं । जितने विभाग मैंने पहले गिनाये हैं उन सबको मिलाकर कई करोड़ रुपये की बचत हो सकती है । महज अफसरों को गाली देकर भी यह काम नहीं हो सकता है । हम लोगों को जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग नहीं है । जैसा ढाचा चल रहा है, अफसर ही चला रहे हैं । मैं अफसरों की हिमायत नहीं करता हूं मगर यह कहता हूं कि यदि रोज हम उनको गाली देते रहेंगे तो यह बात भी गलत ह । लेकिन अफसरों के लिये एक ऐसी क्लास खोली जाय जिससे उनका जन-सम्पर्क बढ़े और कुछ दिन के लिये उन्हें देहात में भेजा जाय, या उनको जनता के बीच में भेजा जाय जिससे उनकी साहबियत समाप्त हो जाय । जिस आदमी से आप काम लेते हैं अगर हर समय उसको आप गालियां देते रहेंगे, रात दिन कोसते रहेंगे तो उससे काम नहीं चल सकता । एक बात यह है कि पहले तो मंत्री जी ही हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो अफसर भी सोचते हैं कि यह जो दोतरफा बात हो रही है, इसको भी थोड़ा सह लिया जाय । दिल के बहलाने को यह खयाल अच्छा है । अतः उनके अन्दर आप जनता के सेवक होने की भावना भरें और अगर वे गलती करते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाय ।

रिआर्गेनाईजेशन में आपने इतना रुपया खर्च किया लेकिन अब मालूम हुआ कि उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया है । लोग कहते हैं जो सेक्रेटरी थे उनका प्रमोशन होने वाला था, उनको दूसरी जगह भेज दिया गया है । क्योंकि उनकी ही यह योजना है इसलिये उसका उनको यह इनाम मिला उनको यहां से बाहर भेज दिया गया । यह आप करते क्या हैं ?

जुबली हैल्थ स्कूल की लड़कियों ने आपके पास शिकायत भेजी है कि वहां पर लड़कियों के साथ किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया जाता था। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में अफसरों के खिलाफ ऐसी बातें लिखी है लेकिन उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। वहां की जो इस प्रकार की सुपरिन्टेन्डेन्ट थी वह अब अमेरिका जा रही हैं । जो शब्द उन्होंने लिखे हैं उनको यहां कहा नहीं जा सकता । माननीय मंत्री जो इस ओर ध्यान दें । आप से न कहें तो किस से कहें ? कौन उसको देखेगा ? आप इस बात को देखें कि बहन बेटियों की इज्जत को जिन लोगों ने खराब किया है, उनके खिलाफ ऐक्शन लें । माननीय जवाहरलाल रोहतगी जांच के लिये गये थे लेकिन उनके सामने उन लड़कियों को जाने तक नहीं दिया गया जो उन्होंने अपनी दूसरी दरख्वास्त में लिखा है और अब वह १२–१४ साल वहां पर रहने के बाद अमेरिका जा रही हैं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)––मान्यवर, मैं प्रस्तुत अनुदान संख्या १३–१४ के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । अभी उत्तर प्रदेश क प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ बातें उधर स कही गयीं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वह सारे भारतवर्ष के प्रशासन का एक अंग है और उसकी जो सेवायें हैं वे ब्रिटिश राज्य की बनायी हुई हैं, यद्यपि उसमें कुछ सुधार अवश्य हुआ है । जब हम स्वराज्य ऐसी व्यवस्था से हासिल करें जिसमें खून खराबो न हो, जिसमें सुधार का गांधीवादी तरीका अपनाया जाय तो हमें यही करना होगा कि लोगों में वस्तुस्थिति को देखकर धीरे धीरे सुधार किया जाय और उसके तौर तरीकों को बदल कर काम चलायें क्योंकि वह भी इसी देश के नागरिक हैं

इसलिये उनको अलहदा नहीं किया जा सकता। अब उस अंग्रेजी प्रशासन में जो भी सुधार यह कांग्रेस सरकार कर सकती थी, वह उसने किया है।

लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट है १९५५-५६ की उसको मैं आपके द्वारा इस सदन के सामने पढ़ देना चाहता हूं। उसके पेज २६ पर लिखा हुआ है--

> "आयोग को यह देखकर बड़ा संतोष है कि केवल थोड़े से मामलों को छोड़कर, जिनका वर्णन इस रिपोर्ट में किया गया है, शासन तथा अन्य नियुक्ति प्राधिकारियों ने भारतीय संविधान एवं लोक सेवा आयोग के कृत्यों के परिसीमन के विनियमों के उपबन्धों का समुचित रूप से पालन किया और आयोग द्वारा प्रदत्त परामर्श भी यथा-विधि मान लिया। आयोग मुख्य मंत्री का विशेष रूप से कृतज्ञ है कि जो मामले उनकी नोटिस में लाये गये, उन पर उन्होंने शीघ्र ही समुचित कार्यवाही की।"

मान्यवर, माननीय पालीवाल जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव रखते हुए प्रशासन के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा और माननीय देशमुख के भाषण की भी चर्चा उन्होंने की तथा जो भारतवर्ष के कम्पट्रोलर हैं, उनकी भी चर्चा की। ऐसे आप जबानी जो कुछ भी टीका-टिप्पणी करना चाहें कर सकते हैं लेकिन एक अधिकृत संस्था जो लोक सेवा आयोग है उसकी रिपोर्ट मैंने आपके सामने पढ़ कर सुना दी जिससे सारी बातें स्पष्ट हो गयीं कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का मतलब यह नहीं होता है कि पार्लियामेंट की हुकूमत होती है, हुकूमत तो होती है सर्विसेज के जरिये ही। पार्लियामेंट ने सर्विसेज को रूल्स बना कर दे रखे हैं जिससे वह हुकूमत करती है। आज सेवाओं पर इस सदन का नियन्त्रण कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा ही होता है। इसीलिये विरोधी पक्ष को काफी सुविधा दी जाती है और उनकी टीका-टिप्पणी तथा उनके सुझावों का बराबर स्वागत होता है तथा उनके सुझावों के अनुसार जहां तक सम्भव होता है, काम भी किया जाता है। लेकिन इस तरह से प्रशासन की टीका-टिप्पणी करना यह कोई स्वस्थ टीका-टिप्पणी नहीं दिखलाई देती है।

श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सन् ४७-४८ में करीब २ हजार आई० सी० एस० आफिसर भारत में थे जो उत्तर प्रदेश को उसी अनुपात से मिले। इनमें से कुछ तो पाकिस्तान चले गये तथा कुछ योरप और केवल ७०० ही बच गये। अब सरकार के सामने यही रास्ता था कि या तो वह उतने ही आफिसरों से अपना काम चलावे या अपना काम आग बढ़ाने के लिये और अधिकारियों के रखने के प्रश्न पर विचार करे। अपना काम चलाने के लिये चूंकि नये अधिकारी जल्दी में इतनी बड़ी संख्या में मिल नहीं सकते थे इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि जो नीचे के पदाधिकारी हैं उनकी ही पदोन्नति की जाय और तब तक उनसे ही काम लिया जाय। लिहाजा उनको ही आगे बढ़ा कर उनसे काम लेना पड़ा। ऐसी स्थिति में अगर कुछ थोड़ा सा स्तर नीचे गिर गया हो तो कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। इस बात को सभी मानते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं।

दूसरी बात यह है कि समय समय पर जो भरतियां (रिक्रूटमेंट) हुए उनमें जितनी भी निष्पक्षता बरतनी चाहिये उतनी बरती गयी, इसके प्रमाणस्वरूप मैंने इस सदन के सम्मुख लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से पढ़ कर सुनाया। प्रजातंत्रीय शासन में जिस पार्टी की सरकार होती है वह पार्टी तो आती-जाती रहती है लेकिन जो सर्विसेज होती हैं उनकी ड्यूटी यही होती है कि चाहे कोई भी शासन हो लेकिन जनता के साथ उनका जो व्यवहार होता है उसमें किसी तरह की त्रुटि न आने पावे। बजट जो इस सदन के सामने पेश किया गया है, अगर उससे सम्बन्धित सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही टीका-टिप्पणी की जाय तो अच्छा होता है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि लिफ्ट की क्या जरूरत है। बराबर क्लार्क्स आदि को ऊपर से

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

नीचे और नीचे से ऊपर आना जाना पड़ता है। अगर लिफ्ट न हो तो उनको एक काम के लिये आने-जाने में घंटो तक लग सकते हैं तथा माननीय सदस्यों को भी असुविधा हो सकती है। अगर उनके न लगाने से कुछ हजार की बचत हो जाय और लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़े तो उसके सामने वह कोई खास चीज नहीं है। इसी तरह से कहा जा सकता है कि इस सदन में से कुर्सियां हटा कर नीचे दरी बिछा दी जाय और उस पर हम लोग बैठें तो १०, २० हजार की बचत हो सकती है। लेकिन इस तरह के सुझाव से कोई खास फायदा नहीं हो सकता है।

एक सुझाव मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को यह देना चाहता हूं कि जिले में जो ऐंन्टीकरप्शन कमेटीज (भ्रष्टाचार निरोधक समितियां) बनी हुई हैं उनमें अगर सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार दिये जायं तो वह कमेटीज ज्यादा सक्रिय हो सकती हैं और उनका ज्यादा प्रभाव हो सकता है। अगर किसी चीज की जांच-पड़ताल हो तो जो भी अधिकारी जांच के लिये जायं वे सदस्य को लेकर जायं तो ज्यादा सुविधा हो सकती है। इसलिये कि हमारी जो शासन की मशीनरी है वह तो अंग्रेजी काल की है, उसमें हमने एक ढांचा ऐसा पाया जिसमें पेपर जस्टिस होती है, गवाहों पर बहुत मुनहसिर होता है। पहले हमारे यहां यह होता था कि वास्तविकता का तरफ जाते थे। जो हमको जूरिस्प्रूडेंस मिला वह फोरेन मिला लेकिन फिर भी हमारी जुडिशियरी सबसे बढ़िया है, सारी दुनिया मानती है। हमारे यहां परम्परा यह थी कि किसी को कोई तकलीफ होती थी तो प्रशासक उसकी बात को सुन करके न्याय करता था। लेकिन अब तो दिक्कत यह है कि गवाहों के जरिये से न्याय होता है झूंठ बोल कर। इसलिये जो हमारी पुरानी न्याय पद्धति थी उस तरफ हमें कदम उठाना चाहिये, इससे हमारा कैरेक्टर उठेगा।

एक बात की तरफ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान और दिलाना चाहता हूं। माननीय जगदीश शरण अग्रवाल जी ने खंडसारी उद्योग के बारे में कहा; मेरा तो यह निश्चित मत है कि इस पर जो टैक्स लगा है वह ठीक है। सन् १९३० में यह मसला टैरिफ बोर्ड के सामने गया, १९१४ की लड़ाई के बाद गन्ने का उत्पादन बढ़ा, गुड़ ज्यादा पैदा होने लगा और मिलें भी स्थापित हुईं तो यह परिस्थिति पैदा हुई कि गुड़ को संरक्षण दिया जाय; और बोर्ड ने १९३२ ई० में फैसला भी किया कि हां संरक्षण दिया जाय; लेकिन पिछले ३० साल में सफेद चीनी का बनना ज्यादा शुरू हो गया और करीब ३५ करोड़ रुपया चीनी उद्योग में लगा हुआ है। तो सरकार की नीति होनी चाहिये कि इस उद्योग की फिर से नये सिरे से जांच की जाय और जो किसान गन्ना पैदा करते हैं उनको संरक्षण दिया जाय क्योंकि बार-बार शिकायत आती है कि गन्ने के दाम नहीं मिलते, कम दाम मिलते हैं। मैं समझता हूं कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां गन्ना ही हो सकता है। तो चीनी उद्योग से लगा करके प्रशासन की नीति ऐसी होनी चाहिये कि उसको संरक्षण मिले और मैंने सुना भी है कि केन्द्रीय सरकार फिर इस मामले को टैरिफ बोर्ड को भेज रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर नहीं भेजती है तो प्रदेश की सरकार की ओर से मांग होनी चाहिये कि इस सारे मसले की जांच होनी चाहिये क्योंकि गन्ने से कई फायदे हैं। इस उद्योग में १ एकड़ में डेढ़ टन ऐसा होता है जो चारा होता है, चीनी भी मिलती है साथ ही साथ १३, १४ लाख आदमी लगे हुए हैं और चौथी बात यह है कि पेराई आदि ऐसे समय में होती है जब खेतिहर को कोई कारबार नहीं है। इसलिये यह आवश्यक है कि प्रदेश की ऐसी नीति होनी चाहिये कि इस समस्या की जांच करे।

खंडसारी वाली बात रही। मैं तो विश्वास करता हूं कि इस पर टैक्स लगना चाहिये, क्योंकि खंडसारी जहां पर चीनी मिलों के एरिया में हैं तो चीनी की मिलों में कठिनाई हो रही है और साथ ही किसानों को भी अधिक से अधिक फायदा हो। इसलिये अब यह अवस्था आ गई है कि खंडसारी मिल हो, या कोई मिल हो, मुनासिब दाम किसान को मिले। इस दृष्टि से खंडसारी पर जो टैक्स अब तक माफ था उस पर लगना चाहिये। माननीय जगदीश शरण जी से मैं मतभेद रखता हूं। उनका दृष्टिकोण ठीक नहीं है। हमको किसान को अधिक

से अधिक फायदा पहुंचाना है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुदान संख्या १३ और १४ का समर्थन करता हूं ।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तकरीरें हुईं कि जनता की आवाज लानी चाहिये । उधर से आवाज आई कि एतराज करते हैं परन्तु जनता की आवाज नहीं आती । मणि जी ने कहा कि थोड़ा खर्च कम करने से क्या घट बढ़ जायगा, सजावट न करेंगे तो क्या घट जायगा । जनता की आवाज क्या है, यह सुनिये । जनता की आवाज यह है कि पहले के जमाने में जब कि अंग्रेजों का राज्य था बजट १४ करोड़ का था और आज हमारा राज्य है तो बजट १ अरब १९ करोड़ का हो गया है । आठ गुना हो गया है । इतने खर्च बढ़ा रक्खे हैं जिसकी वजह से आठ गुना हो गया । खर्च क्या है ? आपका है । सोशलिस्ट समाज बनायेंगे । ११ मंत्रियों पर दोनों तरह का खर्च ११ लाख ७८ हजार ४१४ रुपया ५७-५८ में, ५८-५९ में ११ लाख ९१ हजार, ५९-६० में १० लाख ४ हजार ९०० । विधान सभा में ४३० मेम्बर हैं । इनका खर्च १७ लाख ९२ हजार ५४६ सन् ५७-५८ में और अब १८ लाख का है । एक तुर्रा और लग गया । अब तक एक-एक कमरे में दो-दो सदस्य रहते थे । अब कह दिया कि नहीं रहेंगे तो ७५ रुपया और देंगे । अब एक-एक करके निकल रहे हैं । अब ७५ रुपया के लालच में सैकड़ों साथी मकान छोड़ कर जा रहे हैं । विधान परिषद् का इसी हिसाब से ३ लाख ४५ हजार ६०८ रुपया खर्च है । सचिवालय पर ५ लाख ९१ हजार ५३० रुपया खर्च है । ८ लाख का आप रंग चाहते हैं, उसके अलावा परदे २२ हजार के । एक कंक्रीट की सड़क बनी है हमारे दारुलशफा के सामने, १६ हजार उसमें लगे गये । ८ हजार लगेंगे खिड़कियों में जाली लगाने में । कहते हैं कि बन्दर घुस जायेंगे । खिड़की बन्द कर लो तो कैसे घुस जायेंगे ? पंखा खोल कर चल दिये, दिन भर चलता रहा । पानी खोल कर चल दिये । रोशनी खोल कर चल दिये । इस तरह से फिजूलखर्ची कर रहे हैं । जनता की हालत क्या है ? उन्हें रोटी नहीं मिल रही है । कहते हैं कि जनता के प्रतिनिधि हैं । गांव वाले कहते हैं कि अब तो एम० एल० ए० बन गये हो, अब तो मोटे पड़ जाओगे, एम० एल० ए० बड़े मोटे पड़ जाते हैं । यह जनता की भावनाएं हैं । अब इस जनता की भावनाओं को कहां तक छिपाएं ?

(इस समय ४ बजकर ४४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

उन्होंने कहा कि सुझाव दो । सुझाव तो हम पहले भी देते आये हैं और अब भी देते हैं, मानें तो । नौशेरवां आदिल जब लश्कर में गया तो नमक की कंकड़ी भी बिना कीमत के नहीं ली । अगर आप चाहते है कि जनता विश्वास करे तो नौशेरवां आदिल की तरह किसी की चाय न पिओ, किसी सरकारी आफिसर से बात न करो, देहात वालों से बात करो जिन्होंने भेजा है । उनसे बात नहीं करते । तमाम सुपरिन्टेन्डेन्ट, कलेक्टर, ए० डी० ओ०, सी० डी० ओ०, पी० डी० ओ० इकट्ठे हो जाते हैं । आप कहते हैं कि हम जनता के प्रतिनिधि है लेकिन आप तो सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि हो गये है । आप कहते है कि हम जनता के सहायक हैं आपकी पदयात्रा आरम्भ हुई, जगह-जगह गये बड़ा आदर सत्कार हुआ . . . .

श्री अध्यक्ष---यह आप किसके लिए कह रहे हैं ? सरकार तो पदयात्रा करती नहीं, वह तो कांग्रेस कमेटी करती है ।

श्री टीकाराम---मैं आपके द्वारा कहता हूं कि सबसे पहले हमारे मंत्रिगण और हम लोग पार्टियां खाना और उद्घाटन करना छोड़ दें, जहां जायं वहां जनता की हैसियत से जायं, हम हाकिम की हैसियत से जाते हैं । जब वोट मांगने जाते हैं तो पब्लिक की हैसियत

[श्री टीकाराम]

से जाते हैं और जब दौरे पर जाते हैं तो हाकिम की हैसियत से जाते हैं। इसलिये हम जब भी जनता में जायं या हमारे कर्मचारी जायं तो वह जनता के सेवक की हैसियत से जायं।

कितने अफसर बढ़ गये, कितने विभाग बढ़ गये, इसका हिसाब मैंने निकाला है। नम्बर १४ के अनुदान में है कि डिप्टियों की, कमिश्नरों की और कलेक्टरों की कितनी तादाद हो गई है। कलेक्टरों को तो परदे की रानी बना रखा है, जो ए० डी० एम० हैं वही सब काम करते हैं, सब कमेटियों का ठेकेदार कलेक्टर को ही बना रखा है, जहां देखो ए० डी० एम्स० जाते हैं और कोई सच्ची बात कह दे तो निकाल दिया जाता है। बदायूं में हम लोगों को सजायें नहीं कीं तो जुडीशियल अफसर को निकाल दिया गया, तबादला कर दिया गया। तीसरे माह ही बदायूं के ए० डी० एम० और जुडीलियल आफिसर को बदल दिया गया। जरा मर्जी के खिलाफ काम किया और तबादला हुआ, यह हालत है। कसूर यही था कि उसने सत्याग्रहियों के मामले को ठीक फैसल कर दिया था और उनको छोड़ दिया था, एक एक जगह ४-४ आदमी हैं इसकी फेहरिस्त मेरे पास है।

एक कार्यस्थगन प्रस्ताव श्री उग्रसेन जी का था, उस वक्त वह उस पर कह न सके। श्री मदन पांडेय भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनका वजन १४ पौंड घट गया है और श्री मुकुन्द-बिहारी का भी १९ पौंड घट गया, सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये। हमें दुख है कि हमारे साथी मजदूरों के लिये मर रहे हैं। सरकार की नीयत यह है कि गन्ने की बुआई कम हो, इस वक्त गन्ने के बोने का समय है और किसानों को कुओं से पानी नहीं मिल रहा है, कहा जाता है कि कुंओं की सफाई हो रही है। अगर सरकार की तरफ से पहले से १५ दिन का नोटिस दे दिया जाता कि १५ दिन तक कुओं की सफाई की वजह से पानी नहीं मिलेगा, तो हम गन्ना ठहर कर बोते। वह चाहते हैं कि गन्ना कम बोयें, कैसे कम बोयें। हमें दाम उसके अच्छे मिलते हैं, हम तो उसे बोवेंगे ही क्योंकि उसमें हमारा फायदा है। तो भाई यह सब सम्हालो, कहने से ही काम नहीं चलेगा।

*श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--अध्यक्ष महोदय, आज सामान्य प्रशासन का जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत हैं और जिस पर माननीय नारायणदत्त जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है, इस समय हमारे प्रदेश में हालत बहुत खराब है। किस तरह से कहा जाय, जिस प्रकार विरोधी दलों के विरुद्ध यह सरकार प्रचार कर रही है और उस भ्रष्टाचार का नतीजा आज यह हो रहा है कि शासन में काफी ढिलाई आ गई है और जो शासक हैं, जो जिलाधीश हैं और जो नगर का प्रबन्ध करने वाले सरकारी शासक हैं वह पूरे तरीके पर विरोधी दलों को कुचल रहे हैं। जब से प्रजातंत्र कायम हुआ, देश में स्वराज्य हुआ उस समय सबसे पहले हमारी सरकार ने नगरपालिका को अपने हाथों में लिया--५ नगरपालिकाओं का शासन अपने हाथ में लिया और वहां पर प्रशासक की नियुक्ति की। दूसरा प्रजातंत्र का स्वरूप जिला परिषद् है जिसका प्रत्यक्ष रूप यह है कि जिला परिषद् में जो चुनाव होते हैं उनके लिए अगर विरोधी पार्टी के लोग खड़े होते हैं तो उनको सरकारी अधिकारियों द्वारा दबाकर अपने पार्टी के आदमियों को चुनने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसी प्रकार से १४ वर्ष हुए, हमारी नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हुए। बार-बार इस सदन में कहा गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सुनते हैं कि चुनाव होने वाले हैं।

मैं एक बात अपने नगर की बतलाना चाहता हूं। जब कुम्भ हुआ तो उस जमाने में जांच बैठाई गयी सरकार की ओर से, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी ४ दिन हुए, बसन्त पंचमी के दिन आप जानते हैं कि एक जबर-दस्त कांड पुल का हुआ और पुल टूट गया, यह वहां के प्रशासक के प्रबन्ध की खूबी थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, हमने सदन में अपना काम-रोको प्रस्ताव रखा, उस पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वहां पर इंक्वायरी बैठाई, लेकिन जिस प्रकार से वह बैठायी गयी कि सारा काम करने वाले वही जिलाधीश और वहां के अधिकारियों ने जानते हुए भी कि पुल खराब है उस स्थान का निरीक्षण और प्रबन्ध ठीक से नहीं किया, उसका नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों आदमी मरे। उसके लिए कमिश्नर की इंक्वायरी बैठायी थी। सरकार समझती है कि अगर किसी कलेक्टर की इंक्वायरी कमिश्नर करेगा तो किस प्रकार उसको देखेगा, तो मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि कमिश्नर की इंक्वायरी हटा कर किसी रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज द्वारा इंक्वायरी बैठायी जाय।

मैं थोड़ी सी बात सूचना विभाग की कह देना चाहता हूं। वहां से जिस प्रकार की पत्रिकाए निकलती हैं और जिस प्रकार से उनका दुरुपयोग होता है उसके सम्बन्ध में श्रीमन्, आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि उसको रोकने का प्रबन्ध करें। क्योंकि वहां पर फिजूल बहुत सी बातें निकाली जाती हैं जिनका जनता में कोई भी पढ़ने वाला नहीं होता और वह रद्दी की टोकरियों और बनियों की दूकानों पर बेची जाती हैं।

श्रीमन्, आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि आमतौर पर लोग यही कहते हैं कि सरकार की ओर से पक्षपात किया जाता है। उसका कारण यह है कि जो राजनीतिक पेंशनें दी जाती हैं वह बिलकुल पक्षपातपूर्ण ढंग से दी जाती हैं। जो विरोधी दल के हैं उनके कहने से किसी को नहीं दी जातीं, बल्कि सरकारी दल के लोगों के कहने से दी जाती हैं।

मैं आपके द्वारा कहूंगा कि आज प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि खुले तरीके पर आज लोहे का कोटा और गल्ले की दूकानें सरकारी आदमियों को दी जाती हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार उनकी जांच करे, क्योंकि लोग सीधे तरीके पर यह कहते हैं कि हम पोलिटिकल सफ़रर हैं। उस राजनीतिक सहायता के नाम पर ११-११ वर्ष से लोहे के परमिट लेकर वे लोग हमारे नगर में खुले तरीके से ब्लैक-मार्केटिंग कर रहे हैं।

उनका कहना है कि हम क्या करें, हम सरकारी आदेशानुसार ऐसा करने के लिये विवश हैं। जब हम विरोधी दल वाले उनसे कुछ कहते हैं तो वे यही जवाब देते हैं कि जो ऊपर का आदेश है उनका पालन करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जितनी जल्द हो सके यह पक्षपात का दरबार समाप्त किया जाय।

श्रीमन्, भ्रष्टाचार की बात है। जितने कर्मचारी हैं वे सोचते हैं कि हम सरकार के पक्ष में काम करें नहीं तो ऐसा न हो जिससे हमारी रोजी ही खत्म हो जाय। तो मैं चाहूंगा कि जो टेम्पोरेरी कर्मचारी इस सरकार के हैं उनको स्थायी करें, ताकि उनके दिल से यह भय निकल जाय।

इसके साथ ही साथ प्रदेश के कर्मचारियों और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के वेतन और महंगाई में भिन्नता है। मैं चाहूंगा कि प्रदेश के अपने कर्मचारियों को भी वही वेतन दिया जाय जो केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को देती है।

अन्त में, मैं आशा करूंगा कि दुर्घटना के सम्बन्ध में जो इन्क्वायरी माननीय मुख्य मन्त्री जी करा रहे हैं वह किसी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करायें। आने वाली अर्द्धकुम्भी के लिये बहुत उचित प्रबन्ध होना चाहिये। अगर वह नहीं किया गया तो मैं कहता हूं कि प्रयाग की बहुत बुरी दशा होगी।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह सभी जानते हैं कि सामान्य प्रशासन का विभाग सभी विभागों के लिये समन्वय करने वाला विभाग है और इस योजना काल में जो इस प्रदेश में चल रहा है उसमें हर विभागों का समन्वय सामान्य प्रशासन से जितना ही सुन्दर और सुदृढ़ होगा उतना ही सफलतापूर्वक इस प्रदेश का प्रशासन चल सकेगा।

अभी इस विवाद में हिस्सा लेते हुये कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो हमारी समझ में कतई नहीं आयीं। सामान्य प्रशासन की निन्दा करते हुये माननीय टीकाराम जी ने कहा कि एम० एल० एज़० को ७५ रुपये कमरों का मिलता है। उनके ख्याल में एम० एल० ए० और मिनिस्टरों को न तो कमरा मिलना चाहिय और न कोई सुविधा [***]। उपदेश देना और सिद्धान्तों की दुहाई देना तो बहुत सरल है, लेकिन उसके अनुसार काम करना बहुत जटिल और कठिन है।

श्री अध्यक्ष--अब पांच बज चुके हैं और आप अपना भाषण कल जारी रखें। अब बिक्री कर विधेयक पर जैसा वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ विचार होगा।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५९†

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने प्रवर समिति के प्रतिवेदन में एक विमति की टिप्पणी दी थी। उसके बहुत मुख्य अंश को काट दिया गया है। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियमावली के पृष्ठ ७१ पर नियम २५९ की ओर ले जाना चाहता हूं जो कि विमति टिप्पणियों के सम्बन्ध में है।

उसमें लिखा है कि विमति टिप्पणी संयत और शिष्ट भाषा में लिखी जायगी ...

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठिये। मैं समझा कोई और बात है। मैंने उसको काट दिया है क्योंकि मैंने उस भाग को अनुचित समझा। इसमें है--"विमति टिप्पणी संयत और शिष्ट भाषा में लिखी जायगी और न उसमें प्रवर समिति में की गई चर्चा का निदेश किया जायगा और न समिति पर आक्षेप किया जायगा।"

यदि कोई मुझे यह दिखा दे कि किसी सदस्य ने नियम के विपरीत कोई बात विमति टिप्पणी में लिखी है तो मैं उसे काट सकता हूं। वह विमति टिप्पणी मेरे सामने प्रस्तुत की गयी और मैंने आक्षेपार्ह भाग को काट दिया। तो जो चीज जांच करके मैंने काटी हो उसमें कोई वैधानिक प्रश्न न उठ सकता है और न यहां उठाया जा सकता है और जब मैंने जिस भाग को काट दिया है उसको यहां आप पढ़ भी नहीं सकते। अगर आपको उस पर पुनर्विचार कराने के लिये कुछ कहना हो तो आप मेरे कमरे में मुझे यह बता दें कि अमुक वाक्य अनुचित नहीं है। एक बात और है कि कई रोज हो गये, तो ऐसा तो नहीं माना जा सकता कि अबतक आप ने प्रतिवेदन को पढ़ा न हो। आप मुझे पहले बता सकते थे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। फिर भी जब तक मैं इस मत का न हो जाऊं कि आपका कहना सही है तब तक मैं इस सदन में विमति टिप्पणी के उस हिस्से को प्रस्तुत किये जाने की आज्ञा देने के लिये तैयार नहीं हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[***]श्री अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

† प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २ मार्च, १९५९ की कार्यवाही में छपा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, इसकी इंग्लिश कापी निकाली जाय । सम्भवतः हमारे पास है नहीं, उसमें "चेयरमैन" शब्द है । तो क्या वह चेयरमैन स्पीकर का पर्यायवाची माना जायगा या चेयरमैन आफ दि कमेटी से मतलब है ?

श्री अध्यक्ष--इसमें यह है कि श्री रामस्वरूप वर्मा ने समिति के समक्ष अपनी विमति टिप्पणी पढ़ कर सुनायी जिस पर समिति ने यह निश्चय किया कि विमति टिप्पणी को माननीय अध्यक्ष के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय और वे इसके सम्बन्ध में यह निर्णय करें कि आया वह विमति टिप्पणी ठीक है अथवा नहीं और उसे छापने के विषय में, चाहे उसी रूप में अथवा किसी संशोधित रूप में, उनका निर्णय ले लिया जाय । तो यह समिति ने ही निश्चय किया और जो नियम है उसके नम्बर (३) में दिया हुआ है :--

"यदि अध्यक्ष की राय में किसी विमति टिप्पणी में ऐसे शब्द, वाक्यांश या पदावलियां हों जो असंसदीय या अन्यथा अनुपयुक्त हों तो वे ऐसे शब्दों, वाक्यांशों या पदावलियों को विमति टिप्पणियों में से निकाल दिये जाने का आदेश दे सकेंगे ।"

श्री राजनारायण--जैसा कि आपने अभी कहा कि अगर उसमें कोई ऐसी बात हो तो आप से कहें । तो क्या आगे के लिये ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती कि जिस अंश को आप काटें छपने से पूर्व वह संबंधित व्यक्ति से पूछ भी लिया जाय, क्योंकि हम लोग भी इसको अच्छी तरह से देखे हैं और अगर आप हमको अवसर दें तो हम आपको कनविन्स कर सकते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो असंगत हो ।

श्री अध्यक्ष--तो आप हमें बता दीजियेगा ।

श्री राजनारायण--तो क्या आप फिर छपवा देंगे ?

श्री अध्यक्ष--यदि मुझे आपकी बात सही प्रतीत होगी तो कम से कम सदन में पढ़ने की इजाजत तो दे ही दूंगा ।

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, इसकी नकल पहले से ही तकसीम कर दी गयी है और ओरिजिनल ऐक्ट भी माननीय सदस्यों के पास है । कमेटी में जैसा कि आपका आदेश था, ५ दिन तक इसके ऊपर गौर हुआ और एक-एक क्लाज के ऊपर अच्छी तरह से खयाल किया गया और उसमें कुछ ऐसी तरमीमें, जो जरूरी समझी गईं, कमेटी ने कीं । ज्यादातर जो तरमीमें हुई हैं वह ऐसी हुई हैं जिनके ऊपर, हर माननीय सदस्य जो मुख्तलिफ पार्टी के मेम्बर्स थे, वह मुत्तफिक थे । और इसके बाद कोई ऐसी बात नहीं रह गई है जिसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा एतराज किया जा सके । मैं अलग-अलग नहीं कहना चाहता हूं उनको इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि माननीय सदस्य इसको देख चुके हैं और यह समझ सकते हैं कि किस गरज से कौन सी तरमीम की गई है । अगर किसी बात के ऊपर कोई खास ऐतराज होगा और जरूरत होगी कि उसके ऊपर और रोशनी डाली जाय तो मैं हर स्टेज के ऊपर उसकी सफाई पेश करने के लिये यहां हाजिर रहूंगा ।

जैसा कि आप देखेंगे कि दफा ३ में, ३ (सी) में, दफा ७ में और ७ (अ) में तरमीम की गई है और उसके बाद दफा ११ (बी) काट दी गई है । दफा १३ में कुछ क्लाजेज की भाषा बदल दी गई है । वैसे कोई खास अहम तरमीम नहीं है । इसी तरह से दफा १४ में तरमीम की गई है, जिससे मालूम हो कि बाज-बाज चीजें रखी गई थीं, जिसमें जुर्माने होने का हक था । उसके लिये कह दिया गया है कि बगैर किसी मुनासिब वजह के वह कुछ बातें ऐसी करे तब जुर्माना होगा और इन सब बातों की इसमें तरमीम की गई है

[श्री सैयद अली जहीर]
और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इसमें कोई फंडामेंटल डिफ्रेन्स नहीं किया गया है। सिर्फ दो, तीन कमियां महसूस की गई थीं उनको पूरा करने के लिये यह बिल लाया गया है। वही उसूल इस वक्त पेशे नजर है। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य इससे इत्तिफाक करेंगे।

*श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ को जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया है इस सदन की एक प्रवर समिति को पुर्नानदिष्ट किया जाय।

श्रीमन, मैंने पहले भी इसी विषय में इसी किस्म का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि मंत्री जी ने इसे स्वीकार किया और इनको प्रवर समिति में ले गये और जैसी कि भावना व्यक्त की गई थी उससे ऐसा खयाल था कि जिन बातों के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है या नुक्स बताये गये हैं उनके ऊपर गौर होगा। गौर तो उन्होंने किया होगा, मैं किसी की नीयत में शक नहीं करता हूं, लेकिन मैं सोचता था अपनी नातजुर्बेकारी की वजह से कि शायद वह संशोधन जो हमारी तरफ से पेश नहीं हुये थे बल्कि वह हमसे ज्यादा जोर से मीठी जुबान में, उसूल में ज्यादा फीके जो कांग्रेसी सदस्यों की तरफ से पेश हुये थे उन पर गौर किया जायगा। श्रीमन्, मैं देखता हूं कि उन पर गौर नहीं किया जा सका। यह टैक्सेशन का बिल है और इससे बहुत ज्यादा आमदनी होती है जिसके खिलाफ सारे यू० पी० में बड़ा रोष है और कई हड़तालें जो किसी पोलिटिकल पार्टी में नहीं कराई बल्कि जनता ने, व्यापारियों ने या जिनके ऊपर असर हुआ उन्होंने की, लेकिन इस पर कोई ख्याल नहीं हुआ और हेस्टी लेजिस्लेशन से दुख यह होता है कि बहुत सी बातें छूट जाती हैं।

अभी उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि कई दफायें रफा हो गई हैं, जैसे दफा ६ उड़ गई, लेकिन उसका फार्म अभी तक मौजूद है। श्रीमन्, फार्म ८ और ९ देखें, उनमें दफा ६ का हवाला दिया गया है और दफा ६ डिलीट कर दी गई है, लेकिन उसका फार्म अभी मौजूद है, यानी जल्दी-जल्दी में ऐक्सीडेंट जैसे गाड़ी में हो जाता है तो यह ऐक्सीडेन्ट हो जाता है यहां रींशग करने से और पांच और छः के बीच में तो वह फैटल ही होगा। कमेटी में इसको भेजा गया था ताकि वहां पर मिठाई और चाय भी मिलती है जिससे दिमाग तेज होता है तो वहां पर प्रेम से इसके ऊपर गौर करेंगे, क्योंकि वहां न तो पालिटिक्स रहती है न पार्टीबाजी रहती है। माननीय मंत्री जी मिठाई खिलाते हैं, लेकिन इसमें मिठाई भर खिलाई गई, इसको मीठा नहीं बना सके। इसमें वह दिक्कतें ज्यों की त्यों रह गईं। कई चीजें ऐसी हैं जिन पर सिंगल प्वाइंट टैक्स लगता है, लेकिन बदकिस्मती से फूड ग्रेन्स जिसके बारे में पहले भी कहा गया है, ६ करोड़ जनता जिसके कारण तबाह है उसके ऊपर से अब भी टैक्स नहीं उठ सका और यहां तक इशारा किया गया था कि उसको मल्टीपुल प्वाइंट से सिंगिल प्वाइंट कर दिया जायगा लेकिन २५, २६ लाख के लिये श्रीमन्, यह टैक्स लगा हुआ है ज्यों का त्यों और दूसरी तरफ यहां हाल में म्यूरल पेंटिंग की जायगी ८ लाख रुपया खर्च करके। तो क्यों न उस खर्चे को रोककर के इस टैक्स को हटा दीजिये? ७५ हजार रुपया लिफ्ट में खर्च करेंगे, इसी तरीके के और बहुत से खर्चे हैं। इनको रोककर के उस टैक्स को घटा दीजिए। सामान्य प्रशासन के अनुदान पर बोलते हुए मैंने अभी बताया था कि जीपों में ५० लाख की बचत हो सकती थी। तो उतनी बचत तो नहीं करेंगे, लेकिन कोयले पर मोहर जरूर लगायेंगे और वह चार जगह मल्टीपुल प्वाइंट होता है। तो इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि कम से कम भगवान् के लिये रोटी पर से टैक्स हटा दीजिए क्योंकि मजदूर मेहनतकश होता है....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---आपका प्रस्ताव है कि प्रवर समिति के पास भेजा जाय। तो मंत्री जी से आप यह बात पहले ही कराना चाहते हैं, यह कैसे हो सकता है ?

श्री गोबिन्द सिंह बिष्ट---श्रीमन्, मंत्री जी से अर्ज इसलिये कर रहा हूं कि उनके पास बहुमत है और उस बहुमत का मुझे डर है। मन्त्री जी चाहें तो अभी हो जायगा। वह हां कर दें तो उनके पीछे बैठने वाले .....

श्री अध्यक्ष---यह बात तो जब खंडों पर विचार किया जाय तब आप कहें।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---श्रीमन्, खंड ३ में यह है .....

श्री अध्यक्ष---आपका तो 'स्किमिटल' का प्रस्ताव है। तो आप उसके कारण बताइए।

श्री गोबिन्द सिंह बिष्ट---यह क्रिटिसिज्म हुआ था यहां। मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस दफा यह हो जाना चाहिये। यह अमेंडमेंट सेलेक्ट कमेटी ने नहीं किया, यह मेरा कहना है। तो अब फिर उसको कर दें। पुनर्निर्दिष्ट करने का मतलब इतना ही है कि इसको मल्टीपुल प्वाइंट से सिंगिल प्वाइंट अब की बार कर दिया जाय। माननीय मन्त्री जी ने इसमें कमिश्नर की परिभाषा भी बदली है जिससे उसमें असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमश्निर भी आ जायेगा। तो इसमें खतरा आता है खासकर जिन दफाओं में कोई जुर्म होता है जैसे दफा १३ और १४ हैं इनमें सैंक्शन लेना जरूरी होता है कमिश्नर की। यह बात बहुत अच्छी की कि माननीय मन्त्री जी ने, लेकिन अब असिस्टेन्ट या डिप्टी कमिश्नर को भी सैंक्शन देने का अधिकार हो गया। इससे दिक्कत यह होगी कि सेल्स टैक्स कमिश्नर तो जरूर तजुर्बेकार होंगे, लेकिन उनके डिप्टी और असिस्टेंट ताव में आकर कुछ का कुछ कर सकते हैं। उन लड़कों की थोड़े वर्ष की स्टैंडिंग है, तो वह ऐसे ही सैंक्शन दे देंगे प्राजीक्यूट करने का। तो यह एक हाथ से ताकत देकर दूसरे हाथ से छीन लेना कोई मानी नहीं रखता। इसलिये इसको पुनर्निदिष्ट करने की जरूरत है।

तीसरी बात श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने यह अच्छा किया, शायद हाईकोर्ट के डेसीजन की वजह से ऐसा करना पड़ा। इमारत कोई बनती है, ईंट आई या पत्थर निकले पहाड़ों में तो उस ठेकेदार पर भी सेल्स टैक्स ? हाई कोर्ट ने यह कहा कि यह सेल्स टैक्स नहीं रहना चाहिये। हाई कोर्ट ने रूलिंग दी तो उसकी परिभाषा बदल दी। मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री अध्यक्ष---ज्यादातर आप रिपोर्ट के ऊपर बहस करें। आपके सामने मंत्री जी की सभी कार्यवाहियां विचारार्थ नहीं हैं, रिपोर्ट आपके सामने है उस पर चर्चा कीजिये।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---मैं जानदार बनाना चाहता था जानदार आदमी को लेकर।

श्री अध्यक्ष---जो पार्लियामेन्ट्री पद्धति है उसका अनुसरण करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---रिपोर्ट में जो यह शब्द डीलर रखा गया है यह बड़ा व्याप्त हो गया। इससे यह तो ठीक हुआ कि जो लोग बच निकलते थे वह अब नहीं निकल पायेंगे, लेकिन श्रीमन्, उससे ज्यादा बेगुनाह फंस जायेंगे।

जहां तक सेक्शन ३ का सवाल है। यह मल्टीपुल प्वाइंट जहां कहीं भी है एक परसेंट से ज्यादा कहीं नहीं है। सेल्स टैक्स कमिश्नर ने कहा था कि आधा परसेन्ट होना चाहिये, लेकिन जो एतराज हमारा था वह तीन पाई का दो पैसा अपनी जगह बना है। यानी २८ परसेन्ट वृद्धि हो गई। पहले से गल्ला और महंगा हो गया इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसमें

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

चार जगह पर चार प्वाइंट्स पर टैक्स लगता है। तो दूकानदार तो कोई दान खाता खोले है नहीं। तो गल्ला महंगा होने का यह कारण है। मुझे आशा थी कि जब रिपोर्ट आयेगी तो उसमें गल्ले पर से टैक्स छूट जायगा और सिंगिल प्वाइंट होगा। लग्जरी गुड्स पर आप चाहे जितने परसेन्ट बढ़ा दें, लेकिन गल्ले को छोड़ दें। लिपिस्टिक पर सौ परसेन्ट, दो सौ परसेन्ट लगायें। सिगरेट पर, चाय पर, आप लगा दें, लेकिन खाने पर जिसके बगैर इंसान जिन्दा नहीं रह सकता है उस पर भी फिर पुराने पैसे से नये पैसे के बदलने का जो रुख अख्तियार कर लिया है यह नहीं होना चाहिये।

श्रीमन्, एक बात यह फार्म को है यह भी साफ नहीं है। प्रिंसिपल ने कितना टैक्स दिया अगर एजेन्ट यह दिखा सके तो वह टैक्स मिनहा हो जायगा। इस फार्म में कोई ऐसा कालम नहीं है कि किस मद में कितना टैक्स दिया, यह दिखाया जा सके। तो यह डिफेक्ट दूर हो जाना चाहिये।

रिबेट के सिलसिले में, जिनके बारे में नोटीफिकेशन हो जाता था, आधे तक उसको रिबेट दे सकते थे। इसके लिये कमेटी की भी सिफारिश थी और यह जो किया गया इससे उद्योगों को फायदा होगा। जैसे बिजली की इंडस्ट्री है इसमें अगर एक आदमी सिर्फ बल्ब के कांच का एक टुकड़ा बनाता है और दूसरा आदमी उसको लाकर के फिट कर देता है तो सवा छः परसेन्ट पहले को और सवा छः परसेन्ट दूसरे को पड़ता है। इस तरह से साढ़े १२ परसेन्ट दोनों को पड़ता है। अब यह है कि पूरी छूट दी जा सकती है। इससे इंडस्ट्री को जरूर फायदा होगा और इसके लिये विभाग के कर्मचारियों, मंत्री जी को और विभाग को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि आजकल जहां डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नमेंट के पास रहती है तो उनसे तो वही आदमी फायदा उठा पाता है जिसकी पहुंच हो। श्रीमन्, अंग्रेजों के जमाने में इतनी बात जरूर थी चाहे जितनी भी खराबियां रही हों कि अगर एक बार कागज चला तो नार्मल कोर्स में आर्डर हो जाते थे, लेकिन आजकल यह चल पड़ा है कि अगर उस आफिस में आपका कोई है तो काम हो जायगा। जिसके पास आदमी होंगे, जिसकी सिफारिश होगी और जिसके पीछे एम० एल० ए० दौड़ते होंगे, उसका काम हो जायगा और किसी का केस चाहे कितना भी अच्छा हो अगर उसके पास कोई दौड़ने वाला नहीं होगा, उसका काम नहीं हो सकेगा। जो आदमी पुशिंग नेचर का होगा वह अपनी इंडस्ट्री को छुड़ा ले जायगा, लेकिन जिसका असर नहीं होगा वह कुछ नहीं कर पायेगा। अभी मैं एक उदाहरण पेश कर दूं कि कत्था एक अच्छा गृह-उद्योग है जिसमें काफी फायदा होता है। २० हजार के लगभग फायदा लोगों को हो जाता है .....

श्री अध्यक्ष--आप फिर विषयान्तर कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसे आदमियों को इसका फायदा पहुंचेगा जिनका यहां पर असर है। मैं यह चाहता हूं कि एक लिस्ट समानरूप से डिक्लेयर कर दी जाय कि इस तरह के उद्योगों को छूट दी जायगी। उसको फिर रोज न बदला जाय।

श्री सैयद अली जहीर--मैं अर्ज कर दूं जिससे माननीय सदस्य को वक्त ज्यादा नहीं लगेगा। यह चीज इसमें नहीं है कि फलां चीज पर होना चाहिये और न इस वक्त इसके मुताल्लिक कोई तरमीम हाउस के सामने पेश है। वह तो अलग दफा है, जिसमें सरकार को अधिकार है कि १२ हजार से ज्यादा आमदनी जिसकी होगी उस पर टैक्स लिया जाय। उसके बाद यह अधिकार सरकार के पास रहता है कि वह उसको बाई नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट कर सकती है। यह चीज अलग है। यह चीज इस वक्त कहां है कि किस पर टैक्स लिया जाय और किस पर न लिया जाय ? इस बिल में चन्द उसूल हैं जिनकी बिना पर कुछ चीजों पर टैक्स होगा। जो आप फरमा रहे हैं इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री गोबिन्द सिंह बिष्ट---मैं बाअदब यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं इसको अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर सका। मैं अपने केस को मजबूत होते हुए भी अच्छी तरह से नहीं रख सका। बड़े-बड़े बैरिस्टर कमजोर केस को अच्छी तरह से रख देते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान ज्यादा होता है। मेरा मतलब यह है कि इसमें यह डिस्क्रिशनरी है। दफा ५ में है कि "ऐसे माल की बिक्रियों के क्रम में किसी निर्दिष्ट स्थल पर लगाये गये कर की पूरी धनराशि तक छूट दे सकती है" यानी कहीं पर भी या सभी जगह सिम्पुल का सिम्पुल प्वाइंट और मल्टीपुल का मल्टीपुल प्वाइंट पर जहां चाहे सरकार छूट दे सकती है। उसका नोटिफिकेशन हो जायगा। मान लीजिये कि आपका एक साथी मेम्बर बन कर आ गया। उसका असर है तो उसको तो इसमें छूट मिल जायगी, चाहे लाखों रुपया उसने उससे कमाया हो। एक आदमी का असर नहीं है वह किसी को जानता नहीं है चाहे उसको लाभ कम ही होता हो, लेकिन उसको यहां से छूट मिलेगी। यह उसूलन गलत है। इसलिये मैं इसका जिक्र कर रहा हूं कि उसका एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ऐसे उदाहरण आते रहते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी चीजें हों उनको यहां पर लिस्ट में आना चाहिये। उसके लिये कुल अख्तियार सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिये। इतनी जल्दी से सेलेक्ट कमेटी में सुझाव कैसे आ सकते थे जब कि एक तरह से यहां पर एक तूफान चल रहा था। ऐसे वक्त में वहां पर गौर कम जरूर हुआ होगा। इसी वजह से मेरा यह निवेदन है कि सेलेक्ट कमेटी में इसके ऊपर जस्टिफिकेशन कम हुआ।

अब एक धारा इसमें अलग है जिसमें सिक्योरिटी का सवाल है। इसमें प्रस्काइब्ड अथारिटी को या जो असेसिंग अथारिटी होगी उसको व्यापारी से सिक्योरिटी मांगने की डिस्क्रिशनरी पावर दी गयी है। उससे कुछ डिसक्रिमिनेशन हो जाता है। पुराने व्यापारियों, जिनका जमा हुआ व्यापार है, उनको कुछ सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, लेकिन नयों को देनी होगी और वह भी ५ हजार से १० हजार तक जो उनका मन हुआ। विधेयक में ऐसा प्राविजन किया जाय कि उनके व्यापार को देखकर सिक्योरिटी का प्राविजन किया जाय। कैश डिपाजिट कर देने में व्यापारी को बड़ी दिक्कत होती है, उसके रिफण्ड का भी कोई तरीका नहीं है और यह भी नहीं है कि इतने दिनों में सिक्योरिटी दी जाय। उसका व्यापारियों को ब्याज भी नहीं मिलता। एक सूरत यह बना दी है कि जमानतदार हो जाय, लेकिन उसकी भी तो कुछ मियाद होनी चाहिये।

तीसरी दिक्कत यह है कि अपील के लिये भी यह रखा गया है कि पहले वह जमानत जमा कर दे। जरूरत इस बात की है कि अगर कोई अपील करता है तो उसका डिसीजन जल्द से जल्द किया जाय ताकि जमानत की जरूरत ही न पड़े। अगर उसके पास इतना रुपया नहीं है तो फिर वह व्यापार ही नहीं कर सकता। इसलिये मेरा कहना यह है सिक्योरिटी के मामले में आर्बीट्रेरी पावर्स न होनी चाहिये, इसके लिये आपको ऐसे नियम बना देने चाहिये कि सिक्योरिटी या जमानत के नियम क्या होंगे।

सबसे भयंकर दफा इसकी यह है कि किस प्रकार ग्राहकों से रुपया वसूल किया जायगा। पहले भी यह मैंने प्वाइन्ट आउट किया था।

श्री ब्रजगोपाल सक्सेना (जिला हमीरपुर)---अध्यक्ष महोदय, इसके लिये कितना टाइम है? मेरे ख्याल से बहस को समाप्त कर दिया जाय तो अच्छा है या कोई टाइम मुकर्रर कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---किसी का टाइम मुकर्रर नहीं है। विधेयकों में टाइम मुकर्रर नहीं होता। हां, यह अवश्य है कि वे असंगत न हों।

श्री गोन्बिद सिंह बिष्ट---अध्यक्ष महोदय, मैं धाराओं के अन्दर ही बोल रहा हूं। मैं खंड ८ (८) के सम्बन्ध में बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---लेकिन प्रवर समिति ने खंड ८ में तो कोई परिवर्तन किया नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---इसलिये मैं चाहता हूं कि उसको पुर्नानिर्दिष्ट किया जाय । लोगों ने विरोध वहां किया था, लेकिन वे कुछ ऐसे अल्पमत में थे कि कुछ नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष---तो अब आप प्रवर समिति में अपना बहुमत चाहते हैं ?

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---मैं चाहता हूं कि बेटर सेंस अब प्रिवेल हो जाय ।

श्री अध्यक्ष---जो सिद्धान्त पहली बहस में आ चुके थे । अगर उनमें प्रवर समिति ने कोई परिवर्तन किया है तब तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि उनके अनुसार उनमें कुछ फर्क हो गया, लेकिन जो सिद्धान्त आपने स्वीकार कर के प्रवर समिति को भेजे, अगर उन्हीं सिद्धान्तों को आप काटना शुरू कर देंगे तो एक नयी बहस हो जायगी ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रवर समिति ने जो कुछ किया है उस पर, और बिल की जो भी मंशा है उस सब पर, कहा जा सकता है और बिल में क्या है इस पर भी कहा जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष---विधेयक के सिद्धान्त के ऊपर जो बात होनी चाहिये वह सुसंगत होनी चाहिये लेकिन आप तो हर खंड के ऊपर बहस कर रहे हैं । इस वक्त खंडों पर तो बहस है नहीं ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---मैं इस विधेयक के सिद्धान्त पर ही आ रहा हूं । मान लीजिये कि एक ग्राहक है जिसने व्यापारी से गल्ला लिया और वह रुपया नहीं दे सका, या व्यापारी से उसका करार है कि वह साल भर में उसे रुपया देगा, लेकिन अब इस विधेयक में जो सिद्धान्त रखा गया है उसके अनुसार उस ग्राहक से वह रुपया एरियर्स ऐज लैंड रेवेन्यू वसूल किया जा सकेगा । श्रीमन्, इनकम टैक्स ऐक्ट में भी सिर्फ उसी आदमी की प्रापर्टी अटैच होती है जो आदमी लाएबिल होता है इनकम टैक्स देने का, लेकिन यहां पर तो व्यापारी का रुपया ग्राहक से वसूल किया जायगा और इस तरह से उस ग्राहक की इज्जत मिट्टी में मिल जायगी । श्रीमन्, इसमें परिवर्तन कर के तो घोर अनर्थ किया गया है । अगर इसमें यह बात भी होती कि व्यापारी नहीं रुपया देगा तो उसे नोटिस दिया जायगा और उससे कहा जायगा कि वह इस रुपये को फौरन दे और फिर भी वह रुपया न दे तो उसको मौका मिलता कि वह अदालत में जाय और इस तरह से दो साल तक अदालत में मामला चलता और हो सकता है कि एक्वीजिशन के वक्त तक रुपये की अदायगी हो जाती । लेकिन अब तो यह है कि अगर किसी वजह से, अखराजात बढ़ जाने की वजह से या चीजों की कीमत आदि बढ़ जाने की वजह से, वह अदा नहीं कर सका तो उसकी बचत के लिये कोई रास्ता विधेयक में होना चाहिये था ।

मैं समझता हूं कि इसका असर, करोड़ों की तादाद में जो मिडिल क्लास है, उसके ऊपर पड़ेगा और सब लोग यही कहेंगे कि फलां आदमी ने फलां व्यापारी का उधार खाया है इसलिये उनकी प्रापर्टी अटैच हो गयी है । श्रीमन्, आप देखें कि इस तरह से किसी आदमी की इज्जत किसी दिन मिट्टी में मिल सकती है और उसकी फजीहत हो सकती है । मैं इस बात को नहीं समझ सका कि अगर कोई ग्राहक ५० रुपये की कोई चीज किसी से लेगा तो उससे सेल्स टैक्स ५० पैसे ही हुए या उसका मल्टीपुल २०० पैसे भी मान लें तो इतना ही वसूल होना चाहिये था । लेकिन अब होगा यह कि ५० के ५० रुपये उसी से वसूल किये जायेंगे और इस तरह से किसी व्यापारी की इज्जत खाक में मिलानी हो तो वह मिलायी जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष---आप एक ही बात को बार-बार दुहरा रहे हैं, ५० दफा रिपीट करने से कुछ फायदा नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---श्रीमन्, मैं प्रवर समिति में जिन सिद्धांतों का जिक्र किया गया है, उन्हीं पर बोल रहा हूं। इसमें एक दफा ३,४ रखी गयी हैं। व्यापारी भी बड़ा होशियार होता है वह सरकार से कह देगा कि इसके ऊपर हमारा बाकी है। तो नतीजा यह होगा कि सरकार के लिये एक परमानेंट हैडेक हो जायगा।

तीसरी बात यह है कि जिस व्यापारी की मिट्टी में इज्जत मिलानी होगी उसके ग्राहक को वसूल करने के मतलब यह हो जायेंगे कि वह दुनिया भर में उस व्यापार की बदनामी करेगा यह फलां व्यापारी बड़ा बेईमान है जिससे उसका व्यापार खराब होगा। (a) में पैनाल्टीज की परिभाषा की गयी है।

श्री अध्यक्ष---आपका सुझाव क्या है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---मेरा सुझाव यह है कि केंद्रीय बिक्री-कर में भी रजिस्ट्रेशन एक बार पर्याप्त है, लेकिन हमारे यहां हर साल होगा। १० रु० उन्होंने रजिस्ट्रेशन-फी निर्धारित की है, मैं कहता हूं कि कम से कम कमेटी वाले इतना तो कर सकते हैं कि ३,४ साल के इकट्ठा ३०,४० रु० ले लें जिससे हर साल अर्जी लिखाने की झंझट न पड़े। आप जानते हैं कि अर्जी अपने आप नहीं चलती जब तक मक्खन न लगाया जाय। इस परेशानी से बचने के लिये ज्यादा दिनों के लिये रजिस्ट्रेशन कर दीजिये।

सबसे बड़ी खराब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट.....

श्री अध्यक्ष---यह किससे संबंधित है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---यह है Section 11 (*b*) of the Principal Act shall be deleted. श्रीमन्, थोड़ा बहुत मुझ पर भी विश्वास रखें, मैं पढ़ कर आया हूं; मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपील करने की दफा पहले नहीं थी बाद को रखी गयी और जरूर यह कहा गया होगा कि हम बहुत बड़ा अधिकार व्यापारियों को दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो सिद्धांत है उस पर जैसी रूलिंग है, थोड़ा मैं पढ़ दूं। सुप्रीम कोर्ट तब जा सकता है....

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अर्ज कर दूं, हम ले आये थे और तरमीम के जरिये से यह ले आये थे, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह एतराज किया कि प्राविन्शियल लेजिस्लेचर को इसका अधिकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताल्लिक कोई लेजिस्लेशन पास कर सके। इसलिये हम इसको निकाल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---श्रीमन्, मैं कहूंगा कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। जहां तक मुझे याद है शायद यह चीज एम्स ऐंड आब्जक्ट्स में नहीं है।

श्री अध्यक्ष---अब तो आपको मालूम हो गया।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---जब मैंने शुरू किया तब तो उन्होंने बताया अगर कहता ही नहीं तो बताते कैसे। कम से कम इतना बता दिया।

श्री अध्यक्ष---लां बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---ला बताने की बात यह है कि जब हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाय.....

श्री अध्यक्ष---मंत्री जी ने बताया है कि आपको ऐसा लेजिस्लेशन करने का अधिकार ही नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---मैं यह कह रहा हूं कि वह लीगल ओपीनियन कैसी ? मैं रोज कहता हूं कि यहां की लीगल ओपीनियम हमेशा गड़बड़ होती है। यह जो बात हुई....

श्री अध्यक्ष---आप समझते हैं कि अधिकार है ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैं तो कहता हूं कि है। नहीं तो होता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस गया। उसमें नहीं कहा गया। इट वाज नाट डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस सो फार एज आई नो.....

श्री अध्यक्ष---आप हिन्दी में बोलिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा डिसीशन न हो, यह बात ठीक नहीं है कि एक्जीक्यूटिव ने ऐसा कहा कि नहीं हो सकता। इस पर हाईकोर्ट की नजीर है। इसमें लिखा है:---

"The rule is now well established that in order to see whether a case is fit one for appeal is to find whether the questions involved are of great public or private importance or involve points which may result in a precedent for future guidance. The question of public importance will arise in the case if it affects not merely the parties to that litigation but also a large number of persons or communities. A case involving a substantial question of law is not a fit one for appeal if that question is not one of public importance. When a substantial question of law affects only the parties to litigation and does not affect the public it is not a matter of public importance and the certificate of fitness cannot be granted."

इतनी पाबन्दी लगा दी कि जनहित का हो, सारी जनता का फायदा होता हो। सिर्फ अगर ला का प्वाइंट है, लेकिन सारी जनता को अफेक्ट करने वाला नहीं है, जनता पर उसका असर जाने वाला नहीं है तो हाई कोर्ट हरगिज भी ऐसे मामले में इजाजत नहीं देगा कि सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाय। मैं कहता हूं कि आधा परसेंट भी ऐसे केसेज नहीं हैं जिनमें हाई कोर्ट इजाजत देता है कि सुप्रीम कोर्ट में जायं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। मुझे यहां ला कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र करना पड़ता है जिसमें कहा गया कि प्रांत के चीफ मिनिस्टर ने इंटरफीयर किया हाई कोर्ट के जज के एप्वाइंटमेंट में। यह ला कमीशन की रिपोर्ट है। ऐसे आदमी ने कहा है जिनका पालिटिक्स से कोई संबंध नहीं है। कम्युनेलिज्म रैम्पेंट है। आज एक्जीक्यूटिव ऐसी हो गई है कि सारी ताकत अपने हाथ में लेने के लिये ऐसे गलत तरीके से ताकत अपने हाथ में लेती है। इसे प्रजातंत्र का सोशिलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कहूं ? यह जुडिशियरी की बेइज्जती नहीं, तो उनकी शक्ति का अपहरण जरूर है। यह हरगिज प्रजातंत्र नहीं है कोई और तंत्र हो सकता है। इसलिये यह कमेटी के पास फिर भेजा जाय और कमेटी इस पर विचार करे और इसके लीगल आस्पेक्ट पर भी विचार किया जाय कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं।

बिजनेस कम्युनिटी को तो सारे सेल्स टैक्स में ऐसे देखा गया है जैसे वह बेईमान है। मैं उनका हरगिज हिमायती नहीं; गलती करें तो कठोर सजा दी जाय; गल्ले के मामले में गलती करें तो फांसी पर लटका दिया जाय। आज तक यह था कि किसी भी उचित समय पर बहीखाते छापा मार कर देख सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन आज क्या है ? यह हो गया कि "ऐट रीजनेबिल टाइम" उड़ा दिया गया। यानी कोई सो रहा है बच्चों के साथ तो उसके घर पर तलाशी हो सकती है। इन्कम टैक्स में इतनी बड़ी ताकत नहीं ली गई। ऐसा लगता है कि इस सरकार से रीजन दूर हो गया है। जहां-जहां रीजनेबिल बात होती है, रीजन को वहां से खत्म किया जाता है। मैं समझता हूं कि रीजन का शिकार कर दिया गया है। ताजीरात हिंद में भी आफ्टर सनसेट और बिफोर सनसेट कोई आदमी तलाशी नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी ताकत उसको नहीं है। क्या हम ताजीरात हिन्द और भारत सरकार के कानून को भी ओवरराइड कर सकते हैं ? हमारा कोई कानून केंद्रीय कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं कहता हूं कि इन आवर्स में अगर कोई रेजिस्ट करे तो कोई गुनाह न

होगा और अगर कहीं सेंट्रल ऐक्ट के खिलाफ हमारा कानून होगा तो वहां वह अल्ट्रावायरस करार दिया जायगा। अगर इस सरकार को अपने कानून की परवाह है तो वह ऐसी चीज न लाये कि जिस को हाई कोर्ट नल एंड वायड डिक्लेयर कर दे। मैं सेक्शन के और विधेयक के ऊपर समझ कर कह रहा हूं, मैंने सेक्शन्स को देखा है कि क्या असर होता है, मैंने पुस्तकालय से किताबें इस पर लेकर पढ़ी हैं मैंने उपन्यास इशू कभी नहीं कराये हैं। यह रीजनेबिल टाइम की बात न हटाना चाहिये तो ठीक होगा। श्री जगदीश शरण जी अग्रवाल एक प्रमुख कांग्रेस के सदस्य हैं, वह एक काबिल वकील भी हैं और सरकार के पक्ष से अक्सर बात करते हैं, सेक्शन १४ में "विदाउट रीजनेबिल काज" को हटाया गया है पहले शब्द "विलफुली" था, उस में बरडन आफ प्रूफ सरकार पर पड़ता है, किसी ने कागजात छिपाये और टर्नओवर का रिटर्न गलत बना दिया तो कैसे होगा? इसका मतलब यह है कि जो जानकर शरारत करे गलत कागजात बनाये, वह चीज उड़ा दी गई और उसके साथ "रीजन" को उड़ा दिया गया। यह तो यहां का इतिहास बतायेगा कि हम किस तरह का कानून बना रहे हैं, बदमाश को तो सजा देना चाहिये था, लेकिन यहां न मालूम किस तरह से चीजें रखी जा रही हैं! ये चीजें तानाशाह और हिटलर की याद दिलाती हैं।

मैं सेलेक्ट कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसमें कुछ सुधार किया है। इस 'विदाउट रीजनेबिल काज' के बढ़ाने के माने यह होते हैं कि बरडन आफ प्रूफ सरकार पर न होगा, जिस तरह से कि असेसिंग आफिसर नाखुश हो गये या इंस्पेक्टर से झड़प हो गई तो उन्होंने उठाकर रख दिया और गुस्से में असेस कर देते हैं। मेरा ही कहना नहीं है कि जो बड़े बड़े विद्वान हैं वित्त के, जो भारत के वित्त सचिव रह चुके हैं और जो टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन में भी थे, उन्होंने भी कहा है कि असेसिंग अथारिटी अलग हो और इंस्पेक्टिंग अथारिटी अलग हो, जांच करने वाला और टैक्स की इन्कवायरी करने वाले अलग अलग हों, वह अलग नहीं किये गये हैं, बल्कि उन को वह ताकत दी गई है कि वह किसी की भी दूकान पर छापा मार सकते हैं। हमें आड आवर्स पर एतराज है। यह आईन में है कि हर आदमी इन्नोसेंट है जब तक कि वह गिल्टी साबित न हो जाय, वही ताजीरात हिन्द लागू है, वही कानून है तो फिर आप कैसे आड आवर्स में किसी के घर जा सकते हैं? दूसरी तरफ अगर आप एवीडेंस ऐक्ट को भी देखें तो उसमें भी है कि जो आदमी मुकदमा पहले अदालत में चलाता है...

श्री अध्यक्ष---यह तो सब आप पहले कह चुके हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---बात यह है कि एग्रूज्ड को यह साबित करना होगा कि कोई रीजनेबिल काज नहीं था प्रोर बर्डन आफ प्रूफ अब इसके अलावा, श्रीमन्, ई० और डी० में आप देखेंगे कि यहां पर न तो "रीजनेबिल काज" रखा गया है और न "विलफुली" शब्द ही को रखा गया है। इसमें क्या होगा? अगर कोई आफिसर किसी आदमी से नाराज हो जायं तो चूंकि कोई तजुर्बेकार आफिसर तो है नहीं, नये-नये भरती हुये हैं तो वे न सिर्फ टैक्स ही उस पर लगा देंगे, बल्कि उसको जेल में भी डलवा देंगे। क्योंकि "विलफुली" शब्द को जानबूझ कर उड़ा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---क्या यह कमेटी की रिपोर्ट में है?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---रीजनेबिल काज उस दिन बहस में आया था।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। आप प्रतिवेदन से असम्बद्ध बात नहीं कह सकते।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---अच्छा, तो अब मैं आगे चलता हूं। इस विधेयक का जो पहले मंशा था उसमें उस रोज यह था कि किसी आदमी पर एक ही जुर्म के लिये दोबारा मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन आज उस मंशा को इसमें नहीं रखा गया है और नीयत बदल दी गयी है।

श्री अध्यक्ष---यह कमेटी की रिपोर्ट की किस धारा का कौन सा हिस्सा है ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---वह कमेटी की रिपोर्ट का नहीं, बल्कि विधेयक का जो मंशा है .....

श्री अध्यक्ष---उस मंशा से संबंधित अगर कोई चीज रिपोर्ट में हो और उसके एवज में आप कोई दूसरा सुझाव देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---हां, श्रीमन्, जो सुझाव मेरे हैं ....

श्री अध्यक्ष---कमेटी की रिपोर्ट कंसीडरेशन में है, बिल कंसीडरेशन में नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---तो आखिर में श्रीमन्, मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता लेकिन कहना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, आप बहुत असंगत हो चुके हैं, अब मैं आगे असंगत नहीं होने दूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, मैं अब खत्म करता हूं, लेकिन . . .

श्री अध्यक्ष---आप कमेटी की रिपोर्ट के सब हिस्से खत्म कर चुके ?

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---श्रीमन्, दो तीन धारायें रह गयी हैं ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं । आपको कमेटी की रिपोर्ट के अतिरिक्त नहीं कहने दूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैं, श्रीमन्, इस बिल का जो आब्जेक्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---आब्जेक्ट आफ दि बिल प्रतिवेदन से सम्बन्धित होना चाहिये । जो आप कहना चाहते हैं वह कमेटी की रिपोर्ट से संबंधित नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है । अब उन्होंने कहा कि रिफंड कर देंगे उस रुपये को जिस आदमी का टैक्स रिफंड नहीं हो सकता था ।

श्री अध्यक्ष---यह कौन-सी धारा में है ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---२९ और ३० जो नयी धारायें रखी गयी हैं ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, उसके ऊपर बहस नहीं हो सकती । उसके लिये मैं इजाजत नहीं दूंगा । यहां क्लाज १३ तक कमेटी की रिपोर्ट में है उसके आगे है नहीं । तो उसके अलावा आप नहीं कह सकते और वह आप कह चुके ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---अब मुझे इतना और अर्ज करना है कि "२ पैसे" की जगह "१ पैसा" रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष---यह तो कमेटी की रिपोर्ट से अलग है । कौन-सी धारा का संबंध इस सुझाव से है ? आप उन प्रश्नों के ऊपर नहीं कह सकते जो उससे संबंधित नहीं हैं । इन सारे सिद्धांतों के ऊपर आप कह चुके हैं । अब आप फिर से उन सारे सिद्धांतों के ऊपर और सब प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---दूसरे से इसकी रेलिवेंसी है, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष---आप बैठिये। पहले आप समझ लें। बिल जब कमेटी को रेफर होता है तब उसकी सारी बातों पर, उसके सारे सिद्धांतों पर कंसीडरेशन कर लिया जाता है। वह विचार कर लिया गया। अब यह सेलेक्ट कमेटी से वापस आया है। अब इसको फिर से अगर कमेटी के लिये जाना है तो आप उसमें यह बतायें कि जो सेलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसमें जो बातें रेफर की हैं उनसे प्रतिवेदन भिन्न है या उस पर कोई भिन्न सुझाव देना आप चाहते हों तो उसी तक आप सीमित रहें। यह नहीं हो सकता कि आप बिल के सारे सिद्धांतों पर फिर से बहस शुरू कर दें।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---खैर, श्रीमन् आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है ही, लेकिन आप पांच मिनट और मुझे दे दें। इसमें कुछ बातें रह गयी हैं। जहां इतनी देर तक हुआ वहां आपको आगे परेशान न करता, लेकिन इसमें नेचुरल जस्टिस की बात कही गयी है। असेसिंग अथारिटी अपने आप रुपया रिफंड कर देंगे। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि २९ और ३० में जो सेलेक्ट कमेटी ने बात दी है कि किस आदमी का रुपया रिफंड होगा वह अगर ऐप्लाई करे तो ठीक है, लेकिन इसमें है बगैर ऐप्लाई किये हुये।

श्री अध्यक्ष---किस खंड में?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---२९ और ३० में।

श्री अध्यक्ष---इसकी तो मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राजनारायण---एक वैधानिक प्रश्न मैं प्रस्तुत करता हूं। जो रामस्वरूप वर्मा जी की विमति टिप्पणी है इसमें खंड ३,८,९,१२,१४ सब हैं, तो इस पर भी तो अपनी राय दे सकते हैं?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

श्री राजनारायण---अगर प्रवर समति की रिपोर्ट पर विचार होगा तो यह तो है नहीं कि जो सदस्य बोलें वह अपने ही तक सीमित रहें।

श्री अध्यक्ष---इसके सिद्धांतों पर और जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके सिलसिले में बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण---जी हां।

श्री अध्यक्ष---तो कमेटी की रिपोर्ट तो १३ तक है।

श्री राजनारायण---१४ तक है। रामस्वरूप वर्मा जी ने जो विमति टिप्पणी दी है उसमें १४ खंड को क्रिटिसाइज किया है। तो १४ खंड के बारे में भी तो हम कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---जी हां।

श्री राजनारायण---(श्री गोविन्द सिंह विष्ट से) तो इस पर कहिय आप।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप उन्हें क्या कहना चाहिये उसका सुझाव नहीं दे सकते।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---श्रीमन्, मैं इस पर नहीं, आपकी आज्ञा से १३ E के बारे में कहूंगा।

श्री अध्यक्ष---यह कहां आया है?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---यह कमेटी की रिपोर्ट में आया है। इसमें है :

"In the proposed section 14(1) of the Act, *vide* clause 13 of the Bill, *insert* the words "without reasonable cause" between the words—

(1) "fails to pay" and "within the time" occurring in sub-clause (*a*) of clause (1),

(2) "fails to obtain" and "a licence under section 3-E" occurring in sub-clause (*b*) of clause (1), and

(3) "fails to submit" and "return of" occurring in sub-clause (*e*) (i) of clause (1)."

श्री अध्यक्ष---वह सब-क्लाज (*e*) नहीं है बल्कि (*c*) है।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---जी हां, श्रीमन्, इतनी गलती हुई मुझ से।

श्री अध्यक्ष---अब ६ बज गये। अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ;
१० मार्च, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५० पर)

बस्ती	आबादी
१—बेनाझाबर अहाते ..	.. १५० क्वार्टर
२—रुक्मिणी देवी का अहाता ..	.. १०० ,,
३—पुराना कानपुर योजना में कन्धारीपुरवा कर्बला आदि ..	.. ७३ ,,
४—घुसरामऊ रानीगंज ..	.. १०४ घर
५—गुटैया खुर्द	.. ८० ,,
६—लक्ष्मी पुरवा स्वीपर कालोनी ..	.. २५ क्वार्टर
७—अनवरगंज स्वीपर्स कालोनी ..	.. १० ,,
८—फूलबाग स्वीपर्स कालोनी ..	.. १० ,,
९—मोतीमुहाल स्वीपर्स कालोनी (आंशिक)	.. १० ,,
१०—मैतइयापुरवा (आंशिक) ..	.. ३२ घर
११—उद्दन गढ़ी ..	.. ४२ ,,
१२—मन्नाना पुरवा ..	.. २२ ,,

संसद सदस्य

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५३ पर)

Statement showing the number of quarters which is reported to have since been completed by the various Municipal Boards in the State

Serial no.	Name of the Municipal Board	Number of Quarters constructed	Serial no.	Name of the Municipal Board	Number of Quarters constructed
1	Dehra Dun ..	13	19	Jaunpur ..	14
2	Roorkee ..	10	20	Ballia ..	24
3	Muzaffarnagar ..	14	21	Gorakhpur ..	36
4	Meerut ..	48	22	Padrauna ..	14
5	Baraut ..	14	23	Azamgarh ..	10
6	Ghaziabad ..	34	24	Almora ..	18
7	Khurja ..	20	25	Naini Tal ..	30
8	Koil (Aligarh) ..	48	26	Haldwani ..	18
9	Firozabad ..	24	27	Hardoi ..	10
10	Mainpuri ..	10	28	Pilkhuwa ..	30
11	Shikohabad ..	14	29	Kanpur ..	262
12	Bareilly ..	70	30	Allahabad ..	47
13	Ujhani ..	10	31	Varanasi ..	88
14	Chandausi ..	4	32	Agra ..	162
15	Rampur ..	42	33	Lucknow ..	42
16	Auraiya ..	10			
17	Kalpi ..	10		Total ..	1,212
18	Rath ..	12			

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६० पर)

Serial no.	Name of employees	Amount Rs. nP.	Serial no.	Name of employees	Amount Rs. nP.
	Sarvsri			Sarvsri	
1	R. S. N. Sinha ..	1,776·00	35	P. Sheonaresh Lal	124·13
2	Mangal Prasad ..	2,268·00	36	Habib Khan ..	116·65
3	Babu Ram Misra	352·00	37	Ram Nachttar Prasad ..	124·07
4	Babu Nandan Singh ..	183·80	38	Madhunandar Rao	45·44
5	Kailash Shukla ..	183·80	39	Ramashanker ..	16·75
6	Mahendra Nath Misra ..	128·60	40	Ram Narain (Dead) ..	16·99
7	Peyare Mohan ..	26·00	41	Kapil Jaiswal ..	14·83
8	B. D. Pathak ..	570·56	42	Rajdeo Dubey ..	31·06
9	Abdul Kaliq ..	246·94	43	Sheo Prasad Pathak ..	39·66
10	Phondan Lal ..	228·00	44	Harihar Dubey ..	97·19
11	Badrulah ..	35·50	45	Lakshman Prasad	41·81
12	Deep Chand Rao	368·00	46	Y. N. Pathak ..	177·67
13	S. K. Kidder ..	720·00	47	Virendra Kumar	105·99
14	Shyam Sundar ..	207·75	48	Sampati Prasad	70·12
15	Maqsood Ahmad	272·07	49	Prem Prakash ..	36·00
16	Badruduja (Shamim) ..	156·00	50	Ganesh Lal ..	77·90
17	Harish Chandra Gaur ..	211·77	51	Jhuri Singh ..	77·90
18	Abrar Ahmad ..	211·77	52	Mophi Khan ..	77·90
19	Raj Kumar Lal ..	211·77	53	Narbadeshwar ..	77·90
20	Obaidur Rahman	211·77	54	Sheo Mangal ..	77·90
21	Shaukat Ali ..	211·77	55	Ram Surat ..	77·90
22	Suresh Chandra Pandey ..	211·77	56	Deota Dikshit ..	77·90
23	Vindhyachal Prasad ..	207·18	57	Ramchandar ..	77·90
24	Farjan Prasad ..	181·00	58	Muneshwar ..	77·90
25	Kashi Prasad ..	181·57	59	Mehdi Hasan ..	77·90
26	Paras Nath Misra	189·81	60	Vudya Lal ..	77·90
27	Jagarnath Sharma	8·18	61	Attaullah ..	77·90
28	Bundeshwari Prasad ..	145·56	62	Shri Debi Lal ..	77·90
29	Tameshwar Lal ..	145·56	63	Algo Ahir ..	77·90
30	Lakshaman Lal	145·56	64	Mohd. Ismile ..	77·90
31	Vikarmaditya Lal	145·56	65	Bansoo Ahir ..	77·90
32	Ramjan Ali ..	145·56	66	Gunraj ..	77·90
33	Kamala Tivari ..	145·56	67	Ram Suchit ..	77·90
34	Astabhuja Prasad	87·12	68	Ram Lachan ..	77·90
			69	Mohan Lal ..	77·90
			70	Rambilash ..	74·46
			71	Jumman ..	71·56
			72	Ram Jattan ..	74·19

Serial no.	Name of employees	Amount
		Rs. nP.
	Sarvsri	
73	Mikhtar Ahmad	71·56
74	Ram Peyare Pandey ..	61·75
75	Ram Dhani ..	61·75
76	Saheb Jada ..	61·75
77	Sarjoo Misra ..	61·75
78	Gajai Ahir (Dead) ..	61·75
79	Badri Misra ..	61·75
80	Dirpat Prasad ..	71·12
81	Mahatam Lal ..	56·81
82	Gopal Prasad ..	8·44
83	Raghunath Singh	6·05
84	Mohd. Islam ..	17·56
85	Ram Bali Jamadar	132·00
	Grand Total	Rs. 14,289.10

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६४ पर)

बिधूना ब्लाक, जिला इटावा के जिन ८० गांवों में पंचायतघर बनाना शेष है उन गांवों की सूची :

१---बिथूना
२---लुधपुरा
३---सुखचैनपुर
४---भिखरा
५---चन्द्रपुर
६---बमरालिया
७---भदसिया
८---सराय प्रथम
९---रामपुरवापुर
१०---बन्थरा
११---सावलिया
१२---मुड़ामाछी झील
१३---बसई
१४---भटौली
१५---कैथावन
१६---रामपुर
१७---धरमगतपुर
१८---नूरपुर
१९---मुड़आई
२०---सबहद
२१---ताजपुरा विथूना
२२---पुसौली
२३---बैलपुर
२४---गूरा
२५---नरायनपुर सहार
२६---मूह
२७---शिवरा
२८---रामनगर
२९---ककराही
३०---गैली
३१---पुर्वाधनी
३२---जरावन
३३---बेला
३४---नीवहार
३५---बम्हाटी
३६---जौहर
३७---लाखी
३८---करौली
३९---मलहौसी
४०---बरौली
४१---जलालपुर
४२---अनैसा
४३---मटैरा
४४---चिरौली २/३
४५---चिरौली १/३
४६---पटना
४७---बदरियापुर
४८---बढैराहार
४९---हरदू
५०---सिरयावा
५१---कसहरी
५२---बररू कुलासर
५३---भदौरा
५४---कुरसी
५५---अलीपुर
५६---पलिया
५७---फतेहपुर
५८---बंसई
५९---पुरवा सौमबंशी
६०---निवादा दादै
६१---उसराहा
६२---बाघमऊ
६३---भगवन्तापुर
६४---असजना
६५---कत्थानपुर जागू
६६---अरकापुरवा
६७---विमटामऊ
६८---इन्दुमामऊ
६९---रूपपुर सहार
७०---निवादा मलखानपुर
७१---डौडापुर
७२---मडौखमीत
७३---कुसमरा
७४---पसुवा
७५---अनवाली
७६---बराहार
७७---बरुआ
७८---नन्दपुर
७९---कुमरपुर
८०---मसूदपुर।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७६५ पर)

गवर्नमेंट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९

कुछ प्रयोजनों के लिये गवर्नमेंट ग्रांट्स ऐक्ट, १८९५ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित करने का

विधेयक

सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन भूमियों के अनुदान तथा अन्य हस्तान्तरणों पर कुछ विधियों के प्रवर्तन के संबंध में संदेह किये गये हैं;

ऐक्ट संख्या १५, १८९५

और यह इष्टकर है कि गवर्नमेंट ग्रान्ट्स ऐक्ट, १८९५ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित करके ऐसे संदेहों का निवारण किया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त शीर्षनाम

१--यह अधिनियम गवर्नमेंट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

ऐक्ट संख्या १५, १९९५ की धारा २ और ३ क संशोधन।

२--गवर्नमेंट ग्रान्ट्स ऐक्ट, १८९५ की धारा २ तथा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से ही रखा गया समझा जाय--

"2. Nothing contained in the Transfer of Property Act, 1882, the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the U. P. Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956, the Jaunsar Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956, the U. P. Tenancy Act, 1939 or any other law for the time being in force, shall apply or be deemed to have ever applied to any grant or transfer of land or of any interest therein already made or to be made by, or on behalf of, the Government to, or in favour of, any person ; and every such grant or transfer shall be construed and shall take effect as if the said laws had not been enacted.

Certain laws not to apply to Government Grants.

3. All provisions, restrictions, conditions and limitations contained in any such grant or transfer shall be valid and take effect according to their tenor, anything contained in any of the laws mentioned in section 2 or any other law for the time being in force or a decree or direction of a court of law to the contrary notwithstanding."

Government Grants to take effect according to their tenor.

उद्देश्य तथा कारण

राम आनन्द मुराव और छेदी तेली के मामलों में इलाहाबाद के उच्च संन्यायालय ने निर्णय दिया है कि सरकारी भूमि का कोई पट्टेदार यू० पी० टैनेंसी ऐक्ट द्वारा उसे प्राप्त अधिकारों का हकदार होगा और सरकारी अनुदान की शर्त को गवर्नमेंट ग्रान्ट्स ऐक्ट की धारा ३ के कारण यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट के उपबन्धों पर अधिमान प्राप्त न होगा। इससे राज्य सरकार को न केवल राजस्व की ही हानि होगी वरन् नगरों के सुनियोजित विकास के लिये भी संकट उत्पन्न हो जाने की संभावना है। उपर्युक्त परिणामों को रोकने के उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

चरण सिंह,
राजस्व मंत्री।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--४ एल० ए० १९५९-८४५